राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ बैठक, गुरुवार, दिनांक २७ सितम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में ११-१५ बजे मध्याह्नपूर्व पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २७

कृषकों की भूमि सिंचन करने वाले जागीरदारों के तालाबों सम्बन्धी

श्री जगतसिंह झाला—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में जागीरदारों के उन तालाबों की जिनसे काश्तकारों की भूमि की सिंचाई होती है, वसूली का भार सरकार ने बजाय तहसील के वहां की स्थानीय ग्राम पंचायतों को सौंपा है ?

(ख) क्या यह सच है कि तहसीलदारों द्वारा कुछ ऐसे भी तालाब फहरिश्तों में दर्ज कर दिये गए हैं जिनसे सिंचाई नहीं होती है ?

(ग) क्या सरकार इसकी जांच कराने की कार्यवाही करेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) समस्त तालाब जिनके द्वारा ५० एकड व इससे कम भूमि की सिंचाई होती है उनकी वसूली और प्रवन्ध का भार स्थानीय पंचायतों को सौंपने का आदेश दे दिया गया है ।

(ख) हां ।

(ग) अवश्य ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या इनके सिवाय और भी तालाबों को सम्मिलित कर लिया गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—एस.डी.ओ. और रेवेन्यू ऑथोरिटीज की सहमति के अनुसार जागीर के तालाब लिये गये वे इरीगेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं । उस लिस्ट को एग्जामिन किया जा रहा है । ऐसे तालाव जो पीने के पानी के हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट नहीं लेना चाहता ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या ऐसे भी तालाब हैं जो पंचवर्षीय योजना में तैयार हुए उनको भी इस लिस्ट में ले लिया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैं नहीं कह सकता ।

श्री जगतसिंह झाला—बड़ी सादड़ी का पारसोली का तालाब जो पर्सनल तालाब है उसको कैसे ले लिया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—रेवेन्यू ऑथोरिटीज द्वारा पर्सनल होते हुए ले लिया गया या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता । जागीर रिजम्पशन एक्ट की तहत तालाब लिये जाते हैं और वह भी कानूनी रिक्वायरमेन्ट्स पूरी होने के बाद लिये जाते हैं । एक अमुक तालाब लिया गया या नहीं इसका मैं निश्चित उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री जगतसिंह झाला—पर्सनल प्रोपर्टी की लिस्ट में लिया गया है, इरीगेशन डिपार्टमेन्ट ने सारी कार्यवाही की यह कैसे की गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह सवाल तो आपके मूल सवाल से बिल्कुल भिन्न है । इसका तो रेवेन्यू अधिकारी ही उत्तर दे सकते हैं ।

श्री भैरू सिंह—क्या सरकार ने सूची प्रकाशित कराई है कि इन इन तालाबों को इरीगेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, किसी को एतराज हो तो पेश करे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं ।

श्री भैरू सिंह—तो यह किस तरह से मालूम होता है कि अमुक तालाब से सिंचाई होती है इसलिये इरीगेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—राजस्थान के राजस्व अधिकारी वहां जाते हैं और जागीर रिजम्पशन एक्ट के नीचे उन तालाबों को अपने कब्जे में लेते हैं और इस तरह से जो तालाब इरीगेशन के काम आता है उसे इरीगेशन डिपार्टमेन्ट को ट्रांसफर कर देते हैं ।

श्री भैरू सिंह—जागीर रिजम्पशन एक्ट के अन्तर्गत ऐसे तालाब जिनके नीचे सिंचाई नहीं होती है क्या उनकी सूची रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा प्रकाशित करवाई जाकर गांव वालों की जानकारी प्राप्त की गई है कि ये इरीगेशन डिपार्टमेन्ट को ट्रांसफर होने चाहिये ।

श्री रामनिवास मिर्धा—यही तो अर्ज किया कि जो सूची आई है उसमें कई तालाब ऐसे हैं जिन से सिंचाई नहीं होती है इसलिये पूरी सूची की जांच करनी है । इसका नतीजा जो निकलेगा उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री भैरू सिंह--ऐसे आदेश दे दिये हैं ?

श्री मिर्धा--जी हां ।

श्री भैरू सिंह--ये तालाब संख्या में कितने हैं ?

श्री मिर्धा—यह नहीं बता सकता ।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सच है कि सैकड़ों की संख्या में है जिनको लिस्ट में ले लिया है ?

श्री मिर्धा—निश्चित संख्या मालूम नहीं ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस बात को लेकर भीलवाड़ा के जागीरदारों में विरोध चल रहा है ।

श्री मिर्धा—मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं ।

प्रश्न संख्या २८

राजस्थान में वेटरीनरी होस्पिटल्स, डिस्पेन्सरियां और सबडिस्पेन्सरियां खोलने के आधार

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) डिविजन, जिला व तहसील वाईज, राजस्थान में, कितने वेटरीनरी अस्पताल, डिस्पेन्सरियां, और सबडिस्पेन्सरियां हैं और वे कहां कहां हैं ?

(ख) वेटरीनरी अस्पताल व डिस्पेन्सरियां किस आधार पर खोले जाते हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा, जिला टोंक में इस प्रकार का कोई वेटरीनरी अस्पताल नहीं है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि जनता उनियारा ने सरकार से कोई वेटरीनरी अस्पताल खोलने की मांग की थी ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)—(क) सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(ख) जिला हेडक्वार्टरों पर अस्पताल और तहसील हैडक्वार्टरों पर डिस्पेन्सरियां खोली जाती हैं ।

(ग) हां ।

(घ) हां । पशु चिकित्सालय खोलने के लिए सरकार के आदेश हो गये हैं, शीघ्र ही खोला जावेगा । (कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

राव राजा श्री सरदारसिंह—उणियारा में कब खुल जावेगा ?

श्री मिर्धा—मैंने कहा कि शीघ्र ही खुल जावेगा ।

राव राजा श्री सरदारसिंह—"शीघ्र" की क्या परिभाषा है ?

श्री मिर्धा—दो अक्टूबर को ।

श्री जवानसिंह—प्रश्न 'ख' के उत्तर में बताया गया है कि ये आधार हैं। तो ये आधार भविष्य के लिये हैं या भूतकाल के लिये भी यही थे ?

श्री मिर्धा—फिलहाल तो ये ही रूल्स हैं ।

श्री जगतसिंह झाला—चित्तौड जिले में भी वेटरीनरी अस्पताल खोले जाने की योजना है क्या?

श्री मिर्धा—यह दूसरा प्रश्न है। इस साल जितने खोलने थे वे खोल दिये।

श्री जवानसिंह—जहां जिला हैडक्वार्टरों पर ऐसे अस्पताल नहीं हैं वहां खोलने की सरकार की क्या योजना है ?

श्री मिर्धा—दूसरे स्थानों की जरूरत को देखते हुए कोशिश करेंगे ।

श्री भैरूंसिंह—क्या ऐसा निर्णय ले लिया गया है ?

श्री मिर्धा—ऐसा कोई फर्म डिसीजन नहीं है। लोकल रिक्वायरमेन्ट को देखते हुए विचार करते हैं ।

श्री भैरूंसिंह—अभी आपने बताया कि जितने भी जिला हैडक्वार्टर्स हैं वहां खोले जाते हैं और फिर यह भी बताया कि एक एक डिस्पेन्सरी तीन तीन तहसीलों में खोली गई है तो जिलों को पहले क्यों नहीं प्रिफरेन्स दिया गया ?

श्री मिर्धा—पर्टिक्यूलर स्टेन्डर्ड है। किस जगह आवश्यकता अधिक है इसमें और दूसरी बातों को देखते हुए भी उसके लिहाज से दूसरी जगहों पर भी खोले जा सकते हैं ।

श्री भैरूंसिंह—क्या चित्तौड़ को इस दृष्टि से देखा गया है कि जहां खोले गये हैं वहां चित्तौड़ जिले के मुकाबले में ज्यादा प्रिफरेन्स दिया जाना चाहिये था ?

श्री मिर्धा—ज्यादा प्रिफरेन्स की बात तो नहीं है पर दूसरे और जिलों के साथ साथ चित्तौड़ का भी ध्यान रक्खा जावेगा ।

श्री भैरूंसिंह—मैं जानना चाहता हूं कि कौनसी ऐसी कमी आई कि उस जिला हैडक्वार्टर को छोड़कर दूसरी जगहों पर पहले खोला गया ?

श्री मिर्धा—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैरूंसिंह—कैसे प्रश्न नहीं उठता, बिल्कुल उठता है । आपने अस्पताल खोले जाने का जो आधार अपने जवाब में दिया उससे यह स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर चित्तौड जोकि एक जिला हैडक्वार्टर है वहां न खोला जाकर दूसरी जगह जो कि जिला हैडक्वार्टर नहीं हैं वहां खोलने में प्रिफरेन्स देने का क्या कारण है ?

श्री मिर्धा—टोंक जिले की बात आ रही है और उसी के संबंध में मैंने जवाब दिया है।

श्री भैरूंसिंह—यह तो भाग (क) और (ग) में है। पर प्रश्न के भाग (ख) में ऐसी बात नहीं है। वह तो सब जगहों के लिये है। आप प्रश्न को देखें तो इसमें सब चीज आती है। सबका उल्लेख इसमें हो रहा है।

श्री मिर्धा—अगर निश्चित बात पूछनी है चित्तौड़ के बारे में तो आप अलग से प्रश्न पूछ लें मैं बता दूंगा।

श्री मानसिंह महार—क्या नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक के आधार पर वेटेरिनरी अस्पताल नहीं खोले जावेंगे ?

श्री मिर्धा—ऐसी कई जगह हम डिस्पेन्सरियां खोल रहे हैं।

श्री जगतसिंह झाला—फिर चित्तौड़ के बारे में विचार करने का इरादा है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६

राज्य सरकार द्वारा स्थापित टैक्सटाईल लेबर इन्क्वायरी कमेटी का प्रतिवेदन एवं उसके अनुसार कार्य

श्री एच० के० व्यास—Will the Minister for Labour be pleased to state :—

(*a*) Has the Textile Labour Enquiry Committee appointed by the State Government submitted its report to the Government?

(*b*) Has the Report been published ?

(*c*) What steps have the Government taken to see that the recommendations made by the Committee are implemented?

(*d*) Is the Government aware that there is great unrest amongst the textile labour on account of delay in the implementation of the Report of the Committee?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री)—(*a*) Yes.

(*b*) Not yet. It has been sent for printing.

(*c*) Government has decided to call a Tripartite conference consisting of representatives of workers, employers and Government, to consider the recommendations made by the Committee.

(*d*) Not much. However, the Government is anxious to consider the recommendations of the Committee as early as possible.

Page No 6

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कब तक छप जावेगी रिपोर्ट ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—According to information given by the Press, they have given 5th October..

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह सरकार ने जो सम्मेलन बुलाया है उसकी कौनसी तारीख निश्चित की गई है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—२० या २१ अक्तूबर ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस रिपोर्ट को सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी नहीं । त्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स में बहस हो लेने के बाद में उस बहस की लाइट में यह मामला केबिनेट के समक्ष रक्खा जावेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार ने रिपोर्ट पर विचार करके अपना क्या निर्णय लिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने जैसे अर्ज किया । ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स में जो बहस होगी उसमें जो भी रीजनेबलनैस होगी उस पर विचार करके कोई निर्णय लेगी सरकार ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कान्फ्रेन्स के लिये नोटिस इश्यू हो चुके हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे ख्याल से तो हो जाने चाहिये । २०।२१ को है तो पन्द्रह दिन पहले से ही सूचना तो मिल जानी चाहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कमेटी के जो चेयरमेन थे वे भारत सरकार के माने हुए इस विषय के एक्सपर्ट थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उन्होंने टैक्सटाईल इन्डस्ट्री के बारे में कई जगह जाकर जांच पडताल की है और वे इस विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसीलिये तो मुकर्रर किये गये थे ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को स्वीकार करने, न करने के बारे में ऐसी कौनसी कठिनाई सरकार महसूस कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—दोनों पार्टीज को इससे पहले मौका देना बहुत आवश्यक है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस प्रकार की जांच कमेटियों की रिपोर्ट सरकार स्वीकार करती रही है और उनमें ऐसा कोई प्रोसीजर अख्तियार नहीं किया गया कि उस पर पहले दूसरी पार्टियों की भी और राय ले ली जाय । वह तो किया ही है इस कमेटी ने ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कमेटी ने खुद ने इस बारे में सुझाव दिया है कि रिपोर्ट ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स बुलाकर उसमें रखी जावे और फिर सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया जावे तो ज्यादा बहतर है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस रिपोर्ट को अमल में लेने के लिये आवश्यक कदम उठाने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी तो यह कदम उठाया है कान्फ्रेन्स बुलाने का और इसमें जो डिसीजन होंगे उनकी लाइट में फिर सरकार कोई निर्णय लेने की स्थिति में होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—टैक्सटाईल इन्डस्ट्री को शिड्यूल में लेने के लिये क्या सरकार विचार कर ही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह भी बाद में ही तय होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि मिनिमम वेजेज की तहत में नोटिस देकर कोई कार्यवाही की जावेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस कान्फ्रेन्स में जो डिसीजन होगा उसके बाद इसके बारे में तरीका सोचा जा सकता है। अगर ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स में जो एम्प्लोयीज हैं वे इसे मानते हैं और कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो जैसा होगा वैसा किया जा सकेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एम्प्लोयीज ने तो प्रस्ताव पास करके भेज दिया है न मानने के बारे में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मुमकिन है कि ऐसी चीज इस कान्फ्रेन्स में आवे जिसको वे मान जावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि एम्प्लोयीज ने या एम्प्लोयर्स ने रुख को नहीं बदला तो क्या रिपोर्ट को लागू करने के बारे में कदम उठाने की बात सरकार सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष—No hypothetical question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो एम्प्लोयर्स ने अपना रुख बताया है उसको देखते हुए उनके नकारात्मक रुख के आधार पर सरकार क्या कदम उठावेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एम्प्लोयर्स ने जो रुख अपनाया है उनमें एक का तो रिप्रेजेन्टेशन मेरे पास आया है। फिर बाकी कान्फ्रेन्स में रिप्रेजेन्ट करते हैं तो वहां सबका प्रतिनिधित्व ठीक तरह से है तो उस वक्त सबके रुख के बारे में निश्चित रूप से मालूम हो जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि लेबर की ओर से रिप्रेजेन्टेशन था और उन्होंने यूनेनिमसली नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है इस रिपोर्ट के बारे में ?

श्री बृजसुन्दर—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उनमें से एक आई.एन.टी.यू.सी. का प्रतिनिधि भी था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उनके नोट ऑफ डिसेन्ट पर सरकार ने क्या विचार किया और अगर विचार किया तो क्या निर्णय लिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने जैसा निवेदन किया है कि इस ट्रिपार्टाइट कान्फरेन्स में उनको अपनी अपनी बहस फिर एक दूसरे के सामने करने का मौका दे रहे हैं, वे अपना अपना दृष्टिकोण यहां रक्खें तो यहां जो बाकायदा आर्ग्यूमेन्ट्स होंगे उन पर फिर विचार करेंगे। अभी नोट ऑफ डिसेन्ट पर विचार करने को सरकार आवश्यक नहीं समझती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार के पास यह रिपोर्ट कब सबमिट हुई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—३१ जुलाई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस पर अमली कदम उठाने का कब निर्णय लिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—रिपोर्ट आने के बाद में उसे स्टडी किया गया और फिर तारीख तो मुझे ठीक तरह से याद नहीं उसे प्रेस में भेज दिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि लेबर मिनिस्टर के आवश्यक काम में व्यस्त होने के कारण निर्णय लेने में देर हुई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उस पर निर्णय लेने में तो देर नहीं हुई पर उसके ३५० के करीब पेज हैं उन्हें देखने में आवश्यक समय तो लगा ही।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रिपोर्ट को छपने में भी काफी समय लगेगा ?

श्री बृजसुन्दर—जी हां, दो तीन महीने तो लगते ही हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार को निर्णय लेने में देर हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नहीं हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो तारीख बतादें कि किस तारीख को आपके पास आई, कब प्रेस में दी ? इलेक्शन के झगड़े का तो असर इस पर नहीं पड़ा ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No 9

प्रश्न संख्या ३०.

सन् १९५५-५६ में टोंक जिले में बस सर्विसेज व लारियों को दिये गये परमिटों के आधार

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् १९५५।५६ में जिला टोंक में कितनी बस सर्विसेज व लारियों के परमिट किन किन को व किन आधारों पर दिये गये ?

(ख) टोंक से उनियारा अलीगढ़ सवाई माधोपुर व टोंक से उनियारा, लाखेरी व देवली से दूणी अवांनगर उनियारा व नेनवा उनियारा चौथ का बरवाडा व टोंक नेनवा आदि मार्गों के किन किन को परमिट दिये गये हैं ?

(ग) उपरोक्त सर्विसेज कब से चालू होंगी। यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) १४ परमिट बसों के तथा १५ लोड लारियों के दिये गये। जिनको ये परमिट दिये गये हैं उनकी सूची 'ए' तथा 'बी' पर संलग्न है। मोटर वेहिकल एक्ट की धारा ४७ तथा ५५ में लिखित बातों पर विचार करने के बाद परमिट दिये जाते हैं।

(ख) कृपया सूची 'सी' देखिये।

(ग) यह सब सर्विसेज चालू हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

राव राजा श्री सरदारसिंह—इनमें कितनी कौन कौनसी सर्विसेज उनियारा दूनी को टच करते हुए जाती हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—आपने 'ख' में जो जानकारी पूछी है उसका विस्तृत उत्तर दे दिया गया है। यह तो मैं एक दम नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३१

कृषि विभाग द्वारा क्रय किये गये कम्प्रेसर्स प्राप्त करने की तिथि एवं उनका उपयोग

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

(*a*) Did the Agriculture Department purchase any compressors last year? If so, how many and at what cost?

(*b*) On what date or dates were these compressors delivered to the Department?

(*c*) Have they been put to any use so far? If so, how many have worked, for what period and where?

(*d*) What steps have been taken by the Government for their proper up-keep?

श्री रामनिवास मिर्धा—(कृषि मंत्री)—(*a*) Yes. The Agriculture Department purchased through Director General, Supplies & Disposals, 15 Compressors last year. The total cost of this is not yet known as the payment to the firm is not made by the D.G. (S. & D.) and the debit is not intimated.

(*b*) The 15 compressors were delivered during May and June, 1955.

(*c*) They have not yet been put to any use so far.

(*d*) The compressors are in perfect condition. Recently the firms which supplied them have tested the compressors, and certified them in perfect sound condition.

श्री हरिकृष्ण व्यास--मई, १६५५ से ग्राज तक इनके प्रयोग में नहीं लाने के क्या कारण हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)--मुख्य कारण इसका यह है कि जो ट्रक्स इनके साथ लेना चाहिये थे ग्रौर जिनके बारे में डी. जी. एस. टी. को इण्डेण्ट भेज दिया गया था उन ट्रक्स के मिलने में बड़ी देर हो गई। डी. जी. एस. डी. ने बड़ी कोशिश की। दो, तीन दफा टेण्डर भी निकाले लेकिन जो स्पेसिफिकेशन था उसके मुताबिक ग्रभी तक वे ट्रक्स नहीं मिल पाये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इनके प्रयोग के लिये ट्रक्स की ग्रावश्यकता होगी यह बात सरकार के ध्यान में कब ग्राई ?

श्री रामनिवास मिर्धा--जब इंडेण्ट दिया उस वक्त।

श्री हरिकृष्ण व्यास-क्या सरकार ने डी. जी. एस. डी. को ग्रार्डर प्लेस किया है कम्प्रेसर्स का उसके बाद में किया गया है या पहले ?

श्री रामनिवास मिर्धा--मेरे ध्यान से पहले कर दिया गया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास--"ध्यान से" नहीं निश्चित बात हो तो बोलें नहीं तो जानकारी करके बोलें।

श्री रामनिवास मिर्धा--निश्चित प्रश्न था डेट पूछने का। डेट पूछते तो डेट बता देता।

श्री हरिकृष्ण व्यास--Whether the order for truck was placed with the D.G.S.D. before the supply of the compressors or after that supply was received?

श्री रामनिवास मिर्धा--I think the orders were placed before the receipt of the compressors.

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाने के कारण इन कम्प्रेसर्स के कुछ पार्ट्स के ग्रन्दर पानी समा गया था ?

Page No 11

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उन कम्प्रेसर्स के मोबिल आइल बदलने के लिये और पानी से भरे हुए मोबिल आइल को निकालने के लिये इस विभाग ने जनवरी के अन्दर बड़ी मात्रा में मोबिल आइल खरीदा है और सारे के सारे कम्प्रेसर्स का मोबिल आईल बदला है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—माननीय सदस्य जानते हैं कि यह प्रश्न पहले भी आ चुका है और इसका उत्तर दिया जा चुका है कि कम्प्रेसर्स बारिश में पड़े नहीं रहे लेकिन उस साल जिस स्थान पर वे थे वहां पर पानी ज्यादा आने के कारण कुछ पानी घुस गया था। उस से कोई खास डेमेज नहीं हुए ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो उस फर्म के रिप्रेजेण्टेटिव को कम्प्रेसर्स को वापिस देखने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—फर्म के रिप्रेजेण्टेटिव को हमने नहीं बुलाया था। डी. जी. एस. डी. के रूल्स के मुआफिक पेमेण्ट होने से पहले टेक्निकल एक्सपर्ट आकर इनकी डिलीवरी करते हैं कि आया वे परफेक्ट कण्डीशन में हैं या नहीं। उनका इन्स्पेक्शन होता है। वह इन्स्पेक्शन अभी तक हो नहीं पाया था इसलिये फर्म के रिप्रेजेण्टेटिव आये थे न कि हमारे बुलाने पर ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन कम्प्रेसर्स की सर्विसेबिलिटी का सार्टीफिकेट कब इश्यू किया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सार्टीफिकेट इश्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अच्छी कण्डीशन में हैं या नहीं यह देखना था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अच्छी कण्डीशन में मिले इस प्रकार का सार्टिफिकेट डी. जी. एस. डी. ने कब भेजा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह मैं निश्चित नहीं कह सकता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह सार्टीफिकेट भेजने के पहले राजस्थान के अन्दर के या बाहर के किसी विशेषज्ञ के द्वारा कम्प्रेसर्स को दिखाया था क्या ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर बगैर इस प्रकार की जांच किये हुए ही इनकी सर्विसेबिलिटी का सार्टीफिकेट कैसे भेजा गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—बाहर से विशेषज्ञ नहीं बुलाये गये थे और न उनकी आवश्यकता थी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किस विशेषज्ञ के द्वारा उनको देखा गया था before certifying about their proper condition ?

श्री रामनिवास मिर्धा—हमारे विभागीय एक्स्पर्ट ने उनकी जांच की थी ।

Page No 12

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कौनसे विभागीय एक्सपर्ट ने इस प्रकार की जांच की है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--यह दूसरा प्रश्न है जिसको कि मैं अभी नहीं बता सकता हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि कोई भी मशीनों के जानने वाले इन्जीनियर ने इन कम्प्रेसर्स को देखा नहीं है आज तक राजस्थान में ?

श्री अध्यक्ष--The question does not arise when the Hon'ble Minister says that it has been inspected.

श्री हरिकृष्ण व्यास--It has been inspected by the officers of the Department, but they are not the officers of the Agriculture Department. I want to know whether any man knowing about the machinery has inspected. It may be that the Director of Agriculture who is not a technical man may have inspected. That is not my question. I want to know whether a man who is technically competent to inspect has inspected it ?

श्री रामनिवास मिर्धा--हमारे कृषि विभाग के जो कृषि मशीनरी के एक्सपर्टस हैं उन्होंने एग्जामिन किया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--एप्रोक्सीमेटली क्या कास्ट है इन १५ कम्प्रेसर्स की ?

श्री रामनिवास मिर्धा--वह डेबिट नहीं आया है इसलिये नहीं बताया जा सकता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अन्दाजन ?

श्री रामनिवास मिर्धा--अन्दाजन नहीं बताया जाय तो ठीक है, क्योंकि एग्जेक्ट फीगर्स हों तो बता दें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--पिछले कम्प्रेसर्स जो सरकार ने खरीदे थे उनको कितनी कॉस्ट थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा--It is another question.

श्री हरिकृष्ण व्यास--पहले जो कम्प्रेसर्स खरीदे थे उनकी कितनी कास्ट थी ?

श्री अध्यक्ष--That question does not arise.

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि यह खरीदने का निर्णय लेने से पहले कॉस्ट की जानकारी नहीं की गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा--इस वक्त बताना कि पिछले कम्प्रेसर्स किस कीमत पर खरीदे गये थे, यह इनफॉरमेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल जुदा प्रश्न है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह लाखों रुपये लॉक होगये हैं और साल भर से पड़े हुए हैं बगैर युटिलाइज किये हुए । इस सिलसिले में कौन जिम्मेवार हैं ? इसके बारे में सरकार ने जांच की है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--मैंने आपको बताया कि किन परिस्थितियों के कारण हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाये हैं । विभाग कोशिश करता रहा गवर्नमेण्ट आफ इंडिया के मारफत ट्रक्स खरीदने के लिये । चूंकि ट्रक्स नहीं आये इसलिये आज तक इनका यूज हम नहीं कर पाये हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या कम से कम स्टाफ तो सरकार के पास मौजूद है । That will be necessary to put it into operation even if today the trucks are available today.

श्री रामनिवास मिर्धा--१५ कम्प्रेसर्स यूज नहीं किये गये साल भर तक तो स्टाफ को एम्प्लाय करना वर्थव्हाइल वेस्ट होगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--स्टाफ के सिलसिले में सेन्क्शन मौजूद है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--That is another question.

श्री हरिकृष्ण व्यास--अनादर नहीं इसका ही क्वेश्चन है क्योंकि यह कहा जाता है कि डिपार्टमेण्ट के पास ४-६ ट्रक्स हैं उन पर १-२ कम्प्रेसर्स तो यूज किये जा सकते थे । स्टाफ सेन्क्शन हुआ या नहीं ? यह भी उनके यूज नहीं करने का कारण है । इसके बारे में स्पष्ट उत्तर दिया जाय ।

श्री रामनिवास मिर्धा--जी नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि इन कम्प्रेसर्स के सिलसिले में स्टाफ की अभी तक सेन्क्शन एवेलेबल मौजूद नहीं है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--चूंकि हमको इसकी आवश्यकता नहीं थी इसलिये हो सकता है कि सेन्क्शन एवेलेबल नहीं हो । यूज करने की स्थिति में होंगे तब यह बात उठ सकती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जब कम्प्रेसर्स आर्डर किये गये थे तब इनको यूज करने में जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उनके लिये क्या तात्कालिक प्रयत्न नहीं किये गये ?

श्री रामनिवास मिर्धा--किये गये थे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो फिर उस सिलसिले में स्टाफ के बारे में क्यों नहीं प्रयत्न किये गये सेन्क्शन आब्टेन करने के ?

श्री रामनिवास मिर्धा--स्टाफ की अरजेन्सी इतनी नहीं थी । उनका तात्कालिक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे । आज स्थिति यह हो कि अगले महीने में यूज कर सकते हैं तो स्टाफ का भी इन्तजाम किया जा सकता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--डी. जी. एस. डी. को इंडेण्ट प्लेस किये हुए कितने दिन हो गये ?

श्री रामनिवास मिर्धा--मैं डेफिनेट तारीख नहीं बता सकता हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार को यह सूचना मिल गई है कि कब तक वे एवेलेबल हो जायेंगे ट्रक्स. ?

श्री रामनिवास मिर्धा--डी. जी. एस. डी. ने कहा है कि हमारे मार्फत एवेलेबल नहीं हैं। उनके स्पेसिफिकेशन में चेन्ज करके अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड की तरफ से टेण्डर इन्वाइट किये गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या अब, ट्रक्स डी. जी. एस. डी. के बजाय राजस्थान सरकार खुद टेण्डर इन्वाइट करके ले चुकी है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--जी हां, एट डी. जी. एस. डी. रेट ।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३२

राजस्थान में ड्राईवरों की फर्स्ट एड ट्रेनिंग अनिवार्य करने के कारण

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the Transport Minister be pleased to state :—

(*a*) Is the Government aware that the drivers are exempt from First Aid training in many States like Punjab etc? If so, why has the Government enforced compulsory First Aid training for the drivers in Rajasthan ?

(*b*) Is the Government aware that the charges for the certificate fixed by the Government are very high?

(*c*) What steps does the Government propose to take to redress the grievances of the Transport workers?

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मंत्री)--(*a*) Yes.

(*b*) The First Aid training for the drivers and conductors of the Public Service Vehicles has been made compulsory as per decision arrived at the meeting held on 27th July, 1949, between the representatives of the Central Government and the State Transport Controllers, and the instructions have been issued by the Ministry of Transport, Government of India, to materialise the said decision.

(*c*) No charges have been fixed by the Government. Rs. 5/- per head has been charged by the St. John Ambulence to impart First Aid Training which is not considered to be high.

(*d*) The matter has been referred to the India Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास--यदि आवश्यक रूप में यह फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी गई है तो दूसरे राज्यों में एग्जम्प्शन कैसे किया जा सकता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मंत्री)--कई राज्यों में कण्डक्टर्स और ड्राईवर्स दोनों हैं और कई राज्यों में सिर्फ ड्राइवर्स हैं और कई राज्यों में सिर्फ कण्डक्टर्स हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--राजस्थान में ड्राइवर्स को इन्क्ल्यूड करने का क्या करण है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--कई पब्लिक व्हिकल्स में कण्डक्टर्स नहीं होते हैं इसलिये ड्राइवर्स को फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या आप जानते हैं कि ड्राइवर्स तो इन्जीनियरी में पार्टस वगैरह में भी ज्ञान रखता है और जब ड्राइवर को खतरा मालूम होता है या तो अमूमन वह भाग जाता है या पेसेन्जर्स का सारा ही बोझा उसी पर होता है । उसको फर्स्ट एड ट्रेनिंग देने में क्या फायदा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--कभी ड्राइवर और कभी कण्डक्टर एन्डेन्जर हो सकते हैं । दोनों को ही ट्रनिंग देना उपयुक्त होता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--ड्राइवर तो स्पेशियली पेसन्जर्स के लिये रोक होता है, एन्डेन्जर होने की हालत में उसके होश-हवास गुम हो जाते हैं या तो भाग जाता है या खतरे में डाल देता है । उसके होश-हवास ठीक हो इसके लिये सरकार को कुछ करना चाहिये ।

श्री रामनिवास मिर्धा--तब ही तो रूल्स बनाये गये हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार पुर्नविचार करने के लिये तैयार है । शायद सरकार कुछ सोच रही है, ऐसा खयाल है ?

(घंटी)

यह तो खास पोइण्ट है ।

श्री अध्यक्ष--All hypothetical questions.

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह तो खास पोइण्ट है ।

श्री अध्यक्ष--All hypothetical questions, if the drivers endangered or the conductors endangered. I want that the passengers should not be endangered.

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास--"वाट स्टेप्स दी गवर्नमेण्ट इज टेकिंग ' इसका जवाब नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष--उत्तर दे दिया, नेक्स्ट । श्री झाला ।

प्रश्न संख्या ३३

कस्टम टेरिफ नियमावली समाप्त होने के पश्चात् राजस्थान से अधिक संख्या में गौ-निकासी

श्री जगतसिंह झाला--क्या पृथक् राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सच है कि कस्टम्स टेरिफ रूल्स के समाप्त होने के बाद राजस्थान से गौ-निकासी काफी बड़ी तादाद में हो रही है ?

(ख) सरकार ने अब तक इस निकासी को रोकने के लिये क्या क्या कार्यवाही की ?

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान के उस बोर्डर पर जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, हजारों की तादाद में गायों की निकासी होती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(घ) क्या सरकार इसकी रोक थाम के लिये शीघ्र ही कोई बड़ा आदेश जारी करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक् राजस्व मंत्री)--(क) जी नहीं ।

(ख) कानून मौजूद है ।

(ग) ऐसे कुछ केसेज पकड़े गये थे जो भारत सरकार के सुपुर्द कर दिये गये ।

(घ) जी हां । नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है ।

(ये उत्तर लिखित उत्तर से भिन्न हैं)

श्री भैरूंसिंह--क्या सारे राजस्थान के लिये एक ही कानून है ?

श्री अमृतलाल यादव--जी हां । अलग अलग कस्टम्स के कानून थे वे अभी जारी हैं, वे अलग अलग जगह काम करते हैं ।

श्री भैरूंसिंह--पुरानी रियासतों के अलग अलग कानून बने थे वे ही लागू हैं या राजस्थान की ओर से कोई एक कानून लागू किया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव--वे ही लागू हैं । नोटिफिकेशन जारी किया है वह सारे राजस्थान के लिये है और वह उनके तहत किया गया है ।

श्री जगतसिंह झाला--कौनसी तारीख को आदेश जारी किये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव--ये ३ सितम्बर १९५५ को किये हैं ।

श्री जगतसिंह झाला--क्या इस आदेश को पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव--आपने देखा ही होगा ।

श्री जगतसिंह झाला—मैंने नहीं देखा है। मैं उसको देखना चाहता हूं इसलिये मैंने पूछा है।

श्री यादव--मैं आपको एक कापी उसकी भेज दूंगा।

श्री जगतसिंह झाला--अध्यक्ष महोदय, यह तो पब्लिक इम्पोर्टेंस का सवाल है। अगर इसको पढ़ दिया जाय तो कोई हानि तो होगी नहीं।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—जरूर जरूर। कापी दे दीजियेगा अगर ये मांगे तो।

श्री अमृतलाल यादव--"In exercise of the powers conferred by section 10 of the Jaipur Customs Act 1943 (Jaipur Act XLV of 1943), section 10 of the Marwar Customs Act of 1938, section 8 of the Matsya Customs Ordinance 1948 (Matsya Ordinance No. 14 of 1948), section 8 of the Mewar Customs Act 1946 (Mewar Act XI of 1946) and section 9 of the Sirohi Customs Act of 1944 and by the corresponding provisions of the Customs Act or Rules of the other covenanting States, the Government is hereby pleased to prohibit the export out of Rajasthan to any area outside the State, of the-buffaloes and cows, except in accordance with a permit in writing issued by the Collector of the district concerned.

This is in supersession of previous notifications (if any) issued by the Governments of the covenanting States on the subject for the avoidance of doubts it is hereby declared that those previous notifications continued in force even after the abolition of customs duties with effect from the 1st April, 1955."

श्री जगतसिंह झाला--इस आदेश के जारी होने के बाद कितनी गायों की निकासी होने को सरकार ने रोका और पकडा ?

श्री अमृतलाल यादव--मैंने अर्ज किया है अपने जवाब में कि ऐसी कुछ गायें पकड़ी गई थीं जो भारत सरकार के सिपुर्द कर दी गई क्योंकि लेंड कस्टम्स एक्ट के तहत भारत सरकार ही कार्यवाही करती है।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि गायों की निकासी का जुर्म काबिले पुलिस दस्तन्दाजी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—क्या है और क्या नहीं है This is a legal question.

श्री अमृतलाल यादव—यह तो कानूनी बात है।

श्री भैरूंसिंह--क्या पुलिस गायों की निकासी के लिये जो लोग लेजाते हैं उनको पकडती है या नहीं, प्रश्न यह है ?

श्री अमृतलाल यादव--बहुत से कानून पुलिस दस्तन्दाजी के होते हैं और बहुत से कानून पुलिस दस्तन्दाजी के नहीं होते हैं ।

श्री भैरूं सिंह--इस कानून को अमल कराने के लिये किस किस अधिकारी को आदेश दिये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव--लैंड कस्टम्स एक्ट के अनुसार आर. ए. सी. को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अधिकार दे रखे हैं । वे ही कार्यवाही करते हैं ।

श्री भैरूं सिंह--क्या आर. ए. सी. को खास तौर पर हिदायत दी गई है कि गायों की निकासी को रोक दिया जाय ?

श्री अमृतलाल यादव--जी हां ।

श्री भैरूं सिंह--क्या कस्टम्स डिपार्टमेन्ट को भी इसके आदेश दिये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव--जी हां ।

श्री भैरूं सिंह--क्या इस प्रकार के आदेश की एक कापी इस सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--वह दे देंगे ।

श्री भैरूं सिंह--कस्टम्स डिपार्टमेन्ट टूट गया है । इसलिये मैंने निवेदन किया कि जब कस्टम्स डिपार्टमेन्ट ही नहीं है तो किन को आदेश दिये गये ।

श्री अमृतलाल यादव--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कस्टम्स ड्यूटीज़ के लागू रहते तक कस्टम्स पोस्ट्स पर जो रहते थे इसकी वे रोक करते थे । लेकिन कस्टम्स लैंड एक्ट लागू हो गया गवर्नमेन्ट ओफ इंडिया ने हमारे यहां की जो आर. ए. सी. हैं उनके कान्स्टिबल्स को अथोराइज़ किया है वे इसके सम्बन्ध में कार्यवाही करें । इसके अलावा कस्टम्स के जो अधिकारी हैं, इन्स्पेक्टर, डिप्टी इन्स्पेक्टर आदि उनको इसके सन्बन्ध में हिदायतें दी हुई हैं ।

श्री जगत सिंह झाला--वे हिदायतें कौन से कौन से ओर्डर्स से दी हैं जब कि कस्टम्स खत्म हो गया है । वे कैसे इसकी रोक थाम करेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव--यह कानून की बात नहीं है । एग्जीक्युटिव ओर्डर्स होते रहते हैं, हिदायतें दी जाती रहती हैं ।

श्री जगतसिंह झाला--क्या सरकार को मालूम है कि इसके लिये एक महीने से भूख-हड़ताल चल रही है ?

श्री अध्यक्ष--वह दूसरा सवाल आ रहा है ।

Page No 19

श्री भैरू ंसिंह--क्या राजस्थान के कई बोर्डर्स पर ग्रार. ए. सी. का पोस्टिंग नहीं है यह सच है ?

श्री अमृतलाल यादव--कई स्थानों का सवाल नहीं है । पाकिस्तान के साथ राजस्थान का ७५० मील का बोर्डर एरिया है उस पर ग्रार. ए. सी. का पोस्टिंग है ।

श्री भैरू ंसिंह-- पाकिस्तान के ग्रलावा दूसरे भी तो बोर्डर्स हैं उनमें गायों की निकासी न हो ग्रौर गायों की निकासी रोकने के लिए सरकार ने क्या किया ?

श्री अमृतलाल यादव--उसके लिए कस्टम्स एक्ट एन्फोर्स्ड है ।

श्री भैरू ंसिंह--क्या गायों की निकासी करने वालों को सजा नहीं हो सकती ?

श्री अध्यक्ष--This is a legal question.

श्री भैरू ंसिंह--ग्रोर्डर में नहीं है सजा देने के लिए । कस्टम्स एबोलिस कर दिया । टैरीफ रूल्स हैं वे यों के यों ही लागू हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह ग्राप देख लीजिये ।

श्री भैरू ंसिंह--नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--हैं तो हैं, नहीं हैं तो नहीं हैं ।

श्री जगतसिंह झाला--कितनी गायें पकडी गई, संख्या बता दीजिये ?

श्री अध्यक्ष--तादाद जानना चाहते हैं कि कितनी गायें पकडी गई ?

श्री अमृतलाल यादव--तादाद तो मैं ग्रभी नहीं बता सकता हूं ।

श्री जगतसिंह झाला--यह तो इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है । मैंने पूछा है ।

श्री अध्यक्ष--कौनसा भाग है क्वेश्चन का ।

श्री जगतसिंह झाला--भाग 'ग' में मैंने पूछा है कि राजस्थान के बॉर्डर पर, जो पाकिस्तान से लगा हुग्रा है वहां पर हजारों की तादाद में गायों की निकासी होती है ।

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दे दिया ।

श्री जगतसिंह झाला--संख्या नहीं बतायी ।

श्री अध्यक्ष--संख्या तो पूछी नहीं ।

श्री भैरू ंसिंह--क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि इस सम्बन्ध में विधान सभा में कानून लाये ग्रौर उसको पास कराये ?

श्री अध्यक्ष--यह आप ले आइये। उचित अनुचित का सवाल नहीं है।

श्री भैरूं सिंह--क्या सरकार इसके लिये कोई कानून विधान सभा में रखने वाली है ?

श्री अध्यक्ष--आपके सामने ही रखेंगे प्राइवेटली नहीं आने वाला है।

प्रश्न संख्या ३४

पिछली अन्तिम बरसात में बन्धों व डेम्स को क्षति एवं इस सम्बन्धी शासकीय जांच

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the Irrigation Minister be pleased to answer :—

(*a*) How many Bunds and Dams were damaged during the recent rains?

(*b*) How many of them were constructed recently?

(*c*) Has the Government conducted any enquiry into the causes of this damage?

(*d*) If so, what are the findings of such an enquiry ?

(*e*) Will the Government order an OPEN ENQUIRY into this matter?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)--(*a*) 45 (Fortyfive).

(*b*) 13 (thirteen) were newly constructed under the 1st plan.

(*c*) to (*e*). Necessary enquiries in this connection are in progress and suitable action for negligence or defective workmanship, if found, will be taken. The total loss, however, cannot be called enormous.

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह जो जांच चालू है वह किस प्रकार की है, एक्सपर्ट इन्क्वायरी है या डिपार्टमेन्टल है या क्या है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी एक केस में ऑर्डर की जा चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--प्रश्न के आखिरी भाग "ई" का जवाब नहीं आया।

श्री रामनिवास मिर्धा--आपने पूछा है : "in view of the enormous importance of this question......"

श्री हरिकृष्ण व्यास— I am refering to the printed sheet not to the one that I sent

श्री अध्यक्ष--पार्ट "ई" ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--"ई" जो प्रिन्टेड है उसी रूप में पढ़ना चाहिये लेकिन आप दूसरे रूप में पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--उसी रूप में पढ़ रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास-- उस रूप में नहीं पढ़ रहे हैं ।

श्री रामनिवास मिर्धा--मैं उत्तर दे चुका हूं कि ओपन इन्क्वायरी करना सरकार उचित नहीं समझती ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--ऐसे कौनसे कारण हैं जिनके कारण ओपन इन्क्वायरी करना सरकार उचित नहीं समझती ?

श्री रामनिवास मिर्धा--ऐसे कोई कारण नहीं हैं जिनके कारण ओपन इन्क्वायरी कराई जाय ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि ऐसे मामले में जिन वजूहात से बान्ध टूटा उसकी जानकारी बहुत से उन लोगों को, जो डिपार्टमेन्ट में नहीं हैं, ज्यादा है ? Is it a fact that there may be hundreds of people not in the Department who may be aware of the causes and reasons for these losses ?

श्री रामनिवास मिर्धा--जो प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी हो रही है उसमें आस पास के गांवों में रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी पूछ ताछ की गई है और की जायगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अभी जो मंत्री जी ने फरमाया कि आस पास के गांव वालों से पूछ ताछ की जायगी, यह सुविधा गांव वालों को दी जायगी उसकी सूचना उन लोगों को किस रूप में दी जाती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--सूचना इस रूप में दी जाती है कि जो इन्क्वायरी करने जाते हैं वे, यदि उन गांव वालों को जानकारी हो तो उनको बुलाकर पूछ लेते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--लेकिन जिन को जानकारी हैं उनको कैसे मालूम होता है कि उनकी सुनवाई की गुंजायश है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--सबको मालूम हो जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या आप इस सिलसिले में सूचना प्रकाशित करने को तैयार हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा--कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--कोई एविडेन्स प्रस्तुत करना चाहे तो कर सकता है क्या ?

श्री रामनिवास मिर्धा--जी हां ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या इस सिलसिले में सरकार ने इन्क्वायरी करने वाले ऑफिसर को आदेश दिया है कि सूचना करके जो कोई एविडेन्स देना चाहे उससे एविडेन्स मांगें ?

श्री रामनिवास मिर्धा--ऐसे आदेश की आवश्यकता नहीं है।

Page No 22

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो किस तरह से सूचित किया है कि जिसको एविडेन्स देनी है वे दें ?

श्री रामनिवास मिर्धा--सूचित नहीं किया है लेकिन जिनको जानकारी होती है उनसे पूछा जाता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जब आम लोगों को एविडेन्स देने का अधिकार है सरकार के निर्णय के माफिक तो उसका उपयोग करने की सूचना क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--सूचना देने की आवश्यकता नहीं है । ओन स्पोट जाकर ऑफिसर जांच करते हैं वह काफी समझी जाती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सच है कि अब तक जो जांच की गई है उसमें आम लोगों की एविडेंन्स लेने का कोई कदम नहीं उठाया गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--यदि कोई रिप्रेजेन्टेशन देते हैं कि हमारी एविडेन्स रेकार्ड हो तो विभागीय जांच करने वाले उनको उचित सुविधा देते हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सच है कि अब तक इस मामले में किसी के बयान नहीं लिये गये हैं, विभागीय लोगों को छोड कर ?

श्री रामनिवास मिर्धा--बयान लिये गये हैं या नहीं, लेकिन उनकी ओपीनियन जरूर रिपोर्ट में रेकॉर्ड की जाती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि रिप्रेजेन्टेशन करने पर भी बयान नहीं लिये गये ?

श्री रामनिवास मिर्धा--बिल्कुल गलत है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या रिप्रेजेन्टेशन जितने आये हैं बांध के सिलसिले में उन लोगों को सूचना नहीं दी जा कर भी इन्क्वायरी कर ली जाती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--जो रिप्रजेन्टेशन आये हैं उनको उन अफसरों के पास भेजा जा चुका है जो इन्क्वायरी कर रहे हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सरकार के ध्यान में है कि उन अफसरों ने उनको सूचना नहीं दी है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--यदि आवश्यकता नहीं समझी है तो नहीं दी है, फ्रिवोलस नेचर की है तो उसकी जरूरत नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--फिर एविडेन्स कैसे लेते हैं ? एक ओर तो आप कहते हैं कि लोगों को एविडेन्स देने का अधिकार है और दूसरी ओर अधिकारियों द्वारा उनको सूचना नहीं दी जाती तो उनको कैसे मालूम हो कि सरकार एविडेन्स लेना चाहती है ?

Page No 23

श्री रामनिवास मिर्धा--यदि कोई इन्फॉर्मेशन माननीय सदस्य के पास है तो बतावें, रेकार्ड करली जायगी। इसमें नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मेरे पास निश्चित जानकारी है कि अभी तक एक भी आदमी की एविडेन्स नहीं ली गई है।

श्री अध्यक्ष--अब दिलवा दीजिये ले लेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास--ये लेते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--ले लेंगे।

श्री रामनिवास मिर्धा--जो इन्ट्रेस्टेड हैं वे एविडेन्स दे सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सूचना देने का क्या तरीका निकाला है ?

श्री रामनिवास मिर्धा--रिटन में सूचना नहीं दी जाती।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सरकार ने कौनसा तरीका अख्त्यार किया है सूचना देने का ?

श्री रामनिवास मिर्धा--मैं ३ दफा बता चुका हूं कि इन्क्वायरी आफिसर ओन स्पोट जाते हैं और वहां पर हरेक जो दिलचस्पी रखने वाला होता है वह बता देता है।

श्री भैरूं सिंह--सरकार के पास जो शिकायत आई है उसको कंसीडर करने की कोई सूचना आज तक भेजी है या नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा--इसकी आवश्यकता नहीं है।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

श्री भैरूं सिंह (वि. सं. १६)--क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि स्वामी रामचन्द्र वीर ने जयपुर में पिछले २४ दिनों से भूख हड़ताल कर रखी है ?

(ख) यदि हां, तो क्या जिन कारणों को लेकर भूख हड़ताल की है उनमें राजस्थान से होने वाली गौओं की निकासी व गौ-हत्याओं के कारण भी शामिल हैं ?

(ग) यदि हां, तो गौ निकासी व विभिन्न स्थानों पर होने वाली गौ-हत्याओं को रोकने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अमृतलाल यादव--(क) जी हां।

(ख) स्वामी रामचन्द्र वीर ने यह कहा है।

[श्री अमृतलाल यादव]

(ग) राजस्थान से गायों की निकासी के ऊपर प्रतिबन्ध है और कोई व्यक्ति बिना जिलाधीश की लिखित आज्ञा प्राप्त किये राजस्थान से गायें बाहर नहीं ले जा सकता। राजस्थान में गौहत्या जुर्म है और यदि कोई गौ हत्या करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होती है ।

श्री भैरू सिंह--क्या यह सही है कि राजस्थान के कई हिस्सों से गायों की निकासी को रोकने के लिये कोई कानून नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव--मैंने अभी जो जवाब दिया है, उसमें सारी बातें आ जाती हैं।

श्री भैरू सिंह--क्या यह सही है कि सिरोंज से गायों की निकासी की जाय तो कोई कानून लागू नहीं होता है ?

श्री अमृतलाल यादव--मैंने निवेदन किया कि कानून है।

श्री भैरू सिंह--क्या यह सही है कि भूतपूर्व टोंक स्टेट से गायों की निकासी बंद करने की कोई आज्ञा नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव--जिन भूतपूर्व स्टेट्स में कस्टम्स एक्ट नहीं था वहां गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया का लेंड कस्टम्स एक्ट है उसके प्रोविजन्स लागू होते हैं।

श्री भैरू सिंह-लेकिन उन प्रोविजन्स के मातहत केवल जिन स्टेट्स में गायों की निकासी पहले बद थी, उन्हीं स्टेट्स में अब बंद किया जा सकता है। लेकिन जिनमें पहले बंद नहीं थी, वहां से निकासी बंद करने के लिये क्या व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री अमृतलाल यादव--जहां पर पहले निकासी बंद थी वह तो वहां के कस्टम्स एक्ट के तहत आ जाता है लेकिन जहां पहले बंद नहीं थी वहां गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया का एक्ट लागू होता है।

श्री भैरू सिंह--क्या राजस्थान में कस्टम्स एक्ट को एबोलिश किया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव--जी नहीं।

श्री भैरू सिंह--क्या राजस्थान में टैरिफ रूल्स एबोलिश किये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव--यह बात दूसरी है।

श्री भैरू सिंह--आप तो यह बताइये कि टैरिफ रूल्स को एबोलिश किया गया है या नहीं।

श्री अमृतलाल यादव--टैरिफ एबोलिश कर दी गई है।

श्री भैरू सिंह--क्या यह सही है कि इस टैरिफ में गायों की निकासी की मुमानियत थी ?

श्री अमृतलाल यादव--ऐसा नहीं है, जो एक्ट लागू है उसके मातहत बंद है।

Page No 25

श्री भैरूं सिंह--टैरिफ के माफिक बंद थी। टैरिफ बंद कर दिया गया तो अब क्या पोजिशन होगी ?

श्री अमृतलाल यादव--मैंने प्रश्न के (ग) भाग में निवेदन किया था कि राजस्थान से गौ की निकासी बंद है और कोई व्यक्ति बिना जिलाधीश की लिखत आज्ञा के गायों को बाहर नहीं ले जा सकता।

श्री भैरूं सिंह--सरकार के कानून को अमल में लाने के लिए किन किन विभागों को आदेश दिया ?

श्री अमृतलाल यादव--अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी इस प्रश्न का उत्तर डिटेल में अर्ज किया है उससे माननीय सदस्य का समाधान होना चाहिये था।

श्री भैरूं सिंह--क्या सरकार ने किसी एक भी विशेष विभाग को इसे अमल में लाने का आदेश नहीं दिया है ?

श्री अमृतलाल यादव--मैंने अभी आर. ए. सी. के बारे में अर्ज किया था। इसके अलावा एग्जीक्युटिव तौर पर कस्टम्स अधिकारी, जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारी सबको इस तरह की इन्सट्रक्शन्स दी गई हैं।

श्री भैरूं सिंह--क्या यह सही है कि जिन स्थानों के ऊपर आर. ए. सी. नहीं है, किसी विभाग को इस तरह के आदेश नहीं हैं कि गौ की निकासी को रोकें ?

श्री अमृतलाल यादव--जी नहीं। और विभागों को और पुलिस को भी इन्सट्रक्शन्स दी हुई हैं।

श्री भैरूं सिंह--क्या यह सही है कि पुलिस को यह भी आदेश दिया गया है कि जो लोग गायों की निकासी करते हैं उनको समझाया जाय, पकड़ा नहीं जाय।

श्री अमृतलाल यादव--यह मेरी जानकारी में तो नहीं है, शायद आपकी जानकारी में हो।

श्री भैरूं सिंह--मेरी जानकारी में नहीं, मंत्रीजी ने मुझे जानकारी दी है कि उनको पकड़ने के आदेश नहीं हैं, समझाने के आदेश हैं।

श्री एच० के० व्यास--यह प्राइवेट जानकारी दी हुई है, उसका सदन क्या करे।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)--मैं इस बारे में थोड़ा सा निवेदन कर दूं। श्री रामचन्द्रजी वीर के अनशन के बारे में जो शोर्ट नोटिस क्वेश्चन है, उसकी जानकारी के लिये मैं अर्ज करूं। उन्होंने जो जारी कर रखा है अनशन, जहां तक मालूम हुआ है उसके ३ कारण बताये जाते हैं।

एक तो यह कि राजस्थान में गौ कुशी बन्द हो। दूसरा कारण यह कि राजस्थान के बाहर गौ निकासी नहीं हो। और तीसरा कारण यह कि वेजिटेबल घी राजस्थान में नहीं आये। मैं तीनों

[श्री रामकिशोर व्यास]

का जवाब एक एक करके दे दूं । पहला यह कि राजस्थान में गौ कुशी बन्द हो इसके लिये मैं यह अर्ज करूं कि राजस्थान में गौ कुशी बन्द है, कानूनन बन्द है । कोई भी इस कानून को तोड़ता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है । ऐसे कई केसेज हुए हैं जिनका चालान किया गया है और उन मुकदमों में सजा दिलाई गई है ।

तो पहला जो उनके अनशन का कारण बताया जाता है उसके लिये मैंने निवेदन किया कि राजस्थान में गौ कुशी कानूनन बन्द है, अगर कोई उस कानून को तोड़ता है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करती है और मुकदमा चालान करके उसे सख्त से सख्त सजा दिलाती है ।

नं० २ गौ निकासी की बात, इसमें दो चीजें शामिल हैं; एक यह कि राजस्थान के बाहर जाने की बात, राजस्थान से लगे हुए जो प्रान्त हैं उनमें जाने की बात और दूसरी बात है, राजस्थान से बाहर पाकिस्तान में जाने की बात । राजस्थान से लगे हुए हमारे प्रान्त हैं यू. पी., बम्बई, पंजाब, मध्य भारत वगैरह, इसके लिये लीगल स्थिति यह थी कि गौ निकासी बन्द थी, टैरिफ के सिलसिले को बन्द कर दिया पर इसमें एक सेक्शन थी गौ निकासी बन्द की । वह अब भी है, तो इस तरह उसके तहत गौ निकासी बन्द है और उसको एन्फोर्स कर सकते हैं ।

कोई नया कानून बन सकता है कि नहीं, यह बडा हकतलफी का कानून है इसमें कई लीगली एग्जामिन करने की बातें हैं, उन्हें हम एग्जामिन करवा रहे हैं । इससे ट्रेड में ओब्स्ट्रक्शन होते हैं । तो इस तरह का कानून बन सकता है उन्हें कि नहीं, जिससे राजस्थान से लगे हुए दूसरे प्रान्तों में जो कि भारतवर्ष में ही हैं, वहां जाने से रोका जा सके, इस चीज को हम एग्जामिन करवा रहे हैं ।

इसी सिलसिले की दूसरी बात है, यहां से बाहर पाकिस्तान में जाने की, इसके लिये लैंड कस्टम्स एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का है, उसके तहत बगैर पर्मिशन के कोई जानवर बाहर नहीं ले जा सकता । अगर कोई इस कानून को तोड़ता है तो वह इस कानून के बीच का ओफेन्स करता है और गवर्नमेंट ओफ इन्डिया उसके खिलाफ इस कानून के तहत कार्यवाही करती है । उसमें क्या सजा है, वगैरह बातें आप उस एक्ट में देख सकते हैं, वह एक्ट मौजूद है ।

तो राजस्थान से बाहर पाकिस्तान के लिये गौ निकासी रोकने वाला लैंड कस्टम्स एक्ट है ।

तीसरा पोइन्ट वेजिटेबिल घी को रोकने का है कि इसे राजस्थान में नहीं आने दिया जाय । ऐसा कानून बनाना कोई संभव नहीं है । अगर बनायें तो ऑल इन्डिया बेसिस पर बना सकते हैं पर राजस्थान गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकेगी ।

तो ये बातें मैंने इस बारे में जानकारी के लिये निवेदन की हैं, मैं समझता हूं, मेरे माननीय मित्र को इससे संतोष होगा ।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि वीरजी के अनशन का कारण यह भी है कि वेजीटेबल घी पर कर ज्यादा लगा दिया जाय जिस से यह राजस्थान में नहीं आ सके ?

श्री रामकिशोर व्यास—वेजीटेबल घी पर कर और चीजों से ज्यादा ही लगाया गया है।

श्री भैरूं सिंह—क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सेल्स टैक्स वेजीटेबल घी पर और चीजों से डबल है। अगर और ज्यादा लगाना चाहते हैं तो आप विधान सभा में प्रस्ताव लायें।

श्री जगतसिंह झाला—वीरजी का अनशन से कितना वजन घट गया है, इसकी जांच के लिये क्या प्रबन्ध है ?

श्री रामकिशोर व्यास—नोन ओफिशियल प्रबन्ध है।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष--सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री हनवन्तसिंह ने दिनांक २६ सितम्बर, १९५६ से १ अक्तूबर, सन् १९५६ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

Yes, Shri Brij Sunder Sharma.

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५६

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि)

श्री बृजसुन्दर शर्मा--माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को आगामी अधिवेशन के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाया जावे।

माननीय अध्यक्ष, इसके लिये निवेदन करना है कि सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई और पहली मीटिंग में सवाल आया कि म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट जो कि पास शुदा है उससे इसके प्रोविजन्स का कहां तक कन्फ्लिक्ट होता है और कहां तक इन दोनों के प्रोविजन्स मिलते जुलते हैं। और दूसरी जगहों पर क्या क्या है, ये सब ऐसी थीं जिनके बारे में जानकारी करना जरूरी था तो सिलेक्ट कमेटी ने खुद ने तय किया कि लॉ डिपार्टमेन्ट को रेफर किया जावे। इसके लिये मियाद की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--क्या सदन की यह अनुमति है कि उक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये अवधि बढ़ाई जाय ।

(स्वीकृत)

अवधि बढाई गई ।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९५६

पुरः स्थापन.

श्री अमृतलाल यादव--माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है कि उपरोक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री अमृतलाल यादव--मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

राजस्थान सहकारी भूमि बन्धक बैंक विधेयक, १९५६

पुरःस्थापन.

श्री अमृतलाल यादव--अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी भूमि बन्धक बैंक विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है कि उपरोक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री अमृतलाल यादव--माननीय अध्यक्ष मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--Yes.

श्री गुरुदयालसिंह संधु को निरोध में लेने इत्यादि संबंधी विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि एवं उसका उपस्थापन.

श्री जवानसिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नांकित, प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को २७ सितम्बर, १९५६ तक और बढ़ाया जाय :--

> "That the House do discuss the breach of privilege committed by the Tehsildar Padampur in arresting and sending to jail Shri Gurdayal Singh Sandhu, M.L.A., for a civil claim within forty days of the session of the Rajasthan Legislative Assembly."

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को २७ सितम्बर, १९५६ तक के लिये बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री जवानसिंह—मैं निम्नलिखित प्रश्न पर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापन करता हूं।

"That the House do discuss the breach of privilege committed by the Tehsildar, Padampur, in arresting and sending to jail Shri Gurdayal Singh Sandhu, M.L.A., for a civil claim within forty days of the session of the Rajasthan Legislative Assembly."

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५६

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Brij Sunder Sharma.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, ...

श्री अध्यक्ष—आप इस पर बोलेंगे।

श्री भैरूं सिंह—जी हां, मुझे बोलना है।

श्री अध्यक्ष—और भी मद आवेंगे उन पर बोल लेना।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५६ के संबन्ध में राजस्थान की इस विधान सभा में कल और परसों विभिन्न प्रकार की मांगें रखी गईं। उन पर सब मांगों से साबित है, माननीय अध्यक्ष कि कल जिस समय अलग अलग मांगों पर विचार किया जा रहा था उस समय भी जिन मांगों के विषय में विचार हुआ या कुछ भी विचार नहीं हो सका इससे संबन्धित ऐसे मुद्दे रह गये जिनके कारण मुझे मजबूर होकर राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या ४) १९५६ का विरोध करने के लिये खड़ा होना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है इसके बारे में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अव्यवस्थाएं हुईं, उनको अच्छी तरह से आपके सामने रखा और उनका दिग्दर्शन कराया लेकिन इस विषय पर मुझे भी राजस्थान सरकार के समक्ष कुछ बातें प्रस्तुत करनी हैं, जिनको लेकर यह सारी गड़बड़ी हुई और राजस्थान सरकार उनको साफ कराने की चेष्टा कर रही है।

[श्री भैरूंसिंह]

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान सरकार ने यह निश्चय किया कि राजस्थान में पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से यह राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई है उसके पीछे राजस्थान सरकार का कोई ठोस कदम हो या उसके पीछे कोई ठोस भावना हो ऐसी बात नहीं दिखाई देती है। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीयकरण का जो कदम उठाया पुस्तकों के लिये, उसका मूल कारण यह था कि टैक्स्ट बुकों के सिलेक्शन में पक्षपात होता है, उनके सिलेक्शन के लिये चिट्ठियें लिखी जाती हैं और सिफारिशें होती हैं उनके पब्लिकेशन में गड़बड़ी होती है, इन सब गड़बड़ियों और होने वाली चीजों को रोकेने के लिये यह कदम उठाया गया कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जावे। माननीय अध्यक्ष, यदि इसी कारण से यह राष्ट्रीयकरण होता है तो मैं यह कहूंगा कि इस तरह से पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करके सरकार अपनी Inefficiency को छुपाने की चेष्टा करती है, जो नहीं करनी चाहिये। सरकार को पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने से पहले टेक्स्ट बुकों की छपाई और वितरण में किस प्रकार की अव्यवस्था है, उसको दूर करने के लिये कड़ाई से कदम उठाना चाहिये था, बनिस्बत इसके कि सरकार इन पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करती। मैं तो समझता हूं कि अपनी इनएफिसियेन्सी के कारण सरकार ने इस तरह का तरीका अख्तयार कर लिया कि उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। मैं मानता हूं कि अगर·····

श्री अध्यक्ष--Was that point not discussed yesterday.

श्री भैरूंसिंह--नहीं आया। राष्ट्रीयकरण का नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--There was a cut motion.

श्री बृजसुन्दर शर्मा--यह आया था। पुलिस का कट मोशन नहीं आया।

श्री भैरूंसिंह--सुनने वाले एक नहीं थे।

श्री अध्यक्ष--एक ही था।

श्री भैरूंसिंह--आप नहीं थे। किसी ने सुना होगा तो समझा नहीं होगा। राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई बात नहीं हुई। सरकार ने इस संबन्ध में निश्चित नीति बनादी। आज हम डेमोक्रेसी में से गुजर रहे हैं और डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज में यह हमें सोचना होगा कि टेक्स्ट बुक्स अच्छी होनी चाहियें। माननीय अध्यक्ष, शिक्षा में अधिक से अधिक प्रकरण हो सकते हैं और राष्ट्रीयकरण के कारण कांग्रेस की जिस प्रकार की रीति-नीति है या राजनैतिक दल की जिस प्रकार की रीति-नीति है उसके आधार पर पुस्तकों की रचना की जावेगी और उसी प्रकार की पुस्तकें छात्रों को पढ़ने दी जावेंगी। आज कांग्रेस का बोलबाला है अगर कल कोई दूसरी सत्ता हो जाए तो लोगों के मस्तिष्क को खड्ढे में ले जाकर डाल देगी। मैं नहीं मानता कि ऐसी बदकिस्मती हो कि भारत में साम्यवादियों का राज्य हो जाए। डेमोक्रेसी में वह लोगों के मस्तिष्क को बदलने की चेष्टा करते हैं। यह डेमोक्रेसी में सबसे पहला आघात होता है कि शिक्षा देने की पद्धति है, उसको बदली जाए और इसके लिये पहला कदम होता है,

[श्री भैरूंसिंह]

पुस्तकों को निर्धारित करना। हमको अलग अलग विषयों की शिक्षा देनी चाहिये। विभिन्न विभाग वाले लोगों की पुस्तकें रखनी चाहिये। मगर आज हम शिक्षा दे रहे हैं केवल एक ही तरह की। इससे लोगों के स्वतन्त्र विचार हो सकते हैं मगर अलग अलग विचारों की जानकारी नहीं हो सकती। जब तक यह नहीं होगा तब तक कोई गुण और अवगुणों की आलोचना नहीं कर सकता। इसलिये राष्ट्रीयकरण की जो नीति अपनाई गई है वह एक प्रकार के विचारों का रेजिमेन्टेशन है जो आज के डेमोक्रेटिक युग में उचित नहीं है। यदि राजस्थान सरकार अपनाती है तो शिक्षा की प्रगति में बाधा होगी। इसलिये मैं माननीय चीफ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि टेक्स्ट बुकों को नेशनेलाइजेशन करने के पहले इस बात की तरफ ध्यान दें कि इससे कितना नुकसान होगा। इसकी छपाई गवर्नमेंट प्रेस से या किसी दूसरे प्रेसों से कराई जावे तो कितना नुकसान होगा।

मैं यह कहूंगा कि आज के इस युग में जब हम उद्योग धन्धों का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं और यह कहते हैं कि धन्धा हर कोई आदमी कर सकता है तो इस प्रकार के कामों को सेन्ट्रेलाईज करना कहां तक वाजिब है। इस दृष्टि से मैं माननीय चीफ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि वे पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति पर पुनः विचार करें।

दूसरी बात आती है, पुलिस विभाग की। इसमें जिस मांग का विरोध किया गया है, उसमें पुलिस विभाग के लिये भी इस बिल में मांग की जा रही है, इसमें लिखा है कि राजस्थान में भूस्वामी संघ के आन्दोलन के सिलसिले में अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा, कई हैड कान्स्टेबल्स को नियुक्त करना पड़ा, पुलिस आफिसरों को रखना पड़ा, और सामग्री की आवश्यकता पड़ी। हैडकान्स्टेबल्स और पुलिस आफिसरों के खर्च उनके दैनिक भत्ते, उन सारी की सारी पुलिस विभाग की मांग हमारे सामने आयी है। अब जब कि इस पुलिस विभाग के लिये मांग की गई है तो अब हमें यह देखना है कि जिस विभाग के लिये हम धन की स्वीकृति दे रहे हैं, जिस पर खर्च करने का विश्वास कर रहे हैं, वहां सोचना पड़ेगा कि वह विभाग मूलतः जनरक्षा का काम करता है या नहीं। इस विभाग का जो मूल कार्य है लोगों की सुरक्षा करने, जनता की सूरक्षा का कार्य इस पुलिस विभाग द्वारा हो रहा है या नहीं। मैं यह कह सकता हूं, इस कार्य को करने में पुलिस पूरी तौर से फेल हुई है; इस काम के करने के अयोग्य साबित हुई है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या पुलिस के हैडकान्स्टेबलों को केवल आन्दोलनों को दबाने के लिये या Public Demand Recovery Act के मातहत निरपराध नागरिकों की गिरफ्तारी के लिये इनका प्रयोग किया जाता है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। आज हमारा पुलिस विभाग जिस प्रान्त में बच्चों को उड़ाकर लेजाया जाता है, अच्छे अच्छे बच्चों को उड़ाकर लेजाया जाता है, इस प्रकार का जो एक आन्दोलन चल रहा है, उसको कुचलने में राजस्थान की पुलिस फेल हुई है; इसी कारण भारत सरकार के इन्टेलीजेन्स ब्रान्च को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा.........

श्री अध्यक्ष—What is the scope of discussion in this. इसमें तो यह मांग नहीं है कि भूस्वामी आन्दोलन के लिये यह खर्च हुआ, इसलिये इस रकम की स्वीकृति मांगी गई है।

श्री भैरू सिंह--अध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट मांगी गई है उसमें यह लिखा है कि राज्य में विभिन्न आन्दोलनों पर नियन्त्रण करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों के संबन्ध में १,००० रुपये की प्रतीक मांग है।

श्री अध्यक्ष--जो एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो वह केवल उन्हीं मुद्दों तक सीमित रहती है जिन मुद्दों के लिये एप्रोप्रियेशन बिल द्वारा रुपये मांगे जाते हैं। पुलिस विभाग के लिये जो अनुदान मांगा गया है, उसमें न तो भूस्वामी संघ के आन्दोलन का जिक्र है और न लॉ एन्ड आर्डर का है। केवल राज्य के विभिन्न कोषागारों व उप-कोषागारों पर गार्ड्स कायम करने के लिये जो अतिरिक्त व्यय हुआ है उसकी मांग की गई है। What is the scope of discussion for everything that on the surface of the earth about law and order?

श्री भैरू सिंह--माननीय अध्यक्ष, आप मुलाहिजा फरमायेंगे कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत जो मांग प्रस्तुत की जा रही है उसमें लिखा है, राज्य में विभिन्न आन्दोलनों पर नियन्त्रण करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की गई; इसलिये यह रकम मांगी गई है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आन्दोलन का संबन्ध है उस में भूस्वामी संघ का आन्दोलन भी आ जाता है और लड़के उड़ाने का आन्दोलन जो राजस्थान में चल रहा है उसका भी समावेश उसमें हो जाता है। अतिरिक्त पुलिस की मांग करते हुए भी लड़कों को उडाने का आन्दोलन बराबर चल रहा है, यह कोई मामूली बात नहीं है। पांच वर्षों में एक व्यक्ति को उडाया जाय तो क्या वह आन्दोलन नहीं। इतना ही नहीं यहां राजस्थान में तो हर साल दो या तीन लड़के उडाये जाते हैं। मैं तो इसको एक प्रकार का आन्दोलन ही कहूंगा।

(घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी मांग पर, जिसकी हम स्वीकृति देने जा रहे हैं, यह सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि यह मांग स्वीकृत नहीं होनी चाहिये क्योंकि पुलिस विभाग लड़कों के उडाने के आन्दोलन को समाप्त करने में अयोग्य साबित हुआ है मैं इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करूंगा ताकि सदन इस मांग को स्वीकृत न करेगा। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि क्या इन आन्दोलनों को नियन्त्रित करने के लिये पुलिस की आवश्यकता है, अतिरिक्त पुलिस की आवश्यकता है। आज पुलिस से हम जिस कार्य को अपेक्षा रखते हैं वह कार्य करने में पुलिस अयोग्य साबित हुई है। इसीलिये अयोग्य पुलिस के लिये जो खर्चे की मांग की गई है उसे मन्जूर करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस जन सुरक्षा के कार्य में बिल्कुल अयोग्य साबित हुई है। विभिन्न आन्दोलनों के नियन्त्रण के लिये जो १ हजार रुपये की प्रतीक मांग की मन्जूरी के लिये प्रस्ताव किया गया, उसकी मन्जूरी देने की आवश्यकता नहीं इसलिये मजबूर होकर उस पुलिस विभाग की अयोग्यता साबित करने के लिये उसको पुष्ट करने के लिये कुछ बातें सदन में बताना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष--You cannot go beyond the scope of this.

श्री भैरू सिंह--अध्यक्ष महोदय, इसके दो हिस्से हैं, एक तो पुलिस विभाग को इतने रुपये दिये जायं या नहीं। मैं तो यह कहता हूं कि पुलिस अयोग्य है इसलिये यह मन्जूरी न दी जाय; उसकी अयोग्यता सिद्ध करने के लिये तो कुछ कहना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--But that does not cover everything general.

श्री भैरूं सिंह--अध्यक्ष महोदय, जो बातें मैं कह रहा हूं वह इसी में कवर होती हैं।

श्री अध्यक्ष--Now finish. The whole day of yesterday was taken and now by 12-30........

श्री भैरूं सिंह--अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग नहीं आई थीं, इसलिये कुछ बातें कहनी रह गई थीं।

श्री अध्यक्ष--२२ में से १७ मांगें तो आ गई थी। पहले इसको ले सकते थे।

श्री भैरूं सिंह--पुलिस का काम जन सुरक्षा का है, इसलिये इस पर बोलने दिया जाना चाहिये। कल हमने इसीलिये अपने कई कट मोशन्स फोरगो किये थे ताकि पुलिस की मांग पर बोलने का अवसर मिल सके मेरा अर्ज करने का मतलब यह था कि इस विभाग के लिये जो धनराशि मांगी गई है वह स्वीकार नहीं की जानी चाहिये। मैं समझता हूं यह एप्रोप्रियेशन बिल के अन्तर्गत कहने की बात है। उसमें पुलिस विभाग भी शामिल है। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन यह कर रहा था; हमारी आज सुरक्षा का भार पुलिस पर है, लेकिन सुरक्षा का कार्य यह विभाग नहीं कर रहा है। उसके सबूत में प्रमाण हैं, जो कि आजकल हमें अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं......

श्री अध्यक्ष--यह पुलिस के लिये मांग की गई न कि लॉ एन्ड आर्डर के लिये।

श्री भैरूं सिंह--मैं अर्ज यह कर रहा हूं कि राजस्थान के आन्दोलनों के नियन्त्रण करने वाला सवाल है, उसमें जहां भूस्वामी संघ का आन्दोलन है उसके अलावा राजस्थान में एक और आन्दोलन चला है, लड़कों को उड़ाने का आन्दोलन जिसमें रुपये लिया जाना भी शामिल है। मैं आपके सामने आंकडे प्रस्तुत करता हुआ यह सिद्ध करने की चेष्टा करूंगा कि यह आन्दोलन भी प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, इस आन्दोलन को दबाने में राजस्थान की पुलिस फेल हुई है। यह आन्दोलन लगातार पांच वर्षों से चल रहा है सन् ४९ में इस आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ था। उस समय एक रिवाज यह चला था कि डकैती तो न की जाय और लड़के उड़ाकर रुपया कमाने का ढंग अपनाया जाय, उसी ढंग पर यह आन्दोलन चला। उस आन्दोलन में धीरे धीरे प्रगति हुई कभी एक महीने बाद किसी को उड़ाया गया. किसी को ६ महीने बाद इसी तरह से ५२,५३ में ६ लड़के उड़ाये गये। ५३, ५४ में तीन लड़कों को उड़ाया गया। ५४,५५ में दो लड़कों को उड़ाया गया। उसमें से केवल एक बरामदगी हुई है, वह भी यहां की पुलिस द्वारा नहीं हुई है। यहां का पुलिस विभाग इस कार्य में बिल्कुल फेल हुआ है लड़के उड़ाने वाले लोगों ने डाकुओं के साथ सांठ गांठ की। जो डाकुओं के हमेशा हमदर्द थे, सहायक थे. उनसे लड़कों को उड़ाने के सिलसिले में हाथा जोड़ी की।

श्री रामकिशोर व्यास--How does it come within the scope of this Demand ?

श्री अध्यक्ष-- I do not see any relevancy.

Page No 34

श्री भैरू सिंह--माननीय अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री, अगर इस बात को इस तरह से सोचते कि उनके लड़के को कोई उड़ाकर ले जाय तो उनको कितना दर्द होता है।

श्री रामकिशोर व्यास--मुझे तो दूसरों के लड़कों के प्रति उतना ही दर्द होता है जितना मेरे खुद के लड़के के प्रति है।

श्री भैरू सिंह--अगर उतना ही दर्द होता तो आपके पीछे वाले आज जेल में मिलते।

श्री अध्यक्ष--No, please then I will put the question.

श्री भैरू सिंह--मैं सिर्फ दो तीन मिनिट ही लूंगा।

श्री अध्यक्ष--आपने काफी समय ले लिया है। आप रिलेवेन्ट ही कहिये।

श्री भैरू सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल रिलेवेन्ट ही बोल रहा हूं, यह भी लड़के उड़ाने का एक आन्दोलन चला।

श्री अध्यक्ष--No. The Hon'ble Member had spoken over the demands and I think we should close it now.

श्री भैरू सिंह--दो मिनिट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष--All these things have been repeated yesterday and today. There were cut motions—I have got the file with me; same things were repeated.

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, एक दो बातें और कहनी हैं, कहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--When the cut motion was called the Hon'ble member was not present and as such another member was called. The points were raised and again same points are being raised. You go on repeating.

श्री भैरू सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं शहादतें लाया हूं। जिन व्यक्तियों को आज ईमानदार समझा जाता है वास्तव में वे ईमानदार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--This is not the occasion. You keep all these documents preserved for the appropriate time.

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय अध्यक्ष, कल कटौती के प्रस्ताव पर बहुत देर तक सदन चर्चित होता रहा और मैं समझता हूं कि जिन विषयों पर कटौती के प्रस्ताव के जरिये हम यहां थोड़ा बहुत जिक्र कर चुके हैं उन पर और फिर से कुछ कहने की आवश्यकता इसलिये भी नहीं है कि उत्तर कोई किसी किस्म का ठीक रूप से दिया नहीं गया। लेकिन मैं जिस विशेष चीज की ओर आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह कोई एक विभाग से सम्बन्धित नहीं है अध्यक्ष महोदय, वह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सम्बन्धित है सब विभागों से और वह सरकार की विशेष प्रकार की नीति जो लगातार बढती हुई नजर आ रही है, उसकी ओर में संकेत करना चाहूंगा। किन्तु इस सदन में जब बहस हो रही थी तब एक मामूली सा मसला सामने आया जिसको ज्यादा विस्तार से समय की कमी के कारण नहीं रख सका पर मिसाल के तौर पर उसका उल्लेख करना चाहूंगा। वह मिसाल अकेली ही तो थी पर वह नीति को सूचक है इसलिये उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--No repetition of what has been said yesterday.

श्री हरिकृष्ण व्यास--I am not repeating. I am referring to another aspect. Irregularity is one aspect. When it reflects a certain, definite trend in the Government policy, that is the only part that I am going to deal with now. तो जिस चीज का कल उल्लेख हुआ वह यह थी कि गंगानगर के अन्दर शुगर का एक कारखाना है, इसके शेयर सरकार ने खरीदे। वैसे तो में समझता हूं कि इस विषय पर और लम्बे चौड़े जिक्र की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन वह एक कदम जो है अकेला नहीं है अध्यक्ष महोदय, हर रूप से और हर किस्म से एक ऐसी नीति बरती जा रही है जिस में पार्टी विशेष या पक्ष विशेष के लोगों को गैरवाजिब रूप से रियायतें देना और एक मुद्दे पर रियायतें देना और आज सप्लीमेंन्टरी डिमान्ड आई है, उनमें से बहुतों का सम्बन्ध इस प्रकार की चीजों से है, जो कि एक खतरनाक बात है। अब बहुत जल्दी आम चुनावों की चर्चा चलने वाली है, आज चल भी रही है थोडी बहुत और उसके सिलसिले में ये बातें होनी शुरू हुई हैं और आम चुनावों के समय तो यह बीमारी और भी बढ़ जाने वाली है, इसलिये राज्य का हित इसी में है कि जितना अच्छा कसकर जितनी सख्ती से हो सके, सदन सरकार को हिदायत कर दे। क्या ऐसी खास विशेषता है एक व्यक्ति विशेष में कि हर बार हर प्रकार की सहूलियतें उसी को दी जावें। अजितप्रसाद जैन ने मान लीजिये निर्णय करने का था कर लिया पर भारत के मन्त्री होते हुए भी सेठ रामनाथ पोद्दार को रियायतों पर रियायतें दी जा रहीं हैं उससे क्या सम्बन्ध राजस्थान सरकार का रहा है, यह उनको क्या मालूम फैक्ट्स और आंकडों की बातों पर उनका कोई ध्यान नहीं दिलाया गया। और ज्यादा उल्लेख न करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कैसे फाइनेंसियल कारपोरेशन की बात टाली गई, उसके भी कर्त्ता-धर्त्ता के रूप में इनको ही रखने की मेरी शिकायत है या दूसरों की है वह भी जाने दीजिये पर राजस्थान के व्यापारियों को यह शिकायत है कि यह काम व्यापार पनपाने के लिये नहीं, अपने भाई-भतीजों को प्रोत्साहन देने के लिये किया गया है, उनको पैसा बांटा जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया--इस पर तो काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह तो अभी प्रस्तावना ही है इस में अभी से परेशानी क्यों है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज पर बहुत सख्त ऐतराज करता हूं। इस तरह के शब्द किसी माननीय सदस्य को इस्तेमाल करना चाहिये या नहीं।

श्री अध्यक्ष--सामने वाला जो बात कहे उसे थोड़ा सीमा के अन्दर रह कर कहना

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह तो प्रस्तावना ही है, अभी से परेशानी का कोई कारण नहीं है, [इसमें ऐतराज का क्या कारण है यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री रामकिशोर व्यास--How is this within the scope of the Demand?

श्री अध्यक्ष--One thing more I will take to request the Hon'ble Members. What I have been feeling from the very strat of this session is that the language in which the Members address others, that must be more dignified and must befit the decorum of this house.

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, मैंने तो ये शब्द कहे कि यह मैं तो अभी प्रस्तावना ही कर रहा हूं इसलिये कल जिन बातों का उल्लेख हो गया थोड़ा बहुत उनको फिर से कहना आवश्यक हुआ। अब नई जो चीज कहनी है, उसके बारे में अब विस्तार से जिक्र करूंगा। इसमें ऐसी कौनसी चुभने वाली या ऐतराज वाली बात पेश आई यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--Well, if the Hon'ble Member wants, I object to his addressing a Central Minister as 'Ajit Prasad Jain' without any 'Shri' or anything, and the way in which he has addressed the Leader of the House, that also does not behave him. The tone, the way in which he says, that why he is perplexed or so, is objectionable and I take serious objections to this and I rather feel hesitant at various times to intervene in the middle, but then it will be my unpleasent duty to do so. Members should take special care not to address the members by name, not to address them by their any other surname, but to address them by their constituencies, by their designation which they hold in their constituency, because all this will lead us to the personal things and they are not going to raise the standard of the debate.

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो मैं जिक्र कर रहा था अध्यक्ष महोदय, इस बात का कि भारत के वाणिज्य मंत्री, श्री अजितप्रसाद जैन महोदय, ने शायद बीच में पड़कर यह निपटारा करने का फैसला कर लिया हो पर बावजूद इसके कोई इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं है कि राजस्थान सरकार की ओर से और राजस्थान के श्रीमान् माननीय मुख्य मंत्री महोदय की ओर से यथावत् श्री रामनाथ पोद्दार महोदय को इस प्रकार की रियायतें दी जावें जो अवान्छनीय हैं, राज के हित में नहीं हैं, टैक्स पेयर के साथ गैर वाजिब रूप से अन्यायपूर्ण तरीके से यह साफ साफ ज्यादती है। इस प्रकार की सरकार की नीति की ओर मैं संकेत कर रहा था। इस नीति के बारे में यह आलोचना कोई एक या दो मिसालों के ऊपर मैं आधारित करता हू, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी आपके सामने और कई चीजों का जिक्र करूंगा लेकिन इसके पहले एक विशेष चीज का जिक्र करना चाहूंगा कि जिनके बारे में मैं सोचता हूं कि वे काफी महत्व रखती हैं मेरी इस बात से। मैं आपसे अर्ज करूं अध्यक्ष महोदय, कि इस नीति की पराकाष्ठा पहुंच चुकी है और वह पहुंच चुकी है एक वर्ष पहले। आज से एक वर्ष पहले राजस्थान की सरकार ने अजमेर राज्य की प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तीन हजार रुपये का चन्दा दिया और तीन हजार का चन्दा दिया इतना ही नहीं, लेकिन एक पोलिटिकल पार्टी को चन्दा देना राज्य सरकार द्वारा यह कहां

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तक उचित है इसके बारे में न सिर्फ मेरा या और दूसरे माननीय सदस्यों का एतराज हो सकता है बल्कि होना चाहिये और है भी; बल्कि राजस्थान के अकाउण्टेण्ट जनरल मिस्टर खन्ना उनका भी एतराज है। उन्होंने भी राज्य सरकार को इस पर एतराज करते हुए पत्र भेजा और उन्होंने यह कहा कि इस प्रकार का कार्य विशेष पोलिटिकल पार्टी का कार्य हो सकता है अथवा ओब्जेक्शनेबल चीज यह की गई है।

मुझे चूंकि वापिस प्रत्युत्तर देने का मौका नहीं मिलेगा और संभव है इस मामले पर भी वैसे ही टालमटोल किया जावे इसलिये मंत्री महोदय चाहें तो मैं इसका एग्जेक्ट रेफरेन्स दे सकता हूं। केबिनेट डिसीजन इस पर २९ अगस्त, १९५५ को हुआ और ए. जी. महोदय ने जो ओब्जेक्शन दिया है वह २९ जून, ५६ का है। उनका इस बारे में डी. ओ. लेटर नम्बर १५८७ है।

श्री अध्यक्ष—Is it not repetition ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—That was not referred to anywhere.

श्री अध्यक्ष—Is it not in the cut-motion?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Nowhere in the cut-motion; I referred to this, Sir.

श्री अध्यक्ष—All right.

श्री हरिकृष्ण व्यास—ए. जी. महोदय ने राज्य सरकार को जो शब्द लिखे हैं वे भी आपकी सूचना के लिये और आपके जरिये अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय की सूचना के लिये मैं सदन में प्रस्तुत कर देता हूं।

> "Objectionable, in as much as it was an aid to a political party. This may be further the political ends of such party."

ए. जी. तो किसी पार्टी को नहीं बिलोन्ग करते। ए. जी. का दृष्टिकोण तो सीमाबद्ध नहीं माना जा सकता। लेकिन जो टीका करने के बारे में सरकार के मंत्री महोदय, अथवा उधर बैठने वाले सदस्य महोदय, इतने नाराज होते हैं तो फिर उनकी इस नाराजगी का नतीजा यह होना चाहिये अध्यक्ष महोदय, कि वे अपने कर्त्तव्य सुधारें। गुस्सा यदि आवे तो वह फायदेमन्द हो सकता है यदि इससे उनके कण्डक्ट में सुधार हो। लेकिन केवल गुस्सा मात्र आना तो मैं समझता हूं कि यह प्रजातन्त्र के उसूलों के साथ भी न्याय नहीं है और न उनके अपने खुद के प्रति भी न्याय है। बल्कि मैं तो यहां तक आज बताने की स्थिति में हूं और मैं निश्चित तौर पर यह बताने की स्थिति में हूं कि यह ए. जी. का ऐतराज आने के बाद राजस्थान के सचिवालय में खलबली सी मची। फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और मुख्य मंत्री महोदय की भी दौड धूप शुरू हुई और मैंने ऐसा सुना है कि अब आइन्दा से ऐसा खर्चा नहीं किया जावेगा, आइन्दी से किसी पार्टी को डोनेशन नहीं दिया जावेगा। ऐसा यह निर्णय करके ए. जी. के पास भेजा गया है इस दरख्वास्त के साथ कि यह मामला अभी एक अकेला हो गया है तो इसे जाने ही दिया जावे। मेरी कही हुई बात में यदि कहीं गलती हो तो मैं उनके एग्जेक्ट वर्ड्स हुक्मों के और आवश्यकता पडे तो एकाध दो नोटिंग्स भी प्रस्तुत करूंगा।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अब यह चीज जो होती है, अध्यक्ष महोदय, आप खुद कल्पना कीजिये कि यह राज्य सरकार है या किस किस्म की इसको हम बनाते जा रहे हैं। आप किसी कारण से दीजिये, किसी चीज के जरिये दीजिये, आखिर कांग्रेस भी एक पार्टी ह। एक जमात है, इस देश के अन्दर। एक पोलिटिकल पार्टी है और राजस्थान सरकार एक पोलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे। डोनेशन दे इतना ही नहीं है, लेकिन जब उसके पेमेण्ट में कुछ थोडी देरी होने लगी, ऐसा अनायास किया हुआ काम नहीं है, अध्यक्ष महोदय, जब उसके पेमेण्ट में देरी होने लगी तो २९ जून, १९५५ का जो डिसीजन, मुझे माफ करें, २९ अगस्त, १९५५, का जो केबिनेट का डिसीजन है, उस केबिनेट के डिसीजन के बाद में एक बार थोडी देर हो गई तो माननीय मुख्य मंत्री जी दौरे से वापिस आये और दौरे से वापिस आकर ३०-१०-५५ को यह हुक्म फरमाते हैं कि इस बारे में केबिनेट निश्चय कर चुकी ह तो फिर देरी कैसे हो गई, उसकी सूचना दें। यदि न सिर्फ गलत निर्णय होने लगे लेकिन उन निर्णयों को लागू करने में किसी को हिचकिचाहट हुई कि पोलिटिकल पार्टीज को इस प्रकार से फण्ड क्यों दे रहे तो दौरे से वापिस आने के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार से हुक्म निकालते हैं; फाइल पर कि 'जब हम इस के बारे में निर्णय ले चुके हैं'। 'हम' शब्द उस निर्णय में दो बार आ चुका है और By the way 'केबिनेट' अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो इस संबंध में वे ३०-१०-५५ को दौरे से आकर हुक्म करते हैं कि देरी क्यों की जा रही है, तो इसका तात्पर्य क्या है ? इसका तात्पर्य यह है कि एतराज होने के बावजूद भी यह समझ कर कि कौन पूछने वाला है। हम सेन्कशन कर सकते हैं। अगर शिकायत की ही जायगी तो बहुमत के जोर पर गलत कार्य को भी असेम्बली में पास करा लेंगे। इस गलत किस्म की महत्वाकांक्षा को दिमाग में रखते हुए ये कार्य किये जाते हैं, तो यह महत्वाकांक्षा, एकतरफी महत्वाकांक्षा, तनाशाही की ओर ले जाने का तरीका है। यह राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा, प्रजातन्त्र की हत्या की ओर ले जाने का तरीका है। यदि इसकी जप्ती नहीं की गई, इसको आगे बढ़ने से रोका नहीं गया तो संभव है, अध्यक्ष महोदय, कि आम चुनावों के समय सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा। मेरा इन चीजों का इस समय कहना अत्यन्त आवश्यक है कि आगामी आम चुनावों में यह स्थिति पैदा न हो। जो सरकार कांग्रेस कमेटी को चन्दे के रूप में ३ हजार रुपये दे सकती है तो यह कल्पना की जा सकती है कि आम चुनावों के समय में वह सरकारी मशीनरी का कितना दुरुपयोग करने की स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिये इसको सुधारना चाहिये। सरकार जिम्मेवार तरीके से अपनी गलती को कबूल करे। अपनी भूल को कबूल करते हुए यह कहना होगा कि हमने फण्डस् दिये, वह इस तरह से हमको नहीं देने चाहिये। इन चीजों को जो लिया गया है वह इन चीजों की ओर संकेत करने की नीयत से ही लिया गया है। उसके बगैर उसका अन्त नहीं हो सकता है।

जिन बातों पर कल बहस हो चुकी है उनको फिर यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है, यह मैं मानता हूं। कम से कम एक बात की ओर संकेत करना आवश्यक समझता हूं। वह यह है कि एक विचित्र बात पाई जाती है कि चाहे होम डिपार्टमेण्ट हो या ऐजूकेशन डिपार्टमेण्ट हो, चाहे वह रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट हो या चाहे वह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेण्ट हो, आज से की जाय या बरसों पहले से किया जाय कि गलतियां पाई गई और उन गलतियों के प्रति एतराज किया गया तो पुराना होने के बाद में उस गलती को सुधारने, संबंधित आदमियों के संबंध में कुछ कार्यवाही करने के बारे में या तो जानबूझ कर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

या अनजाने में बहुत बड़ी ढिलाई का प्रदर्शन किया जाता है। मैं तो कहूंगा कि एजूकेशन डिपार्टमेण्ट में पिछले डेढ साल से मंजूरी हो चुकी है लेकिन इस तरह जिसको इनकमफरटेबल फील करते हैं और उनको डिसपोज नहीं करना होता है तो वे इधर उधर फाइलों को लेके चले जाते हैं। मैं इस इरादे को ले कर नहीं आया हूं कि पुरानी बातों को दोहराया जाय। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि डेढ साल से जितनी भी समस्यायें या घटनायें उपस्थित हुई हैं और जिनका इसके पहले उल्लेख हो गया है, कल माननीय मंत्रीजी मौजूद नहीं थे और आज चुनाचे वे महरबानी से मौजूद हैं। उन दोनों के बारे में गत अधिवेशन में सदन में एलान किया गया था, और एलान जो किया गया था, उसके विपरीत में कार्य उन्होंने किया। उनकी डिप्टी मंत्राणी महोदया ने किया, उनके सेक्रेटरी ने किया और ३१ तारीख की रात को ८ बजे उन्होंने खुद ने किया। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि गलती है और उस गलती के बारे में ऐसे बोलने में नापसन्दगी का रुख लेंगे, उसको टालने का रुख लेंगे और संबंधित अधिकारियों को दण्ड देने के बारे में हिचकिचाहट बरतेंगे तो क्या नतीजा होगा? उसका नतीजा यह होगा कि ऐसी दशा में राज्य के अधिकारियों में बहुत ढिलाई आजायगी। वे गलत मोड पर जाने लगेंगे, और वह गलत मोड रोजमर्राह की गलतियों से ज्यादा खतरनाक होगा। मैं केवल इस ओर संकेत करना चाहता हूं।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्व की चीज जो कि राजस्थान में काम हुए हैं, जिनका संबंध राज्य सरकार के कार्यों से है, बल्कि यह समझना चाहिये कि कार्य नहीं करने से है, उसकी ओर संकेत करके मुझे जो अर्ज करना है, उसको समाप्त करूंगा। वह राजस्थान में होने वाले एम्बेजलमेण्ट केसेज के बारे में है।

एम्बेजलमेण्ट के सिलसिले में कोई विशेष केस को लेने की आवश्यकता नहीं है ......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि एम्बेजलमेण्ट से और एप्रोप्रियेशन बिल से क्या संबंध है?

श्री अध्यक्ष (श्री हरिकृष्ण व्यास से)—एम्बेजलमेण्ट हैं क्या इसमें?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें इस बात का उल्लेख है, अध्यक्ष महोदय, कि एक सज्जन ने दावा किया है सरकार के ऊपर पैसे के लेन-देन का। उस दावे में सरकार हार गई और हार जाने के बाद रुपया चुकाया जायगा। वह रुपया जो है, उस रुपये का ऐसे केस से संबंध है, जिसके सिलसिले में अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं नहीं समझ सका कि यह 'एम्बेजलमेण्ट केस' कैसे हुआ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—एम्बेजलमेण्ट केस के रूप में जांच चल रही है। रुपया उसने अदालत में ले लिया है लेकिन जहां तक उस पर्टीक्युलर केस का ताल्लुक है वह केस एम्बेजलमेण्ट एन्क्वायरी कमेटी के पास में है। अध्यक्ष महोदय, अब यह कमेटी के पास है या कहां है, वह माननीय मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो फिर मुझे इतना ही आपसे कहना है, ज्यादा कहना नहीं है; क्योंकि इसमें अकेले मेरा ही नुकसान उसमें हो रहा हो या उधर बैठने वाले सदस्यों का हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। सारे राज्य का नुकसान हो रहा है। ४०० केसेज हैं। अध्यक्ष महोदय, और लाखों रुपयों की तादाद का उनका आंकडा है, और पांच-पांच साल के पुराने केसेज अभी तक तय नहीं हुए हैं, और तय होने के बाद भी जैसा कि मैंने कल यह अर्ज किया था कि शिकायत हुई, जांच हुई, जांच के बाद कमेटी बैठी, कमेटी ने जांच की, कमेटी के बाद इन्क्वायरी आफिसर बैठा, इन्क्वायरी आफिसर ने जांच की, और जांच होने के बाद निर्णय हुआ, और निर्णय होने के बाद में उस संबंधित आदमी को वार्निंग दी गई, और वार्निंग की भी उसकी सर्विस शीट के अन्दर एण्ट्री नहीं है। राजस्थान सर्विसेज रूल के अन्दर वार्निंग नाम की कोई चीज पनिशमेण्ट के रूप में रखी ही नहीं गई है। उसका क्या तात्पर्य समझा जाय। इसका केवल एक ही तात्पर्य समझा जा सकता है कि अगर कोई ऐसा कार्य हो गया है तो उस कार्य की ओर से आंख मूंद ली जानी चाहिये। वहां आंखें मूंदी जाती हैं। मैं आपका इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट, १९५५ की ओर थोडा सा वक्त लेकर संकेत करता हूं और जो कुछ इस सिलसिले में कहना है वह समाप्त कर दूंगा।

वह मामला सिविल सप्लाईज से ताल्लुक रखता है। वह केस श्री दुलीचन्द त्रिवेदी के बारे में है, जिन सज्जन को वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय, जो कि उस समय सिविल सप्लाईज मंत्री थे; उनके आर्डर के मुताबिक ज्वार देने का निर्णय हुआ था, लेकिन उनको ४१ हजार रुपये केश दिये। मैं एक मिनिट में उस केस की पूरी की पूरी जानकारी आपको प्राप्त करा पाऊंगा। उन सज्जन ने १२ रुपये के हिसाब से मक्का खरीदी और सरकार ने १८ रु. ५ आ. की रेट से पेमेण्ट किया और इसके साथ ही १७५ मन मक्का उनको सरकार द्वारा दी गई तहसील से और वही की वही मक्का उन्होंने वापिस लाकर सरकार को दी और उसका भी १८ रु. ५ आने के हिसाब से पेमेण्ट किया गया है और अब जब कि पेमेण्ट १० रु. ५ आ. ३ पाई के भाव से उनसे लिया गया, तो ८) मन के हिसाब से यह डोनेशन क्यों दी गई? इसका उल्लेख कल हो चुका था अध्यक्ष महोदय, (घंटी) शायद उनको मालूम न हो। मुझे ज्यादा याद रहता है, मुझ से पूछ लो।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—इसीलिये घंटी बजाई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हालांकि मैंने इसका कल उल्लेख कर दिया था लेकिन आज उल्लेख इसलिये कर रहा हूं कि इसका कोई उत्तर नहीं मिला था। उस समय के सिविल सप्लाईज मंत्री थे; इसलिये उत्तर न मिला हो और इसीलिये मैंने आज इसका उल्लेख किया है। जांच चल रही थी और चूंकि उस समय के सिविल सप्लाईज मंत्री कल यहां मौजूद नहीं थे और आज वे यहां मौजूद हैं और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने उल्लेख किया है, ताकि उनको ध्यान देने का मौका मिल जाय। मुख्य मंत्री उस समय के सिविल सप्लाईज मंत्री थे। उनके हुक्म से यह किया गया था, जब कि वे वहां पर दौरेपर गये थे। ऐसा ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज है। उसके आगे पीछे की बात तो मैं नहीं जानता। वह या तो उस वक्त के सिविल सप्लाईज मंत्री जानें, आडिट करते हैं वे ए. जी. जानें या कलेक्टर जाने। आडिट

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रिपोर्ट में जो उल्लेख की हुई चीजें हैं वे मैंने आपको बताई। किसलिये बताई, उसका मैं उल्लेख कर चुका हूं। उनसे वसूली करने का जब मामला आया तो उसका महीनों तक एडजोर्नमेण्ट हुआ इसलिये कि वे इलेक्शन में कैण्डीडेट खड़े हुए थे। डेढ़ साल तक कलेक्टर ने वसूली नहीं की। इलेक्शन का उसमें उल्लेख आया है। वे सज्जन इलेक्शन में खड़े हुए थे। इलेक्शन का जिक्र आया इसीलिये मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी चीजें हुई थीं। किसको मालूम कि ४१ हजार इलेक्शन में प्रचार के लिये खर्च हुए, किसको मालूम कि क्या हुआ, किसको मालूम कि मौके पर मंत्री महोदय आये या नहीं ? बाद में कलेक्टर यह कहे कि चुनाव की वजह से रोकना चाहिये; यह सरकारी मशीनरी का अपनी पार्टी के लिये दुरुपयोग करना है। यह एक प्रवृत्ति शुरू हो गई और इस विशेष प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने आपका और सदन का समय लिया और मैं चाहूंगा कि सरकार अब भी मौके की गंभीरता को देख कर सोचे। अजमेर कांग्रेस को ३ हजार का चन्दा दिया। इसके लिये ऑडिट ओब्जेक्शन था। उसको रफा-दफा करने के लिये सरकार सूचनायें देती रही। उसके लिये स्पष्ट उल्लेख करें कि आयन्दा ये चीजें नहीं होंगी, नहीं तो यह राजस्थान की जनता के लिये खतरा मौजूद रहेगा। यह मैंने सदन के सामने निवेदन कर दिया।

श्री अध्यक्ष (श्री मानसिंह महार के बोलने के लिये प्रस्तुत होने पर)—आप तो कल बोल चुके हैं।

श्री जगतसिंह झाला—४-५ मिनिट के लिये मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—किस डिमाण्ड पर ?

श्री जगतसिंह झाला—राजस्थान में जागीरों के प्रश्न को लेकर जो संपर्क अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि······

श्री दामोदरलाल व्यास—There was cut motion and that was already discussed.

श्री जगतसिंह झाला—मैं मौलिक बातों पर ही विचार प्रकट करूंगा।

श्री अध्यक्ष—कट मोशन पर बोल चुके हैं।

श्री जगतसिंह झाला—कट मोशन पर अर्ज कर रहा हूं। इधर यह चीज हो रही है और उधर बड़ा असंतोष है।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य कट मोशन पर कल बोल चुके हैं।

श्री जगतसिंह झाला—उसके सिवाय दूसरी बातों पर निवेदन करूंगा। दूसरी ओर विशेष परिस्थितियां हुई हैं।

श्री अध्यक्ष—सुन लीजिये।

श्री जगतसिंह झाला—मेरा अभिप्राय यह है कि राजस्थान के अन्दर जागीरी समस्या को ठीक तरह से सुलझाया जाय। जो राज्य सरकार की नीति है, उससे तो यह समस्या और उलझती जा रही है। भीलवाड़े में बहुत कम सदस्यों ने फोर्म भरे हैं। तालाबों की समस्या को लेकर परिस्थिति बडी विकट बनती जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि जो जागीरदारों के पर्सनल तालाब हैं, जिनकी लिस्टें दे दी गई हैं उनको लेकर सरकार के अधिकारियों ने ऐसा कर दिया है कि उनको इरीगेशन डिपार्टमेण्ट या पंचायतों में दे दिया है। चित्तौड़ जिले के ही तालाबों को ले लीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह किस चीज से किसका किससे ताल्लुक है। एप्रोप्रियेशन बिल के किस आइटम से, किस डिमाण्ड से और किस हैड से यह ताल्लुक रखता है। यह तो हेल्दी कन्वेन्शन नहीं होगा कि एप्रोप्रियेशन बिल पर इस प्रकार के डिस्कशन हों।

श्री अध्यक्ष—ये तो कट मोशन पर होने चाहियें।

श्री जगतसिंह—हम संपर्क अधिकारी मुकर्रर करके जागीरों के मामले को निपटाने जा रहे हैं, उस विषय में मैं विशेष बातें बतलाना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—No, No, not that. एक स्टेज तो वह होती है जब कि बजट पेश होता है, उस पर जनरल डिस्कशन करें और दूसरी स्टेज होती है वह यह कि गवर्नमेण्ट का ध्यान उन्हीं मुद्दों पर आकर्षित करें, जिनका ठीक उत्तर मिले। स्पेसिफिक अटेन्शन ड्रॉ करने के लिये केवल कट मोशन रखे जाते हैं। सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्स में वाद-विवाद की सीमा केवल इस पर सीमित रह जाती है कि जो सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्स हैं उसके बारे में कट मोशन्स आयें और कट मोशन्स दिये हैं तो उन पर बोल सकते हैं। एप्रोप्रियेशन पर तो कोई गुन्जाइश नहीं। उनकी आवृत्ति करके कट मोशन रखें तो यह दुरुपयोग होगा।

श्री जगतसिंह झाला—मैं तो आज्ञा शिरोधार्य करता हूं जैसा हुक्म फरमायेंगे, लेकिन यह जो एक जटिल प्रश्न है, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—कट मोशन में रख दिया।

श्री जगतसिंह झाला—कट मोशन मेरा नहीं था। कट मोशन जरूर था कि जागीरों पर जो खर्चा किया जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। खर्चा इस प्रकार से नहीं होना चाहिये कि जिससे समस्या और उलझे। तालाबों के प्रश्न को लेकर बड़ी सादड़ी में समस्या उलझी हुई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, अच्छा यह हो कि लाइजन ओफिसर की नियुक्ति की वजह से बडी सादडी के तालाब का प्रश्न कैसे उलझ गया, यह बता दें?

श्री जगतसिंह झाला—वह ऐसे नहीं उलझा है। सामुदायिक योजना पर बोलते हुए फरमाया था कि आपके यहां यह करवायेंगे, लेकिन उन तालाबों को रोक दिया गया है; पर्सनल लिस्ट में वे दर्ज किये गये हैं। तालाबों पर काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस के मेम्बर कहते हैं कि ये कराये जायं। जागीरदार कहते हैं कि ये हमारी पर्सनल लिस्ट में हैं। यह कार्य एक तरह से उलझता ही जा रहा है।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष—आप भी बोलेंगे ।

श्री मानसिंह महार—दो आइटम्स रह गये हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप वैसे ही जनरल बातें बोलते हैं।

श्री मानसिंह महार—ज्यादा स्कोप दे दिया जावेगा तो आभारी होऊंगा, अध्यक्ष महोदय ।

माननीय अध्यक्ष, एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में निवेदन करते हुए मैं कुछ बातें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में निवेदन करूंगा । राजस्थान के अन्दर कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जिनको देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि सरकार को उन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये । ध्यान ही क्या, मैं तो यह समझता हूं कि आज राजस्थान सेक्रेटेरियट जिस तरह से चल रहा है उस बात को देखते हुए वहां पर परिवर्तनों की अत्यन्त आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सेक्रेटेरियट के अन्दर आज एक प्रकार की ऐसी गुटबाजी स्थापित हो गई है कि जिससे समस्त आई. ए. एस. और आर. ए. एस. के कर्मचारी हैं, उनमें बड़ा भारी असंतोष है । इस गुटबाजी का नतीजा, अध्यक्ष महोदय, यहां तक पहुंच चुका है कि राजस्थान के आर. ए. एस. एसोसियेशन ने कुछ दिनों पूर्व एक प्रस्ताव भी पास किया था जिसके अन्दर कहा गया था कि हमारे वर्तमान एडीश्नल चीफ सेक्रेटरी जो हैं वे ज्यूनियर आदमी हैं और उनको इतना ऊंचा पद देना और उनको इस प्रकार से अख्तियारात देना बहुत गलत चीज है ।

श्री अध्यक्ष— Is It proper to discuss the member of the services here.

श्री मानसिंह महार (जारी)—मैं नाम तो ले नहीं रहा हूं ओहदे की बात कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—वह बाकी रह गया हो तो वह ले लीजिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, कौनसी डिमाण्ड पर इनका कट मोशन रह गया है, जिस पर आप बोल रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार—मैं तो आई. ए. एस. लोगों की धांधली के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री घोसीसिंह—जो कहना होवे, वह कह लेने दो ।

श्री मानसिंह महार—मैं तो ठाकुर साहब की तरह मांग नहीं करता, लिस्ट लेकर बैठा हूं ।

श्री अध्यक्ष—वह ठीक है लेकिन संबंधित बात कहनी चाहिये ।

श्री मोहनलाल खाड़िया—शायद वे कहना चाहते हैं एडीश्नल सेक्रेटरी के लिये, परन्तु कह गये एडीश्नल चीफ सेक्रेटरी के लिये ।

श्री मानसिंह महार—मैं इसी पोइण्ट पर आ रहा हूं ।

Page No 44

श्री अध्यक्ष—आपकी बात को समझ गये हैं, अब चाहे न भी कहें।

श्री मानसिंह महार—जो गोलमाल हो रहा है उसको मुख्य मंत्रीजी जानते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कोई गोलमाल नहीं हो रहा है।

श्री मानसिंह महार (जारी)—आज सेक्रेटेरियट में एक गुट बना हुआ है, जिसके कारण केवल कुछ छोटे आई. ए. एस. ऑफिसर जिस प्रकार चाहते हैं, उसी प्रकार करवा लेते हैं। मैं इसके बारे में एक छोटी सी मिसाल दे दूं। वर्तमान एडीशनल सेक्रेटरी महोदय जो हैं, वे हालांकि १,००० रु. के आस पास की तनख्वाह पाते हैं, हालांकि उसके भी हकदार नहीं हैं, लेकिन १,२०० से अधिक तनख्वाह पाने वाले जैसा बंगला मिलता है, वैसे बंगले में रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी के बराबर में वैसा बंगला उनको एलोट किया गया है। यह विशेष महरबानी के कारण है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, एलोटमेण्ट चाहे जैसा करें लेकिन वह कानूनी तरीके से होना चाहिये। यह कानूनी बात है।

दूसरी बात यह है कि आर. ए. एस. और आई. ए. एस. के स्टेन्डस्टिल का जो तरीका है, उससे असंतोष है। मैं यह मानता हूं कि मुख्य मंत्रीजी कोशिश करते हैं। जितनी कोशिश करते हैं, वह नाकाफी है और जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं करते। बदइन्तजामी चरम सीमा तक पहुंच गई है। मैंने नम्रता के साथ उनसे दो बार अर्ज किया कि हमारे आमेर सब-डिविजन में २ महीनों से एस. डी. ओ. नहीं है। आप फरमाते हैं कि मत कहो······

श्री अध्यक्ष—उस सब-डिविजन के लोग ला अबाइडिंग होंगे।

श्री मानसिंह महार (जारी)—हमारे सारे मुकद्दमें ठप्प पड़े हैं। तारीखों पर तारीखें दी जाती हैं। दो महीने हुए भूतपूर्व एस. डी. ओ. को दिल्ली गये हुए, आज तक किसी ने उनका चार्ज नहीं लिया है। अभी जवाब यह आयगा कि ओर्डर हो चुका है, जल्दी ही चार्ज लेंगे। यह उन्हीं एडीशनल सेक्रेटरी की कृपा से है। कितनी देरी लगती है। जब जयपुर में यह हाल है और इतनी देरी हो जाती है, जब कि इतने नजदीक हैं और इस सब-डिविजन में रहने वाले दांता रामगढ और जमुआ रामगढ़ से आने वाले एम. एल. ए. हैं तो दूसरी जगह तो शायद साल भर में भी ओफिसर नहीं पहुंच पाते होंगे। यह एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है। मंत्रीजी से कहा तो कहा कि एस. डी. ओ. नहीं है, तो ए. डी. एम. काम करते हैं। ए. डी. एम. के काम के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि एक दफा डेवलपमेन्ट कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। उसमें मुझे भी जाना था, इसलिये मैं गया। पहले तो यह भी पता नहीं चला कि किस जगह मीटिंग है। जलेबी चोक बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिये एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते फिरे। आखिर में ए. डी. एम. के दफ्तर का पता चला। उनके दफ्तर में एक घंटे तक बैठे रहे। वे केस वर्क कर रहे थे। मैंने उनके काम में हर्जा करना उचित नहीं समझा। फिर मैंने उनके पास स्लिप भेजी परन्तु काफी देर तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं स्वयं उनके पास गया और उनसे कहा कि आपने मीटिंग रखी थी वह कब होगी, ११ बजे का समय था और अब एक बज गई है, मीटिंग होगी या नहीं? यदि नहीं होगी तो चपरासी के साथ फरमा देते। तब उन्होंने कहा मीटिंग तो एडजोर्न करदी गई है क्योंकि ११। बजे तक कोई नहीं आया और उस मीटिंग से मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है। एस. डी. ओ. आयेंगे, तब होगी। यह हमारे सब-डिविजन की हालत हो रही है। इस पर भी जब

[श्री मानसिंह महार]

हम बोलने लगते हैं तो कहते हैं कि कट मोशन कहां है ? कट मोशन हमारी तकदीर में लिखा है, जिसके कारण २ महीनों तक एस. डी. ओ. नहीं पहुंचते और मुकद्दमों की तारीखें पड़ती हैं, फिर भी यह कहा जाता है कि कट मोशन कहां है ? यदि आप राजस्थान की जनता को सुखी करना चाहते हैं तो राजस्थान में कई ऐसे आदमी हैं, जिनके नाम में पूरा नहीं जानता, लेकिन आप ऐसे आदमियों को एडीशनल सेक्रेटरी बनाइये जो कम से कम १५ दिन में अफसरों को अपनी जगह पर पहुंचा दें। ये फैक्ट्स हैं। किसी के नाम का मैं पक्षपात नहीं करता और मुख्य मंत्रीजी जिनको उचित समझें, उनको इस पोस्ट पर लगावें लकिन ऐसे आदमियों के साथ पक्षपात करना उचित नहीं है। ये सज्जन बहुत जूनियर आदमी हैं। इसके अलावा एक चीज और है। सेन्टर में और दूसरे प्रान्तों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आई. ए. एस. की दो वर्ष की ट्रेनिंग के बाद सेक्रेटरी या कलेक्टर बना दिया जाय। केवल राजस्थान में ही २ वर्ष की ट्रेनिंग वालों को कलेक्टर बना दिया जाता है। जरा ध्यान फरमाइये, २ वर्ष में ही वे कलेक्टरी करने लगते हैं। जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के आई. ए. एस. के लिए स्टेन्डिंग ओर्डर है कि कलेक्टर की पोस्ट के लिये कम से कम ४ साल या ६ साल का स्टेन्डिंग एक्सपीरियेन्स आवश्यक है। लेकिन यहां यह कुछ नहीं देखा जाता है। यहां तो ऐसे आदमी आते हैं, जिनको एक दम कलेक्टर बना दिया जाता है। साल ६ महीने काम करते हैं और वे छुट्टी ले लेते हैं क्योंकि वे एस. डी. ओ. के पद को नीचा समझते हैं। पुराने जमाने में यह था कि नीचे से ऊपर जाने वाले तजुर्बेकार आदमी को ऊंचा ओहदा मिलता था लेकिन बाहर से आने वाले आई. ए. एस. अफसरों को फौरन ऊंची जगह मिल जाती है। हमारे राजस्थान के आई. ए. एस. हैं, उनकी बेइज्जती की जाती है और वे मजबूर होकर बाहर जाते हैं। किसी को कंसोलिडेशन में और किसी को कहीं भेजा जाता है और बाहर से आने वाले जो हैं, उनको सेक्रेटेरियट में भेजा जाता है। इसमें दूसरों के लिये बोलने की गुंजायश नहीं है, बोलें तो मारे जावें। ऐसे ऐसे सीनियर ओफिसर हैं, जो किसी की खुशामद नहीं करते इसलिये वे मजिस्ट्रेट और नीचे की जगहों पर पड़े हैं; आर. ए. एस. की लिस्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

आज मुझे डर था कि मैं बोलूंगा लेकिन बदकिस्मती से मुख्य मंत्रीजी जवाब देने के लिये यहां मौजूद नहीं होंगे क्योंकि उनका कहीं जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मुझे खुशी है कि इस समय वे मौजूद हैं; हालांकि मैं उनसे जवाब की आशा नहीं रखता कि वे कुछ बख्शेंगे। लेकिन यदि वे इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो भी बहुत कुछ हो जायगा। एक बात तो मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुत्तलिक कही।

दूसरी बात मुझे पुलिस के बारे में कहनी है। यदि अध्यक्ष महोदय, आज्ञा दिलवायेंगे तो, क्योंकि कल इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था।

श्री अध्यक्ष—भैरूंसिंहजी ने तो कहा था।

श्री मानसिंह महार—मैं तो कुछ और ही बात अर्ज करना चाहता हूं। पुलिस विभाग के बारे में मैं पहले यह अर्ज कर दूं कि वर्तमान में जो व्यवस्था है उससे मुझे बहुत-कुछ संतोष है, यह नहीं है कि मुझे उससे असंतोष है। लेकिन मैं ऐसे मसले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो बहुत गंभीर है······

श्री अध्यक्ष--वह उसमें है कि नहीं, जो डिमान्ड है ?

श्री मानसिंह महार--पुलिस की डिमान्ड के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष--मद् कौनसा है ?

श्री मानसिंह महार--मद् में अर्ज करता हूं । जयपुर शहर में हमारे धार्मिक स्थान गोविन्ददेवजी और गोपीनाथ जी के मंदिर हैं, जिनमें चोरियें हुई । उन चोरियों को साल डेढ़ साल हो गया । अध्यक्ष महोदय, यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि उन चोरियों का कोई पता नहीं चला । मैं निवेदन करूंगा कि मैं बार बार ....

श्री बृजसुन्दर शर्मा--अध्यक्ष महोदय, आपने अभी फरमाया था कि कट मोशन नहीं लाया गया हो तो जनरल बात हो तो कहें, यदि कोई स्पेसिफिक मैटर था तो कट मोशन लाया जा सकता था । गोविन्ददेवजी के मंदिर के लिये कट मोशन पेश करना था, लेकिन कट मोशन पेश नहीं किया गया । इसलिये आपने कहा कोई जनरल बात हो तो कहें । यह कन्वेन्शन ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--It is wrong.

श्री मानसिंह महार--यह तो आखिरी सेशन है । इतनी इजाजत तो दे दीजिये । नये चुनावों के बाद तो हम आने वाले नहीं हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--कन्वेन्शन आगे के लिये फोर्म होते हैं ।

श्री मानसिंह महार--यहां पर बहुत से खराब कन्वेन्शन कायम हो चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष--अब आ गये न आपके दोनों मुद्दे ?

श्री मानसिंह महार--५ मिनिट और दिये जावें । जयपुर शहर में पुलिस व्यवस्था बहुत खराब है, इसलिये निवेदन किया । नया खर्चा मांगा जा रहा है । उसमें यह कहा है कि ५०० नये कांस्टेबल भर्ती किये जा रहे हैं, उनके लिये इस प्रकार के खर्चे की जरूरत है ।

इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि कान्स्टेबल्स कितने ही भर्ती कर लीजिये, जब तक सही तरीका अफसरान नहीं रखेंगे, तब तक कोई बात नहीं हो सकती । जयपुर शहर में वही एक टीम चली आ रही है ५ वर्षों से और इस टीम के कारण शहर में गड़बड़ियां होती हैं । पुलिस के मामले में यह बड़ी गड़बड़ी है । मैं नाम नहीं बताऊंगा अध्यक्ष महोदय, पर जो मामला सबजुडिस है, उस मामले को राजस्थान पुलिस पकड़ने में असमर्थ रही है । इसलिये सेंट्रल सी. आई. डी. को गवर्नमेंट ओफ इंडिया ने डेप्यूट किया और सेंट्रल सी. आई. डी. ने उस मुकदमें को खोला और उसका आज अदालत में चालान दिया । मैं डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, पर कहूंगा कि इस तरह राजस्थान में सेंट्रल सी. आई. डी. आकर मुकदमा खोले, यह राजस्थान पुलिस की अकर्मण्यता है और राजस्थान की पुलिस के लिये बहुत बुरी बात है और इसको मैं हमारे विभाग के ऊपर सेंसर ही समझता हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स पेश की गई और उनको लेकर जिस प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति पैदा हुई, उसके सम्बन्ध में आपने स्वयं ने यह फरमाया कि वाद-विवाद का स्तर और भाषा जिस प्रकार के उपयोग में लायी जाती है, मैं समझता हूं कि वह दरअसल गन्दी है। खासतौर से जब कि कुछ दिन बाद हम लोग, जिन्होंने ५ वर्ष तक एक साथ बैठ कर काम किया, उनका यह समय खत्म होकर अगले चुनाव होने वाले हैं और अगले चुनावों के बाद दूसरा मौका मिलेगा। मैं समझता हूं कि ऐसे मौके पर हम अच्छे वातावरण में एक दूसरे से अलग होते। फिर जो मिलते हैं तो अच्छा है, पर फिर नहीं मिल पाते उनके लिये तो कहना ही क्या है? पर मैं समझता हूं कुछ सदस्य इस बार यह समझ कर कि आखिरी बार ज्यादा से ज्यादा कह लिया जाय, भाषा और परम्परा सब चीजों को छोड़ कर ज्यादा से ज्यादा जोर से बोलने पर उतारू हैं। इसको तो अध्यक्ष महोदय, आप ही रोक सकते हैं, हम लोगों के लिये जो इधर बैठते हैं सिवाय इसके कि यह कहें कि यह उचित नहीं है और कोई चारा नहीं।

खास तौर से जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य का कहने का तरीका ऐसा रहता है कि सारी दुनियां भर की ईमानदारी का ठेका उन्होंने ले रखा है और बाकी सब बेईमान हैं, मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं।

जो कोई बात कही जाय, किताबों का सवाल आया, गंगानगर शुगर फैक्टरी का सवाल आ जाय, उसको रखा जा सकता है; पर जो भी बात कही जाय किसी निश्चित् आधार पर कही जाय, बगैर किसी निश्चित आधार के कोई बात नहीं कही जाय। मैंने आज आकर सुना, कल टैक्स्ट बुक्स की चर्चाओं के बारे में कहा गया, पहले किताब के बारे में चर्चा हुई, उसको रद्द नहीं करा पाये। उसमें मुख्य मंत्रीजी एक कारण हो सकता है। मैं इस तरह की बातों को कहूं, यह उचित नहीं समझता। पिछले दो साल से हमारे पास से किसी को गलत तरीके से लाभ उठाने का मौका हो, हमने हमारी जानकारी में उसे रोकने का प्रयत्न किया है। जिनके सम्बंध में कहा गया क्षमा करें, वे जिनके आधार पर असर पैदा करना चाहते हैं, वे घटनाएं पहले की हैं। किताबें नेशनेलाइजेशन के लिये छपाई गई, पिछले साल लाइब्रेरीज की बुक्स के लिये बात चली, हमने पता लगाया और इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि कोई गलत आदमी फायदा न उठा पाये, इतना ही नहीं बल्कि माननीय सदस्य मेरी जानकारी में कुछ बातें लाये, उनकी तत्काल जांच की और भी बातें जो हमारी जानकारी में लाई गईं, उनकी तत्काल जांच की गई। तो इससे यह कहें कि राजनैतिक लाभ है, यह कहने का तरीका गलत है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी भी प्रतिष्ठा है, हम लोग भी इज्जत रखते हैं, हमने भी कुछ वर्षों तक काम किया है, जो माननीय सदस्य इज्जत रखते हैं, तो हम यह नहीं चाहते कि माननीय सदस्य चाहें वही हमारे लिये कह दें। असल परीक्षा तो जनता लेने वाली है, जब जनता के सामने जायेंगे तो मालूम होगा कि कौन ईमानदार और कौन बेईमान है।

(करतल ध्वनि)

इस सदन में कहने की स्वतन्त्रता है तो बन्धन भी स्थान पर आते हैं, कि कोई भी कहे तो कहां तक कहे और किस तरह की बातें कहे?

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अभी कहा गया कि गंगानगर शुगर फैक्टरी को इसलिये लिया जा रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। रामनाथजी पोद्दार की बात कही जाती है, मैं कोई पोद्दारजी का वकील बन कर खड़ा नहीं हुआ हूं। कानून की वजह से कोई रुकावट आये और जो हम करना चाहते थे, वह नहीं कर सके तो इसके लिये यह कहना कि अमुक आदमी को फायदा है, इसलिये हम यह नहीं कर रहे हैं, यह अनुचित है। यह हमारा रवैया नहीं रहा है। गंगानगर शुगर फैक्टरी के हर वर्ष के आंकड़े बता देना चाहता हूं। पहली साल में हमको १८०००० रुपये का फायदा हुआ, दूसरे वर्ष हमें ६९७००० रुपये का फायदा हुआ। इस साल हम आशा करते हैं कि हमें उससे ८००००० रुपये का फायदा होने वाला है। कोई पूंजीपति को इससे फायदा हो इस गरज से यह काम नहीं किया गया है, आज तो सदन के माननीय सदस्यों को मानना चाहिये कि गंगानगर शुगर फैक्टरी के बारे में जो निर्णय लिया गया है, वह सोच समझ कर अच्छा निर्णय लिया गया है। राजस्थान सरकार को उससे फायदा हुआ है। केवल रामनाथजी पोद्दार का इससे सम्बन्ध रहा है, इसलिये आने वाले चुनावों को जोड़ कर कुछ कहा जाना चाहिये, यह तरीका गलत है। इस निर्णय के लेने से हजारों किसानों को फायदा हुआ है, राजस्थान सरकार को मुनाफा हुआ है, किसानों को उनके गन्ने के अच्छे पैसे मिले हैं, इससे किसानों को फायदा हुआ है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि उससे नुकसान हो जाता, तो क्या इससे मोटिव इम्प्यूट किये जा सकते हैं कि फलां राजनैतिक कारण से ऐसा निर्णय लिया गया। यह सोचने का तरीका सही नहीं है। सरकार को कई निर्णय लेने पड़ते हैं, उनका जिक्र यहां किया जाता है, उनके बारे में तो यहां खड़े होकर कह सकते हैं।

इसी सम्बन्ध में कहा गया कि मक्का खरीद की गई और ४१००० रुपया बाकी है, मैं मेवाड़ गवर्नमेन्ट में रसद मंत्री था उस समय का आदेश है। मैं आज कहना चाहता हूं वे तो उस फायल का पन्ना पन्ना देख चुके हैं, पन्ने पन्ने को उलट कर देख चुके हैं कि कहीं आदेश है कि नहीं, वे कहीं भी दिखा दें कि उसमें मेरे हाथ का इस तरह का आदेश है। कलेक्टर ने जो बात कही उसको लेकर कह सकते हैं, पर यह तरीका सही नहीं है; पर आखिर उनको तो कहना है, चाहे सही है या सही नहीं है, उस डिमान्ड से सम्बन्धित ही नहीं है।

एक ने कह दिया कि बच्चों का किडनेप होता है, राजस्थान पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती, बच्चों पर बड़ा अन्याय हो रहा है, राजस्थान सरकार को बच्चों के माता पिताओं के प्रति सहानुभूति नहीं और आखिर सेंट्रल पुलिस को आकर इसमें कार्यवाही करनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस केस को राजनैतिक स्वरूप दिया गया था इसलिये हमने पसंद किया कि राजस्थान सरकार के बजाय सेंटर की पुलिस कार्यवाही करे, जिससे माननीय सदस्यों को कहने का मौका नहीं मिले कि राजस्थान पुलिस ने इस केस को ढील किया और सारा मामला बिगाड़ दिया। आज इस केस से हमने अपने आपको अलग रखा है ताकि किसी को इस बात का कहने का मौका नहीं मिले कि पक्षपात किया गया है। इसलिये आपको इसके लिए तारीफ करनी चाहिये। कोई यह जबरदस्ती हमारे ऊपर फैसला नहीं हुआ है। यह तो हमारे कहने से हुआ है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि हर चीज को चाहे वह अच्छी ही क्यों न हो, उसको गलत तरीकों से पेश करना वाजिब नहीं। पुलिस विभाग ने भी काफी कार्य किया है। आप जानते हैं कि पहले राजस्थान में डाके कितने पड़ते थे और यहां की क्या

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

हालत थी और पिछले वर्षों में पुलिस ने कितना काम किया है ? हां यह बात है कि कुछ हिस्सों में आज भी डाके पड़ रहे हैं । मगर यह कहना कि स्थिति में गड़बड़ है, मुश्किल है । मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन स्थानों पर अभी गड़बड़ है, उनको रोकने लिये कार्यवाही की जावेगी । मगर मैं यह निवेदन करना चाहता कि यदि इसके लिये सख्त कार्यवाही की जावेगी तो विरोधी सदस्य यह कहेंगे कि राजनैतिक कारणों से उन आदमियों पर कार्यवाही की जा रही है । लेकिन मैं निवेदन में यह कहूंगा कि अब जो कुछ भी जहां कहीं इस प्रकार की गड़बड़ हो रही है उसको सख्ती से दबाया जावेगा और उसमें भी ज्यादा देर नहीं होगी । ऐसी आशा करके चलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने खड़े होकर कहा कि जागीरदारों के तालाबों के मामलों में मुश्किल हो रही है । मैं समझता हूं कि वे बड़ी सादड़ी के तालाब का प्रतिवेदन करते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की पब्लिक यह चाहती है कि वहां पर तालाब बने और आप चाहते हैं कि तालाब नहीं बने ।

(करतल-ध्वनि)

श्री जगतसिंह झाला--ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर···

श्री अध्यक्ष--Order please !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यह वहां की स्थिति है । यह झगड़ा है कि वहां के जागीरदार तालाब को खुदकाश्त के लिये तोड़ना चाहते हैं और किसान और जनता यह चाहती है कि वह तालाब रहे । जागीरदार उसको तोड़ना चाहते हैं, सरकार उसको नहीं तोड़ने देगी ।

(करतल-ध्वनि)

मैं यह कहूंगा कि किसानों के हितों की रक्षा की जावेगी, तालाबों को नहीं तोड़ने दिया जाएगा ।

इसके अलावा अभी भीलवाड़े के कुछ जागीरदार बंदूकें लेकर इकट्ठे होकर कुछ तालाबों को तोड़ना चाहते थे और किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे । मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार के कार्य जागीरदारों का अहित करने वाले हैं और उनके कार्य लॉ एन्ड ओर्डर को बिगाड़ने से सम्बन्ध रखते हैं । मैं जानता हूं उन स्थितियों को, जिनके बारे में आज के दिन हम चर्चा करना चाहते हैं ।

माननीय अध्यक्ष, इसके बाद एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान में चोरियें हो गई बड़ी बड़ी और राजस्थान पुलिस उनका पता नहीं चला सकी और मैं समझता हूं कि गोविन्दजी के मन्दिर का जिक्र होगा । इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक अखिल भारतीय गेंग जो चोरियें करता फिरता था, उसको राजस्थान की पुलिस ने भीलवाड़ा में पकड़ा ।

(करतल-ध्वनि)

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

जिसने राजस्थान में ही नहीं बल्कि दूसरे कई प्रान्तों में चोरियें कीं । मैं समझता हूं कि इस अखिल भारतीय गेंग को पकड़ा है, उसके जरिये आगे बहुत सी चोरियों का पता चलेगा । किसी चीज का पता लगने में देर लग सकती है और कभी कभी यह भी हो सकता है कि पता नहीं चले । लेकिन यह कहूंगा कि पुलिस काम नहीं कर रही है, यह उचित बात नहीं होगी । मैं तो यह कहूंगा कि हमारे पुलिस के अधिकारियों ने अपने जान को जोखिम में डाल कर भी कार्य किया है, उसके लिये हमको तो उनका एप्रोसियेशन करना चाहिये । पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंन्डेन्ट ने अपनी जान देकर जैसलमेर में डाकुओं का मुकाबला किया । पुलिस जिस महनत से काम कर रही है, उसके लिये हमें उसकी सराहना करनी चाहिये । हमें सदन में इस प्रकार की चर्चाएं नहीं करनी चाहिये, जिससे किसी प्रकार की उलझन पैदा हो ।

इसके अलावा यह कहा गया कि आई. ए. एस. और आर. ए. एस. में काफी भेदभाव बरता गया है और सर्विसेज में असंतोष है । मैं समझता हूं कि सर्विसेज में तो असंतोष नहीं पाया जाता है । इसके अलावा आज के दिन, जिन जिन पुराने केसेज का इन्टीग्रेशन नहीं हुआ वह सब इन्हीं महीनों में किया गया । बहुत से फिक्सेशन के केसेज थे, उनका फैसला किया गया और बहुत सों की सीनियोरिटी का फैसला किया जा रहा है । एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप किया जाने के लिये समय समय पर परिवर्तन करते हैं और देखभाल करते हैं । माननीय सदस्य अखबार पढते ही होंगे और अखबारों से पता लगाएं तो उनको मालूम होगा कि इस अर्से में न केवल हम ही इस बात को मानते हैं कि इसमें यानि एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सुधार हुआ है बल्कि श्री डे ने भी कहा है कि राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन काफी टोन अप हुआ है ।

कुछ लोग कहते हैं कि लोगों में उत्साह नहीं रहा । मैं यह कहूंगा कि अगर सर्विसेज में उत्साह नहीं होता तो कम्यूनिटी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ऐसी नहीं होती और वह फेल होता । कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि सदन को सर्विसेज के मामले में नहीं पड़ना चाहिये, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होता । एक माननीय सदस्य ने कहा कि एस. डी. ओ. आमेर में नहीं पहुंचा । इसके लिये मैं यह कहूंगा कि भरतपुर में बाढ़ आ गई थी और इस वजह से उसका वहां पर रहना जरूरी था । मैं उनका नाम बता दूं, उनका नाम मि० सिंगल है । वहां पर उनको बाढ़ की वजह से रोका गया, क्योंकि बाढ़ की स्थिति आमेर से ज्यादा बुरी थी और उनके आमेर देर से पहुंचने से ज्यादा नुकसान नहीं होता था । इसलिये उनको वहां रोकना आवश्यक हो गया ।

एक माननीय सदस्य--अब वे वहां आ गये हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया--माननीय अध्यक्ष, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें · · · · ·

श्री एच० के० व्यास--डोनेशन के बारे में तो बताइये ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया--एक माननीय सदस्य ने यह भी जिक्र किया कि अजमेर कांग्रेस कमेटी को ३ हजार रुपये दिये गये । अजमेर में, मैं बता देना चाहता हूं कि ए. आई. सी. सी. का अधिवेशन हुआ, वहां पर एग्जीबीशन हुआ । राजस्थान गवर्नमैन्ट की तरफ से भी एक स्टाल गया । दूसरी सारी स्टेटों

Page No 51

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

के स्टाल गये थे। वहां पर घाटा रहा। उसके बाद अजमेर पी. सी. सी. से एक चिट्ठी आई कि एग्जिबीशन के काम में घाटा रहा है, इसलिये राजस्थान सरकार भी मदद करे। यह एग्जिबीशन विलेज सुधार और हैन्डीक्राफ्ट के लिये था। हमने तो अपना स्टाल भेजा था। हमने ही नहीं बल्कि अलग अलग स्टेटों ने अपने अपने स्टाल भेजे थे। अब यह भी कहा जा सकता है कि स्टाल क्यों भेजा गया। खैर, एग्जिबीशन में घाटा हुआ इसलिये हमने मदद दी। यह सही बात है कि इस पर ऐ. जी. ने एतराज भी किया। यह भी सही बात है कि हमने कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। वहां पर एग्जिबीशन हुआ और उसमें घाटा हुआ, इसलिये चिट्ठी आई और हमने मदद दी। में निवेदन करूं कि कोई गलत फेहमी न हो, इसलिये जब ए. जी. का ओब्जेक्शन हुआ कि इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिये तो हमने साफ साफ कहा कि आगे इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। तो वह तो एक अच्छी बात है उससे मौका नहीं मिले यह कहने का यह क्यों किया गया। यह मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि वह रुपया जो दिया गया न तो कांग्रेस कमेटी का काम चलाने के लिये और न इलेक्शन प्रोपेगेण्डा के लिये ही। वह रुपया तो केवल एग्जिबीशन में घाटा हुआ था, उसमें एक मदद की तौर पर हमने दिया। उस एग्जिबीशन में हम भी शरीक हुए थे अलग अलग स्टेट्स भी उसमें शामिल हुई थीं। उसमें घाटा रहने के कारण कुछ रुपया दिया गया। जिसका इतना बड़ा भारी स्वरूप बनाकर माननीय सदस्य ने रखा है, अलग अलग तारीखें देकर मुख्य मंत्री ने यह आदेश दिया, इतनी कहने की बात नहीं थी। जो कुछ बात थी वह मैंने स्पष्ट करदी इससे मैं समझता हूं किसी के दिमाग में यह बात न रहे कि यह तो राजनैतिक कार्य के लिये दिया गया। ए. आई. सी. सी. के अधिवेशन में एग्जिबीशन हुआ करती है, इसके अलावा भी हम कई एग्जिबीशन में शरीक होते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में लाखों आदमी आते हैं, इसलिये एग्जिबीशन में शरीक होना उचित समझते हैं। इतनी बड़ी एग्जिबीशन अगर वे भी करने लग जायं, उनके एग्जिबीशन में भी शरीक होने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। जो हमने रुपया दिया उसके बारे में राजनैतिक हित नहीं था। पड़ौसी राज्य ने एक बड़ा कार्य किया उसमें संभव मदद करना हमारा भी कर्तव्य हो जाता है इसी दृष्टि से हमने ३ हजार रुपया का डोनेशन दिया। इन सब बातों के कहने के बाद में समझता हूं आप लोगों में किसी प्रकार की गलत फहमी नहीं होनी चाहिये। आशा है सदन इस एप्रोप्रियेशन बिल को सर्व सम्मति से पास करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल (नं. ४) को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव विचारार्थ लिया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, नं. ४ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान शीरा (नियंत्रण) विधेयक, १६५६

(खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

श्री अमृतलाल यादव--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं प्रवर समति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान शीरा नियन्त्रण विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(१-३३ पर श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि राजस्थान शीरा (नियन्त्रण) विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

क्लॉज़ २, श्री तेजमल बापना।

श्री तेजमल बापना--उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज २ में मेरे दो संशोधन हैं। अगर हम इस बिल के प्रिएम्बल को देखें तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि 'राजस्थान में चीनी की फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित शीरे के उचित मूल्य पर न्यायोचित वितरण तथा उपलब्धि की प्राप्ति द्वारा उसके प्रदाय का नियमन तथा नियन्त्रण हेतु" इसके साथ साथ क्लॉज़ नम्बर दो में जो शीरे की डेफीनिशन बतायी गई है उसमें चीनी के साथ साथ गुड़ को साफ किया जाना भी साथ में लगा दिया गया है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि गुड़ एक ऐसी चीज है, मेरा खयाल है प्रत्येक गांव में नहीं अधिकतर गांव में बनाया जाता है साधारण किसान उसको बनाता है, उसमें कुछ मैला निकल सकता है तो यह चीज इसमें रख देने से जैसा कि बिल का उद्देश्य बताया गया उसके यह विपरीत जाता है इसके अलावा यह केवल चीनी की फैक्ट्रियों तक ही लागू होना चाहियें इसके साथ साथ गुड़ बनाने पर जो रोक लगायी गई है उसको हटा दिया जाना चाहियें। क्लाज नम्बर २ में शीरे के तारीफ में जो बताया गया है शीरा' से अभिप्राय चीनी की फैक्ट्रियों में या तो ईख से या गुड़ साफ किये जाने से वैकुउम तसलों द्वारा या खुले तसलों में गुड़ या चीनी के उत्पादन के अन्तिम क्रम में निकाले जाने वाली गाढ़ी, गहरे रंग की बची हुई चाशनी से है।" इसमें से भी "या गुड साफ किये जाने से" और "या गुड़" ये शब्द निकाल दिये जायं।

दूसरा अमेन्डमेन्ट इसी धारा के भाग (घ) में है जिसमें चीनी की फैक्ट्री का मतलब है, जहां चीनी बनायी जाती है उसको अन्तिम लाइन के पास में जो चीनी या गुड़ के उत्पादन से संबन्धित कोई निर्माण क्रिया की जा रही है उसमें या गुड़" ये शब्द लोपित कर दिये जायं। मुझे आशा है माननीय मंत्री महोदय मेरे दोनों संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

श्री अमृतलाल यादव--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखे ह, उनको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि इस बिल के क्लॉज़ २ पर जो संशोधन श्री तेजमल बापना ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्लॉज् २ को संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

श्री भैरूं सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज् में कुछ कमी है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। वैसे भी मेरा नोट आफ डिसेन्ट है। इस पर मैं बोल सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के दूसरे क्लॉज की भाग (२) के उप-भाग (ग) में यह है "किसी चीनी की फैक्ट्री के अधिकारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जिसका किसी चीनी की फैक्ट्री के कार्यों पर पूर्ण नियन्त्रण हो।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो परिभाषा है, फैक्ट्री के अधिकारी की यह परिभाषा स्पष्ट नहीं है। कह सकते हैं कि पूर्ण नियन्त्रण फैक्ट्री पर या तो होता है फैक्ट्री के मालिक का, या फैक्ट्री के जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनका होता है। अब हमें देखना है कि इनमें से पूर्ण नियन्त्रण किनके हाथों में होगा। इसमें स्पष्ट चीज नहीं दी गई। मान लीजिये हम किसी चीज में मालिक को जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं, अगर मालिक बचना चाहे तो कह सकता है कि इस फैक्ट्री पर पूर्ण नियन्त्रण है मैनेजर का, मैं तो इस फैक्ट्री का शेअर होल्डर हूं। इसी प्रकार किसी फैक्ट्री में मैनेजर होते हैं, किसी में डाइरेक्टर होते हैं। तो वह कहेगा कि अन्तिम मन्जूरी तो डाइरेक्टर की होती है, मैं तो केवल मैनेजर हूं इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह चीनी के फैक्ट्री के अधिकारी की जो परिभाषा दी गई है, वह स्पष्ट नहीं है। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्रीजी यह कहें कि मैंने कोई संशोधन नहीं दिया है, इसलिये मैं मन्जूर नहीं करता। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस परिभाषा को स्पष्ट करने के लिये माननीय मंत्री स्वयं अपनी तरफ से संशोधन पेश कर सकते हैं अगर वे अपनी ओर से पेश नहीं करते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय मुझे आप थोड़ा समय दें ताकि मैं इस पर अपना संशोधन लिख कर दे सकूं।

श्री अमृतलाल यादव--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसी प्रकार का संशोधन नहीं दिया इसलिये मुझे आपत्ति है। दूसरी बात यह है कि न तो मैं अपनी तरफ से कोई संशोधन पेश करने वाला हूं और न किसी प्रकार का संशोधन मन्जूर ही करना चाहता हूं।

श्री भैरूंसिंह--आप इतना तो रोब मत बताइये।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २ संशोधित रूप में स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड दो संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड ३, श्री तेजमल बापना।

श्री तेजमल बापना--खण्ड ३ में मेरा कोई संशोधन नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। श्री हरिकृष्ण व्यास का है।

श्री उपाध्यक्ष--श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास--उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड तीन में मेरा यह संशोधन है कि उप-खण्ड दो के अन्त में यह शब्द जोड़ दिये जावें :

"इस उप-धारा के बाद (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत दी गई आज्ञाएं राज-पत्र में प्रकाशित की जावेंगी।" खण्ड तीन के भाग दो के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि इस धारा के अन्तर्गत दी गई कोई आज्ञा, अब उस आज्ञा के बारे में (क), (ख) और (ग) तीन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग व्यवस्था की गई है। क में यह कहा गया है कि यदि वह आज्ञा सामान्य प्रकार की आज्ञा है या व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रभावित करने वाला होने की दशा में वैसी आज्ञा हो तो उसे राजस्थान राज-पत्र में विज्ञापित की जावेगी। लेकिन उसके बाद भाग ख और ग में किसी व्यक्ति अथवा फर्म को प्रभावित करने वाली आज्ञा है, तो उसको सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार नोटिस दे दिया जावेगा और किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिये निर्धारित की गई आज्ञा है तो व्यक्तिगत रूप से सौंप कर अथवा डाक द्वारा सूचना दे दी जावेगी ऐसी व्यवस्था की गई है। मेरा जहां तक अन्दाज है उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था इसलिये भी की गई होगी कि जिस आज्ञा द्वारा, जिन लोगों को उस आज्ञा के पालन करने के सम्बन्ध में सूचना देनी है उसमें अगर फर्म ही है अथवा व्यक्ति ही है तो उसे सूचना देने के लिये राज-पत्र में प्रकाशित करने की क्या जरूरत है? वह तो सीधी ही दी जा सकती है। यहां तक तो इन तीन अलग भागों में अलग अलग रूप में व्यवस्था करना कानूनी अवस्था है। पर यह मसला ऐसा है कि शीरे का प्रयोग होता है शराब बनाने में। इसलिये यदि इन आज्ञाओं के उल्लंघन करने की स्थिति पैदा हो तो मैं समझता हूं कि उस आज्ञा का जिस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। उन्हीं तक को सूचना देने का काम काफी नहीं होगा और दूसरे लोगों को भी सूचना होनी चाहिये कि अमुक व्यक्ति अथवा अमुक फर्म को ऐसी ऐसी आज्ञा प्रदान कर दी गई है, जिससे कि यदि वह लुके छिपे रूप में आज्ञा का उल्लंघन करें तो उसे रोकने के लिये आमतौर पर लोगों को चेतना हो जावे या चालान हो जावे। उसमें राज-पत्र में प्रकाशित करने में शायद देरी हो सकती है और देरी होने से काम बिगड़ सकता है, इसलिये मैंने जो संशोधन रक्खा है। वह इस प्रकार का है कि जिसमें देरी भी नहीं होगी। किसी फर्म को अगर आज्ञा देनी है तो वह आज्ञा फर्म को सिविल प्रोसीजर कोड़ में आज्ञा देने का जो नियम है उसके अन्तर्गत दे दी जावे। किसी व्यक्ति विशेष को देनी हो तो वह डाक द्वारा या दूसरे तरीकों से दे दी जावे। लेकिन ऐसी आज्ञाएं फर्म अथवा व्यक्ति को देने के बाद फिर भी उन्हें राज-पत्र में प्रकाशित करने की व्यवस्था कर दी जावे, जिससे उसकी सूचना सार्वजनिक हो जावे और यदि वह व्यक्ति विशेष उस आज्ञा का उल्लंघन करने के लिये कदम बढ़ावे तो उस उल्लंघन को आमतौर पर सरकार के ध्यान में लाने के लिए एक सार्वजनिक स्थिति हो जावे। इसलिये मेरा यह संशोधन है कि इस क्लाज के अन्त में सब-क्लाज के भाग (३) में शब्द जो मैंने पढ़े वे जोड़ दिये जावें और मुझे आशा है कि इसमें धारा के मूल उद्देश्य से कोई अलग चीज नहीं होती। अतः मन्त्री महोदय इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, ऐसी आशा है।

श्री अमृतलाल यादव--माननीय उपाध्यक्ष जी, जोधपुर से आने वाले माननीय मित्र ने जो संशोधन इसमें रक्खा है, मैं समझता हूं कि जो स्पष्टीकरण किया, उसका आशय यह है कि जो कोई व्यक्ति अपराधी हो वह व्यक्ति बचे नहीं और उस पर उचित कार्यवाही हो जावे। तो यही मंशा हमारी भी है। पर जैसा कि वे स्वयं भी जानते हैं कि इस प्रकार के जितने भी कानून हैं उनमें अब तक यही तरीका

Page No 55

[redacted]

[श्री अमृतलाल यादव]

अख्तियार होता रहा है। तो जो मंशा उनकी है, मैं समझता हूं वह मंशा इस तरीके से बखूबी पूरी हो जाती है। इसलिये उन्होंने जो संशोधन रक्खा है उसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता। आशा है वे अपना कटौती का प्रस्ताव इस स्पष्टीकरण के बाद वापिस ले लेने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री हरिकृष्ण व्यास से) कुछ कहना है आपको?

श्री हरिकृष्ण व्यास--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे संशोधन की मंशा क्या है, यह पूरी तरह से मन्त्री महोदय के खयाल में आया नहीं।

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष--Yes, continue.

श्री भैरूंसिंह--अभी भी कोरम पूरा नहीं हुआ है साहब।

(पुनः घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास--कोरम नहीं होता है साहब तो हाउस को एडज़ोर्न किया जावे, साहब।

(गणपूरक होने के पश्चात् जारी)

तो मैं यह अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरे संशोधन का हेतु क्या है? यह उनके समझ में नहीं आया मालूम होता है। आमतौर पर एक्ट में जो व्यवस्था होती है, वह केवल इस नीयत से होती है कि जिस व्यक्ति को सूचना देनी हो उसे जल्दी से जल्दी और बगैर कोई कानूनी अड़चन के सूचना दे दी जा सके, ऐसी व्यवस्था करना। जो सूचना सार्वजनिक हो तो उसका पब्लिकेशन जरूरी है। अगर पब्लिकेशन नहीं होगा तो वह सूचना ही कानूनी रूप से अपर्याप्त समझी जावेगी। इस वजह से सूचना पर्याप्त हो, इस दृष्टि से गजट में प्रकाशित होने की व्यवस्था इसमें है। मेरे संशोधन की यह कोई नीयत नहीं है कि किसी फर्म को या व्यक्ति को जिस रूप से सूचना देने की व्यवस्था सब-क्लाज (२) में की गई है, वह अपर्याप्त है। नहीं, वह तो बल्कि पूरी तरह से पर्याप्त है। अगर व्यक्ति को देनी है सूचना तो डाक द्वारा भेजना पर्याप्त है, तो उस व्यक्ति या फर्म की दृष्टि से तो कमी नहीं है। पर उस सूचना के अन्तर्गत जो आदेश उस फर्म को या व्यक्ति को दिये जावेंगे, उनका पालन न करने के लिये अगर लुके-छिपे कोई कार्यवाही करे तो यह शायद मन्त्री महोदय के खयाल में आने की बात समझी जावे, कि उसको रोकने के बारे में जो स्टाफ है, जो इन्टेलीजैन्सिया हैं जो और दूसरे मुलाजिमान हैं उनके अलावा अगर पब्लिक कोआपरेशन भी हो तो बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। अगर मान लीजिये कि फैक्ट्री से रात के वक्त लुके-छिपे शीरा कहीं भेजा जा रहा है और आपके नियन्त्रण की आज्ञा के उल्लंघन के रूप में भेजा जा रहा है और यह तो एक पेरिशेबिल कोमोडिटी भी है। इसका नियन्त्रण इतना आसान भी नहीं है। तो भेजने वाले के इर्द गर्द लोगों को भी अगर मालूम हो जावे कि बैलगाड़ियों में भर भर कर शीरा जा रहा है और उन लोगों को यह भी सूचना हो जावे कि इस फैक्ट्री से इस तरह से शीरे की गाड़ियां बाहर जाने की मुमानियत है, तब तो गाड़ियां जाते अगर वे देख लें तो वे भी सूचना दे सकते हैं और उन पर एक और चैक उन लोगों का भी हो सकता है। पर उनको तो मालूम ही नहीं, चैक करने को आपने तो केवल फर्म को या सम्बन्धित व्यक्ति को सूचना दी है न। वह फर्म वरीफाई नहीं करती।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कानून तो लागू हो जायगा, लेकिन कानून को लागू करवाने के सिलसिले में जो स्थिति हो उस स्थिति की सूचना आसपास के रहने वालों को नहीं मिलेगी। अब अगर सरकार के दिमाग में यह बात है कि अमुक फर्म पर अमुक अमुक रेस्ट्रिक्शन्स लगाये गये हैं और वे उन रेस्ट्रिक्शन्स का पालन करते हैं या नहीं, इसके बारे में पब्लिक विजिलेन्स निर्माण करने की आवश्यकता नहीं हो तो बात दूसरी है। लेकिन मैं समझता हूं कि व्यक्तिशः रूप में या सिविल, प्रोसीजर कोड के अन्दर सूचना देना पर्याप्त होगा। सूचना में यह ठीक है कि मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं रखा है। बाद में भी गजट में प्रकाशित हो सकती है। तो बाद में उनको प्रकाशित करें तो भी एक प्रकार से कानून के पक्ष में पब्लिसिटी होगी और मैं समझता हूं कि इस बात का इस कानून में जो मन्शा है, उस मन्शा को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस दृष्टि से ही मेरा अब भी कहना है कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। उसको यदि मंत्री महोदय स्वीकार कर लेने के लिये तैयार नहीं हैं तो फिर मैं यह समझूंगा कि कानून को लागू करने के सिलसिले में अभी भी उनकी तैयारी अपर्याप्त हैं। इसलिये मैं तो इस संशोधन के सिलसिले में दरख्वास्त करूंगा कि सदन की राय ले लें और बाद में मौका आयेगा तो पता चलेगा कि वस्तुस्थिति किस दिशा में झुकती है। इस संशोधन की फिर आवश्यकता होती है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उप-खंड (४) में जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—डिप्टी मिनिस्टर के जोर से बोलने का कोई कायदा है क्या? (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—खंड ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ४ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

खंड ५ का उप-खंड (२), श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय........

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपत्ति करता हूं कि जिस निश्चित समय में यह आना चाहिये था संशोधन, वह उनका आया नहीं है। इस पर आप विचार करलें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह आपत्ति बहुत देर के बाद की है। वह समय गुजर गया है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं........

श्री उपाध्यक्ष—उनको इजाजत दे दी गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह अर्ज कर रहा था खंड ५ के बारे में कि इसके उप-खंड (२) का सम्बन्ध कम्पनी द्वारा किये गये एतराज से है। मेरा संशोधन यह है कि उप-खंड (२) को विलोपित करके उसके एवज में निम्नलिखित उप-खण्ड (ख) रख दिया जाय :—

"(२) उप-धारा (१) में नियत किसी बात के होते हुए भी जहां किसी कम्पनी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई एतराज किया जाय तो उस कम्पनी के सब डाइरेक्टर्स, मैनेजर, सेक्रेटरी, तथा अन्य पदाधिकारी भी इस अपराध के लिये दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी जब तक कि वह डाइरेक्टर, सेक्रेटरी या अन्य पदाधिकारी यह साबित न कर दें कि उन्होंने उक्त अपराध को रोकने का प्रयत्न किया था।"

मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उपाध्यक्ष महोदय, उसका सम्बन्ध कम्पनी लॉ में, जो अभी अभी अमेन्डमेन्ट्स हुए हैं, इस वर्ष में ही उनसे बहुत है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि मेरे उधर बैठने वाले माननीय मित्रों ने, इस बिल के इन्चार्ज माननीय मित्र ने अथवा इसके विभिन्न खंडों पर मतदान होने के समय जोर से बोलने वाले मित्रों ने कम्पनी लॉ का अध्ययन किया है या नहीं। मेरे लिये यह भी कहना संभव नहीं है कि इस सिलसिले में पार्लियामेन्ट में जो बहस हुई थी और उस बहस में जो मुद्दे सामने नजर आये थे, कम्पनियों के अन्दर फैली हुई कमजोरियां, गलतियां, भ्रष्टाचार अथवा खामियां हैं उनका भी उन्होंने कहां तक अध्ययन किया है, क्योंकि वे चीजें दिल्ली में हुई बहस से ताल्लुक रखती हैं। शेरगढ में शायद देर से पहुंचती होंगी वे चीजें और समय भी नहीं मिलता होगा इन सब के अध्ययन करने का. लेकिन केन्द्रीय कम्पनी कानून के अन्दर जो संशोधन हुए हैं उन संशोधनों की ओर संकेत करने की आवश्यकता है। उसमें तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। वैसे जो कम्पनीज लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट है, वह शायद भारत का धाराओं के हिसाब से अथवा लेन्थ के हिसाब से सबसे बडा कानून है। लेकिन उसके जो तीन महत्वपूर्ण अंग हैं, उनमें से एक तो यह है कि किसी कम्पनी के अन्दर मैनेजिंग एजेन्ट नाम की जो प्रणाली है उस प्रणाली पर बन्धन डाला जाय। दूसरा उसका जो अंग है वह यह है, उपाध्यक्ष, महोदय, कि कम्पनी के डाइरेक्टर के रिश्तेदार भी यदि किसी रूप में कम्पनी में काम करते हों, मुलाजिम हों तो उसके ऊपर रोकथाम लगाई जाय और उन्होंने ऐसा कानून के अन्दर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दर्ज भी कर दिया है और उसका पालन भी होना शुरू होगया है। कम्पनी की जनरल-मीटिंग में यह कहकर कि अमुक व्यक्ति अमुक डाइरेक्टर का रिश्तेदार है और उसके बाद में एक विशेष प्रस्ताव पास किये बगैर ऐसे लोग उस कम्पनी में नौकर नहीं रह सकते हैं। और तीसरा, जिसकी ओर विशेषतौर से मुझे संकेत करना है, वह तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वह यह है कि उन कम्पनियों द्वारा किये गये कार्यों के सिलसिले में लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी के सारे के सारे दृष्टिकोण के अन्दर परिवर्तन कर दिया है। पहले दो प्रकार की कम्पनियां होती थीं, उपाध्यक्ष महोदय, कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी और दूसरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी और पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के अन्तर्गत उनके सम्बन्ध में लागू होने वाले कानूनों में इतना फर्क था कि प्राइवेट कम्पनी के हिसाब किताब की जानकारी कोई आदमी उपलब्ध कर सके या नहीं कर सके इसमें शक की ही गुन्जाइश थी; लेकिन अब नये कानून के मुताबिक यह प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी और पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के इस आपस के फर्क को भी लगभग पूरी तरह दूर कर दिया गया है, और ये प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां भी जो हैं वे भी नये कम्पनी लॉ के अन्तर्गत बन्धन के शिकंजे में कुछ हद तक जकडी जा चुकी हैं।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन उस कम्पनी कानून के अन्तर्गत ऐसी धाराओं का समावेश है कि यदि किसी फर्म के अन्दर उस कानून के खिलाफ में कोई कार्यवाही हुई, मन्त्री महोदय जरा गौर से सुनें। उस कम्पनी कानून में इस प्रकार की धाराओं का समावेश किया गया है कि यदि किसी फर्म के अन्दर उस कानून की खिलाफ में कोई कार्यवाही हुई और उस कार्यवाही करने के कारण अथवा कोई कार्यवाही करने का बन्धनकारक आदेश होते हुए वह कार्यवाही न करने की स्थिति में यदि उस कम्पनी पर कोई दंड लागू हुआ तो उस कम्पनी के डाइरेक्टर को, मैनेजर को या सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार ठहरायें या सजा भुगतने के लिए जिम्मेदार ठहरायें। उस कम्पनी के डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर को व्यक्तिशः जिम्मेदार ठहराये जाने के संबंध में दिल्ली में काफी कोहराम मचा था और कहा था कि यह कहां का कानून है, कहां का तरीका है ? वावजूद उसके भी भारत की लोक सभा में वह कानून मंजूर हो चुका। आज सन् ५६ के सितम्बर महीने के अन्त में हम यहां राजस्थान में कानून बनाने जा रहे हैं और उस कानून में कंपनी द्वारा किये गये अपराधों की धाराओं का उल्लेख कर रहे हैं या उन धाराओं का समावेश इस कानून में कर रहे हैं, उस समय लोक सभा द्वारा कंपनी कानून में जो संशोधन किये गये हैं, उनका अपने यहां उपयोग न करना और उस दिशा में परिवर्तन न करके न सिर्फ बडी गलती होगी लेकिन दकियानूसी का भी सबूत होगा और कानून में आगे बढने की दिशा में उसके विपरीत होगा । अतः कंपनी कानून में जिस प्रकार की दिशा निर्धारित की गई है ? उस दिशा में अपना यह कानून चल पाये इसी नीयत से मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे। मुझे तो यह भी आशा है कि सदन जब लोक सभा ने ऐसा कानून पास कर दिया है तो इसको स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्षजी, जो मौजूदा क्लाज है उसमें यह है कि उप-धारा (१) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किया जाय और यह सिद्ध हो जाय, कि अपराध कंपनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य

[श्री अमृतलाल यादव]

पदाधिकारी की सहमति से अथवा उसकी उपेक्षा अथवा प्रमाद के कारण हुआ है, तो ऐसा डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य पदाधिकारी भी अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दंडित किया जा सकेगा।" माननीय सदस्य ने इसमें संशोधन रखा है इसको विलोपित करते हुए कि कंपनी के सब डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य पदाधिकारी दोषी समझे जावेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी जब तक डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य पदाधिकारी यह साबित न करदें कि उसने उक्त अपराध को रोकने का प्रयत्न किया था। मैं यह समझता हूं कि साबित करने का सवाल ही नहीं आता है। एग्जीक्यूशन से साबित होगा। दोषी मानने के ऊपर दंड देने के लिए तो वे भी मानते हैं। जहां तक उसको साबित करने का सवाल है, उसका अपराध सिद्ध होने का सवाल है वह एग्जीक्यूशन से दोषी साबित होजाय। इसलिए मैं माननीय सदस्य के इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास–उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय का दृष्टिकोण है मैं उसको उसूलन गलत मानता हूं।

श्री खेतसिंह—आपके उसूल ही भिन्न हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे उसूल तो भिन्न हैं ही उपाध्यक्ष महोदय, उधर बैठने वाले सदस्यों को उनसे दुख हो या खुशी, यह मैं नहीं कहता। लोक सभा ने जो कम्पनी कानून पास किया है वह मेरे उसूलों के नजदीक पहुंच गया है। वह बात समझ में आयी या नहीं आयी या उससे दुःख हुआ हो या खुशी हुई हो यह मैं नहीं कह सकता। आवड़ी के अन्दर समाजवाद का जो प्रस्ताव पास हुआ उससे कई लोगों को दुःख हुआ होगा। है तो प्रस्ताव ही, अगर प्रस्ताव से ही कई लोगों को चमक लगी होगी तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है।

कम्पनी एक कोरपोरेट बोडी है, वह कोई व्यक्ति नहीं है। वह एक बोडी कोरपोरेट है और उसके डाइरेक्टर, मैनेजर अथवा सेक्रेटरी अथवा अन्य पदाधिकारी उसके विभिन्न पुर्जे हैं, उसके अंग हैं। अब यदि कम्पनी द्वारा अपराध किया गया तो किसका अपराध समझा जाय ? वह अपराध समझा जाय उस बोडी कोरपोरेट के प्रत्येक अंग का, प्रत्येक पुर्जे का। हां, यदि वह यह कहे कि मेरा अपराध नहीं है तो वह साबित करे कि वह उस मशीन का पुर्जा होते हुए भी उसका अपराध नहीं है और उसने उस अपराध को कैसे रोका ? माननीय मंत्रीजी क्या कह रहे हैं ? वह यह कह रहे हैं कि कम्पनी द्वारा अपराध हो जाने और उसके साबित हो जाने पर सजा हो सकती है।

श्री अमृतलाल यादव—मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि कम्पनी द्वारा अपराध हुआ, उसके एग्जीक्यूशन में डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अन्य पदाधिकारी जो भी आवेंगे उसके माफिक सजा होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास–इसका तात्पर्य यह है कि मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है लेकिन उसको खुदने गौर से नहीं पढा है। उसमें यह है कि कम्पनी द्वारा अपराध स्वीकार हो गया। मैनेजर, डाइरेक्टर, सेक्रेटरी की लाएबिलिटी कब होगी कि कम्पनी का अपराध साबित होने के बाद यह भी साबित हो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि खुद पर्सनली कन्सर्न्ड है या उसने आज्ञा दी थी या उसकी कन्नाइवेंस से हुआ । मैं इसके शब्दों को पढ कर सुना देता हूं । "उप-धारा (१) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कम्पनी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किया जाय और यह सिद्ध हो जाय "अपराध किया जाय" यह फैक्ट पहले एस्टेब्लिश हो जाता है और उसके बाद सेकेण्ड प्रूफ जो नेसेसरी है वह यह है और यह सिद्ध हो जाय, कि अपराध कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर सेक्रेटरी या अन्य पदाधिकारी की सहमति से अथवा उसकी उपेक्षा अथवा प्रमाद के कारण हुआ है तो ऐसा डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या पदाधिकारी भी अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दण्डित किया जा सकेगा ।" इसका क्या तात्पर्य हुआ ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि कम्पनी द्वारा अपराध हुआ यह साबित हो चुका है, फैक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है लेकिन डाइरेक्टर, मैनेजर, अथवा सेक्रेटरी वे कब लायेबल होंगे ? जब अपराध हो गया यह सिद्ध करने के अलावा एक बात और सिद्ध हो और वह यह है कि उस डाइरेक्टर, मैनेजर अथवा सेक्रेटरी अथवा अन्य पदाधिकारी की सहमति अथवा उपेक्षा अथवा प्रमाद के कारण अपराध हुआ । फिर कम्पनी का अपराध क्या ? यह कम्पनी कौन बला है ? कम्पनी को जब इन बोडी कोरपोरेट माना है, अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है उस अपराध का कम्पनी के हर अंग पर असर पड़ेगा ।

यह तो केन्द्रीय सरकार के कंपनी लॉ में दर्ज है । लिमिटेड कंपनियों के डाइरेक्टरर्स को पर्सनली लाइबल किया है । क्या किया ? इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं रखी है कि उनका नेग्लिजेंन्स है, इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि उनकी सहमति ऐसी है जो आज से कई वर्ष पहले सन् ५५ से पहले का कंपनी कानून था । सन् ५५ के संशोधन से पहले जो कंपनी लॉ था उसमें ऐसे ही शब्द थे जैसे कि आज के इस प्रस्तावित कानून में हैं । यह मैं मानता हूं कि आज तक के कंपनी कानून की यह मंशा रही और यह कमी रही कि डाइरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर और ओफिसर्स की लाइबिलिटी को इस सीमा तक बांध दिया । उनकी लाइबिलिटी तब होगी जब इसमें उनकी सहमति हो, नेग्लिजेन्स हो या कन्नाइवेंस हो । लेकिन अभी जो नया कानून बना है उसमें उनकी लाइबिलिटी को प्रिज्यूम करके चले हैं और यह बोझा उन पर डाला है कि वे साबित करें कि उनकी लाइबिलिटी नहीं है । जब कंपनी एक्ट ऐसा रख देता है तो राजस्थान में क्यों नहीं लिया जाय ? मैं समझता हू कानून की मंशा मंत्रीजी समझ नहीं पाये हैं और धाराओं का अर्थ उनकी समझ में नहीं आया है और जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा सेण्ट्रल एक्ट में संशोधन हुए हैं उनकी जानकारी नहीं पहुची है । जैसा कि प्लानिंग कमीशन ने रेवेन्यू विभाग के सिलसिले में जो हिदायतें दी हैं वे भी अब तक उन तक नहीं पहुंची हैं तो यह एक आम स्थिति है इसी रूप में रही होगी । लेकिन यह मौका है इसका उपयोग किया जावे और केन्द्रीय कानून में जो बात अपनाई गई है उसको यहां भी अपनाया जाय । यह मेरी राय है और इस मौजू राय को मान कर चलें ऐसी मेरी इच्छा है और नहीं मानें तो मेरे पास दूसरा कोई इलाज नहीं है । इतना कह कर मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हूं ।

अब जवाब का मौका नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड ५(२) पर श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ५ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खंड ५ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

खंड ६ के उप-खंड (१) में श्री हरिकृष्ण व्यास का संशोधन है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, खंड ६, भाग(१) में मेरा यह संशोधन है कि यह उप-खंड विलोपित कर दिया गया ।

मैं आपकी आज्ञा से खंड ६ के भाग (१) को पढ कर सुना देता हूं । भाग (१) इस प्रकार है:—

"कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक कि नियंत्रक ऐसे अपराध संबंधी तथ्यों की लिखित रिपोर्ट उसको न भेज देवे"

यह जो धारा रखी गई है उस धारा का तात्पर्य तो यह होगा कि आपने अपराध निर्धारित कर दिया, आपने अपराध के ऊपर दण्ड क्या हो यह भी निर्धारित कर दिया लेकिन आखिरी अखत्यार एक्साइज कमिश्नर के हाथ में पहुंच गया । वे चाहें तो कंपाउण्ड आदि करदें । वे चाहे जैसी रिपोर्ट भेजें; वे चाहे जिसकी रिपोर्ट न भेजें अथवा और भी किसी रूप में भेजे । यदि किसी अदालत को हस्तक्षेप करने का मौका आवे किसी आज्ञा के बारे में; दण्ड देने वाली किसी आज्ञा के बारे में तो इस सिलसिले में यह बंधन हो गया कि कोई अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी । अदालत हस्तक्षेप क्यों नहीं करे ? यदि आपने कानून में सब चीजों की व्यवस्था करदी है तो उसके बाद अदालत के अधिकार को सीमित करने का यह क्या नजारा है ? अदालत के अधिकार को आजाद रहने देना चाहिये । यह उप-धारा न सिर्फ अनावश्यक है बल्कि गलत है । मैं ऐसा समझता हूं कि, यह उप-धारा कहीं सारे कानून पर कमजोरी न ला दे क्योंकि कोर्ट में हाई कोर्ट भी आगया । हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन को रोकने का अधिकार इस कानून को कैसे है ? ऐसी उप-धारा को न जोडा जाय । और आगे की जो उप-धारायें हैं वे ही काफी हैं । फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई न्यायालय कार्यवाही नहीं करेगा और कोई भी अपराध इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोड ओफ क्रिमिनल प्रोसिजर में दी हुई व्याख्या के अनुसार हस्तक्षेप योग्य और जमानत योग्य होगा । ये दोनों ही उप-धाराएं काफी हैं और यह पहली

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उप-धारा गलत ही नहीं बल्कि व्यर्थ है। इसको विलोपित कर दिया जाय। मेरा संशोधन कानून और न्यायालय के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिये उससे संबंधित है। जिस प्रकार का दृष्टिकोण आपने अपनाया है उसको छोडना ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इस क्लॉज को विलोपित करने की बात मंत्रीजी स्वीकार करेंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री हरिकृष्ण व्यास के द्वारा रखे गये संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं और वह इसलिये कि जिस उद्देश्य को लेकर यह कानून बनाया जा रहा है, उस उद्देश्य को इस क्लॉज के उप-धारा खण्ड (१) को रखने से बहुत कुछ धक्का लगता है। जहां एक तरफ यह कानून चाहता है कि इस प्रकार की इलिसिट लिकर न बने, न बिके और इसकी सजा देने का अधिकार एक आदमी के हाथ में छोड दें तो इसके उद्देश्य को यह खत्म करता है। इसलिये मैं सोचता हूं कि इस उप-धारा को विलोपित करना नितान्त आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस कानून की तहत जुर्म करता है तो क्या जरूरत है कि उसको उस वक्त ही सजा दें जब कि कन्ट्रोलर उस पर अपनी छाप लगादें। इसको कोग्नीजेबल ओफेन्स रहने देना चाहिये। इसको बेलेबिल रखा है लेकिन जब उसने अपराध किया है तो उसको एक आदमी की मर्जी पर ही छोड़ा जाय, यह सिद्धान्त गलत है। इसलिये इस क्लॉज को विलोपित किया जाय। इसको रखने की आवश्यकता नहीं है और जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—श्री एच. के. व्यास ने क्लॉज ६ के उप खंड (१) में जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह एसेम्बली कानून बनाती है। एक तरफ कानून बनाना और उसको लागू करना सरकार अपना फर्ज समझती है और दूसरी तरफ यह कहती है कि अदालत किसी कानून में दस्तन्दाजी न करे। यह जो बात कर रहे हैं उससे सरकार का मकसद समझ में नहीं आता। कोई आदमी जुर्म करता है उसके खिलाफ यदि अदालती कार्यवाही न करे तो अच्छा नहीं रहता। अदालती कार्यवाही जरूर करनी चाहिये। अदालत से मनुष्य को संतोष होता है। अदालत यदि कार्यवाही न करे तो किसी मनुष्य को संतोष नहीं होगा। और जब कानून असेम्बली बनाती है तो मैं निवेदन करू कि एक कानून बना कर यहां कुछ लोगों को रखा गया और आज ३ महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। यदि अदालत के हस्तक्षेप का कानून बनाया जाता और अदालत में कार्यवाही की जा सकती तो फौरन रुपये ले लेते गवर्नमेण्ट से। लेकिन यहां कई कानून बने हैं, जिनके बारे में हाई कोर्ट में रिट पेश हुई है और रिट का फैसला होने के बाद उन कानूनों का सरकार को बदलना पड़ा है। उसी प्रकार शायद इस कानून में भी गलतफहमी और गलती हो सकती है। आज सरकार ने कानून बना दिया और कल कोई न कोई रिट पेश करने वाला हाई कोर्ट में चला जायगा; तो जिस तरह का एक्ट पास हो रहा है उसमें लखपतियों का मामला आयगा। यह थोड़े ही है कि गुड़ बनाने वालों का मामला आयगा। शक्कर बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले बना रहे हैं। वे लोग शीरा बेचें। शराब पीने वाले बड़े आदमी होंगे, शराब बनानेवाले भी बड़े आदमी होंगे और देने वाले भी बड़े आदमी होंगे।

तो ऐसी हालत में कोई भी कानून बनायें इस असेम्बली में, परन्तु उसमें जरुर अदालत का हाथ रहना चाहिये और मैं माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि कोई भी कानून असेम्बली में बने,

Page No 63

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

अपने अफसरों पर वह चीजें न छोड कर अदालत के ऊपर छोड़ें, जिससे असेम्बली की सरकार की और कानून बनाने वालों की इज्जत बढे। नहीं तो आज नहीं तो कल हाई-कोर्ट में रिट किया जायगा और वह बदलेगा। पचासों कानून इस तरह बदल गये हैं और बदलते ही रहेंगे।

तो मैं निवेदन करूंगा कि अदालत के लिये श्री एच० के०-व्यास ने संशोधन रखा है वह मान लेना चाहिये। त्यागीजी ने भी मंत्री महोदय के सामने रखा है।

श्री मानसिंह मद्दार—उपाध्यक्ष महोदय, यदि मंत्री महोदय बता देते कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो शायद मैं नहीं बोलता।

वैसे इस बिल में क्लॉजेज बडी सोच समझ कर रखे हैं पर मेरे साम्यवादी मित्र को समय निकालना था इसलिये यह संशोधन रखा है। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। देखा जाय तो उल्टा इसमें अच्छा किया है कि अदालतों में जाय और समय लगे उससे पहले यह चीज रख दी है :—

"कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक कि नियंत्रक ऐसे अपराध संबंधी तथ्यों की लिखित रिपोर्ट उसको न भेज देवें।"

यह न्यायालय के समय को बचाने के लिये किया गया है कि जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी न हो।

कोटा से आये हुए माननीय मित्र ने इस संशोधन के समर्थन में कहा तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैं समझता हूं मुकदमेबाजी ज्यादा करने से क्या मतलब ? कोई भी बेबुनियाद बात न्यायालय में जाय यह तो कोई वाजिब बात नहीं।

जो मित्र शीरा के बारे में कह रहे हैं उसके बारे में भी निवेदन कर दूं हमसे तो मंत्रीजी ने वादा किया था यह बताने का कि शीरा क्या है सेलेक्ट कमेटी में प्रोमिज करके भी उन्होंने शीरा आज तक नहीं दिखाया है। वहां पर कहा था कि शीरा से नहला दिया जायगा शीरा से क्या, अब तो लोग शराब बहुत निकालते हैं .....

श्री वेदपाल त्यागी—शायद इसीलिये आप यह संशोधन नहीं चाहते ?

श्री मानसिंह—शायद मेरे मित्र को मालूम नहीं है कि शीरा से अच्छी शराब नहीं बनती। शीरा तो मैल होता है, उसकी कोई खास शराब नहीं बनती है; दो-चार आदमियों को परेशान करने के लिये यह बिल रखा है, शराबबन्दी की इच्छा से नहीं। यदि सरकार को शराबबन्दी करनी होती तो शराबबन्दी कानून लाया जाता। यह जो संशोधन रखा है यह तो चोर को न मारा जाय; चोर की मां को मारा जाय वाली बात है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं तो मंत्रीजी को भी कहूंगा कि वे भावों में न बह कर इस संशोधन को स्वीकार न करें तो ही अच्छा है।

श्री अमृतलाल यादव (पृथक् राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, जो जोधपुर से आने वाले माननीय मित्र ने संशोधन रखा और माननीय सदस्य जो सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर हैं उन्होंने

[श्री अमृतलाल यादव]

बहाव में आने की बात कही। न मैं बहाव में आने वाला हूं और न इस संशोधन को माननीय सदस्य ने रखा है इसलिये इसको बेकार समझ कर टर्न डाउन करना चाहता हूं।

जो इस संशोधन को पेश करते हुए सुझाव पेश किये हैं वह तो ये हैं कि जो अपराध करता है उसको पूरी सजा मिल जाय। हमने इसमें रखा है :

"नियन्त्रक ऐसे अपराधी संबंधी तथ्यों की लिखित रिपोर्ट उसको न भेज देवे।"

एक्स. वाई. जेड. किसी भी व्यक्ति को लेकर कोर्ट में जाकर चाराजोई करने लगे, तथ्य उसके पास नहीं हैं तो इसका मतलब होगा कि अदालत में वह शख्स फेल होगा। इससे क्या फायदा ?

नियन्त्रण की परिभाषा में दिया हुआ है "नियन्त्रक से अभिप्राय राजस्थान एक्साइज एक्ट, १९५० (राजस्थान एक्ट २ सन् १९५०) की धारा ९ के अधीन नियुक्त राजस्थान राज्य के एक्साइज कमिश्नर से है।"

देख लें कि किस तरह पुट अप किया जा सकता है ? राजस्थान के एक इतने बड़े अधिकारी जो इस विभाग के अध्यक्ष हैं उनमें भी आप विश्वास न करें और यह शक करें कि वह साबित नहीं करायेंगे, टर्न डाउन करा देंगे तो यह मुनासिब बात नहीं होगी। इसको रखा है तो हर केस को अच्छी तरह देख कर उसे इस काबिल बनायेंगे कि वह कोर्ट में कामयाब हो, यह भी देखेंगे कि अमुक केस कोर्ट में कामयाब होगा कि नहीं। और यह एक बहुत ही जरूरी बात है।

मान लीजिये कि १०० अपराध दायर किये और उनमें से सौ के सौ ही सभी के सभी अदालत में छूट जाते हैं तो इसका कोई अच्छा असर नहीं होता और अगर सिर्फ ५ अपराध ही दायर हों और इस तरह के दायर हों कि उनमें सब में कस कर सजा हो अपराधियों को दण्ड मिले तो इसका ज्यादा असर होता है।

इसलिये मैं संशोधन के प्रस्तावक माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस नियन्त्रक पर अविश्वास न करें। जो बात संशोधन में बताई गई है उस चीज का प्रोविजन इस बिल में है।

इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में मजबूर हूं। मैं आशा करता हूं कि वे अपने इस संशोधन को वापिस ले लेंगे।

श्री एच. के. व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, इस संशोधन की आवश्यकता नहीं, इसलिये सारी दलीलें माननीय मंत्री महोदय की यह है कि जब नियंत्रक खुद जांच कर लेगा और वह खुद इस नतीजे पर पहुंच जावेगा कि अमुक अपराधी के सिलसिले में कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं तो वैसी सूरत में किसी कोर्ट के सामने वह मामला क्यों जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि इतना ऊंचा अधिकारी होगा वह भला यह कब चाहेगा कि अपराध करनेवालों को सजा न मिले। उस पर हमें भरोसा करना चाहिये। तो पहली बात तो यह अर्ज करूं कि अपराधी होगा और उसके बाद सजा मिल सकती है या नहीं या सजा मिलनी चाहिये या नहीं इसका निर्णय आप अदालत पर छोड़ने में क्यों हिचकिचाते हैं। मेरे माननीय मित्र हाथ का इस प्रकार का इशारा कर रहे हैं जैसे मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई हो।

श्री अमृतलाल यादव—आप की बात मेरी समझ में आगई है। मामला अदालत में तो जावेगा ही, नियंत्रक कोई फैसला थोड़े ही करेगा।

श्री एच.के. व्यास—यदि खंड ६ के उप-खण्ड (१) के अन्तर्गत नियंत्रक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजे तो केस कोर्ट में कैसे जायगा? कोर्ट में तो तभी जाएगा जब वह यह उचित समझेगा कि उसकी रिपोर्ट भेजना जरूरी है और अगर वह यह समझेगा कि रिपोर्ट भेजना जरूरी नहीं है तो वह केस कैसे कोर्ट में जावेगा ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी हालत में नहीं जाएगा।

श्री एच. के. व्यास—अब आया उनकी समझ में मेरा मतलब। ऐसे केसेज हो सकते हैं जब रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तो वे मामले अदालत में जावेंगे कैसे ? इसके बारे में तो नियंत्रक ने ही उसको बरी कर दिया।

अब माननीय मंत्री यह चाहते हैं कि हम इतने बड़े ओफिसर के बोनाफाइड में विश्वास करें। वह भला कब यह कहेगा कि अपराध करनेवाला झूठा है। यह विश्वास करने की बात, कोई मामूली बात, नहीं है, यह तो एक कठिन बात है।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यह कहा कि मामला अदालत में जाकर खारिज हो जाए तो इससे तो यह अच्छा हो कि उसको पहले ही देख कर अदालत में भेजा जाए उसमें तो कोई एतराज नहीं। यह बात भी मैंने साथ में कही थी।

श्री एच.के. व्यास—यदि यही मंशा होती कि उसको नियंत्रक देख ले, तो मैं यह कहूंगा कि वह उसको ५० बार देख ले मगर जब तक रिपोर्ट कोर्ट में नहीं आवेगी तब तक कोर्ट तो उसका कोगनीजेन्स नहीं ले सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने प्रीसेन्सरशिप उनको दे दी। पहले आधा फैसला तो नियंत्रक दे ही देगा। वह बरी तो कर सकता है मगर सजा नहीं दिला सकता। अगर उसको किसी को सजा दिलानी होगी तो उसको अदालत में जाना ही पड़ेगा।

अब आपने कहा कि नियंत्रक पर विश्वास किया जावे कि वह जान बूझ कर या गलती से किसी को बरी नहीं करेगा इस बात की क्या गारन्टी है ? वह उसको प्रोत्साहित करेगा या नहीं या उसकी रिपोर्ट नहीं देगा और गलत तरीका उपयोग में नहीं लाएगा इसकी क्या तसल्ली है ? आप कहते हैं कि नियंत्रक एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। मगर मैं यह कहूंगा कि जब लोग उनसे भी बडे और जिम्मेदार होते हुए भी यहां अपने नाबालिग लड़के के नाम जमीन एलोट करा लेते हैं तो फिर नियंत्रक पर कैसे भरोसा करें। आज जब नियंत्रक के ऊपर वालों की ऐसी स्थिति है तब नियंत्रक की क्या स्थिति होगी ? तो ऐसी हालत में उस पर भरोसा करना संभव नहीं है। ऐसी धारा रखने का तात्पर्य यह होगा कि नियंत्रक को यह अधिकार देकर आप न्यायालयों पर अनुचित और अनावश्यक कुठाराघात कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि नियंत्रक को भ्रष्टाचार के सिलसिले में यह एक बढावा देने की चीज है। अतः यह बहुत ही आवश्यक संशोधन है इसलिये मैं इसकी स्वीकृति के लिये सदन से और सभी सदस्यों से राय लेने के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड ६ उप-खण्ड (१) पर श्री एच.के. व्यास ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाए ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ६ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खंड ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खंड ७ का उप-खंड (१), श्री एच. के. व्यास ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, खंड ७ में प्रवेश करने, तलाशी लेने, कब्जे में करने अवहेलना करने व बन्दी करने की शक्ति इत्यादि का संबन्ध है। परन्तु उप-खंड (१) में इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि किसी भी समय ऐसे भवन में प्रवेश कर सकेगा व उसकी तलाशी ले सकेगा जिसके संबन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां कोई ऐसा शीरा रखा या छिपाया हुआ है जिसके विषय में इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई दंडनीय अपराध किया जा चुका है या किये जाने को हो, इत्यादि इत्यादि । यह जो सस्पेन्शन पर आचरण किया जाने को है वह ऐसी स्थिति में किसी के मकान में घुसने और तलाशी लेने का व किसी पर कब्जा करने का अधिकार दिया गया है वह किसको दिया गया है । यह अधिकार दिया गया है एक पुलिस अधिकारी को, और यह कहा गया है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी जो स्टेशन हाउस पदाधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो या नियंत्रक द्वारा इस संबन्ध में यथोचित रीति से प्राधिकृत कोई पदाधिकारी । तो एक तो पुलिस के ऐसे अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है जो स्टेशन हाउस ओफिसर से ऊपर की श्रेणी का हो । स्टेशन हाउस ओफिसर सब इन्सपेक्टर भी हो सकता है । एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर भी हो सकता है और किसी जगह जम्मेदार भी हो सकता है । यदि कोई पुलिस स्टेशन छोटा हो तो इनके अलावा और भी दूसरा अधिकारी भी हो सकता है । इसके अलावा दूसरा अधिकार दिया गया है नियंत्रक द्वारा यथोचित रीति से प्राधिकृत कोई पदाधिकारी को । जिसका हिन्दी में साफ शब्दों में क्या मायना है मैं इसका तर्जुमा किये देता हूं । यदि इसका तर्जुमा किया जावे तो इसका मतलब यह निकलता है कि नियंत्रक जिस आदमी को इस प्रकार का अधिकार दे दे और ऐसा कोई भी आदमी हो सकता है जिसको वह अधिकार दे सकता है। अब आपकी इस उप-धारा में जो आप अधिकार दे रहे हैं वे इतने गंभीर हैं कि उसमें किसी के मकान में घुसने की बात आई है । किसी के सामान को जब्त करने की बात आई है, इसके लिये आप अधिकार किसको दे रहे हैं ऐसे पुलिस स्टेशन ओफिसर को जो मामूली से मामूली हैसियत का हो सकता है । इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है कि ये अधिकार काफी जिम्मेदार लोगों को दिये जाने चाहिये । इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि कोई पुलिस अधिकारी जो डिप्टी सुपरिंटेन्डेन्ट से निम्न श्रेणी का नहीं हो या आबकारी विभाग व राजस्व विभाग का ऐसा पदाधिकारी जो इन्सपेक्टर की श्रेणी से कम नहीं हो उस क्षेत्र में जिसमें ऐसे पदाधिकारी का क्षेत्राधिकार हो ।

नियंत्रक किसी को अधिकार दे दे यह बात ठीक नहीं है । नियंत्रक को अधिकार देने का हम हक दे रहे हैं इस पर बन्धन होना चाहिये । वह चाहे तो किसी जमेदार को अधिकार देदे या

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

किसी दूसरे व्यक्ति को । इससे जमेंदार को अधिकार दे देने के बाद उस जमेदार की हैसियत उतनी हो जावेगी कि वह किसी के मकान की सर्च कर सकेगा और सामान जब्त कर सकेगा ।

ऐसे अधिकार मामूली अधिकारी को देना खतरे से खाली नहीं, इसलिये जो इस प्रकार के विशेष अधिकार दिये जा रहे हैं तो मेरा यह संशोधन है कि जहां पुलिस अधिकारी का सवाल है वह तो डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट से कम का नहीं होना चाहिये और जहां आबकारी विभाग के अधिकारी का सवाल है वहां भी इन्सपेक्टर से नीचे की श्रेणी का व्यक्ति न हो। केवल इतना ही नहीं इसके अलावा नियन्त्रक द्वारा बाकायदा प्राधिकृत हो ।

अगर हमने आबकारी और पुलिस विभाग के इस पद से नीचे के कर्मचारियों को यह काम सौंप दिया तो वे लोगों के घरों में घुसकर उनको परेशान करेंगे । इसलिये मैंने जो संशोधन रखे हैं वे वाजिब हैं । मैं समझता हूं वैसे तो अभी तक माननीय मंत्री महोदय ने कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया है शायद उनकी डिक्शनरी में यह लिखा हो कि किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करना क्योंकि वे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। वे सोचते हैं क्यों खामखा जिम्मेदारी ली जाय । मुझे आशा है वे मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और माननीय सदस्य इसका समर्थन कर स्वीकार करने के लिये बाध्य करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन सदन की स्वीकृति के लिये और माननीय मंत्री महोदय की स्वीकृति के लिये उपस्थित करता हूं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, धारा ७ पर जो संशोधन श्री एच० के० व्यास ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह संशोधन वाजिब है। इसे वे अवश्य स्वीकार करें। यह जो संशोधन है इसमें ऐसा है कि हर एक आदमी फंस सकता है चाहे जिस आदमी पर झूंठा लांछन लग सकता है। मान लीजिये किसी गांव के किसी घर की तलाशी लेनी है तो उस पुलिस चौकी का कोई कान्सटेबल जाकर भी उस घर की तलाशी ले सकता है इसमें यह नहीं कि इन्सपेक्टर जाकर ही तलाशी ले। इस संशोधन में यह मांग की गई है कि डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट से कम ओहदे का व्यक्ति और एक्साइज इन्सपेक्टर से नीचे के ओहदे का व्यक्ति जाकर तलाशी नहीं ले सकता यह संशोधन रखा है वह वाजिब है। जिस समय नुक्ते का आन्दोलन चला था उस समय क्या होता था कि पुलिस का एक कान्सटेबल भी जाकर घर की तलाशी ले सकता था जिसके कारण वह कहीं जाकर १०० रुपये पचास रुपये लेकर अपना काम चलाता था इस तरह से ये अधिकार अगर हम पुलिस के कान्स्टेबल को देते हैं तो वही नुक्ते वाली हालत होने वाली है जब यह कानून पास हो जायगा। अगर किसी आसामी के यहां शीरा किसी फैक्टरी से आता है तो सरकार उस आदमी को परेशान करवाने के लिये उसको तकलीफ दे सकती है····

श्री अमृतलाल यादव—खरीद कर तो ला ही नहीं सकता ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—खरीद कर लाने वाला आदमी यह नहीं कह सकेगा कि मैं खरीद कर लाया हूं सारे आफिसर जाकर उसको परेशान करेंगे कम से कम किसान को तो कर सकते हैं उसके घर में घुस कर परेशान कर सकते हैं। जब सरकार इस प्रकार का कानून बनाती है तो उसको जनता की

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

ओर तो ध्यान देना चाहिये। उनके आराम की ओर ध्यान देना चाहिये। तो यदि कोई ऐसी चीज पाई जाती है तो इन्सपेक्टर जाकर तलाशी ले दूसरा आदमी नहीं ले सकता। हैड कान्स्टेबल या कान्स्टेबल किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकता। इंसपेक्टर कस्टम या डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस ही तलाशी ले सकता है इसके अलावा दूसरा आदमी नहीं ले सकता। इस संशोधन को मान लेना चाहिये इसमें किसी प्रकार की एतराज की बात नहीं।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं उन्होंने जो बात कही वह बात माननीय मंत्रीजी स्वीकार कर लेंगे। उस सूरत में शायद वे इन्कार कर दें इसलिये मैं कुछ बातें सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। जिस प्रकार की व्यवस्था इस कानून में की गई है अगर यह व्यवस्था इसी रूप में रही तो मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस क्लॉज का दुरुपयोग होगा। माननीय उपाध्यक्ष, इस खंड ७ में लिखा है:—"Any police officer not below the rank of a Station House Officer or any officer duly employed by the Controller in this behalf may.........."

अब इसमें सरकार अधिकार दे रही है स्टेशन हाउस ऑफिसर को। स्टेशन हाउस आफिसर के लिये यह जरूरी नहीं कि वह सब इंसपेक्टर के ओहदे का व्यक्ति ही हो, उसके नीचे के ओहदे का व्यक्ति भी स्टेशन हाउस आफिसर हो सकता है। स्टेशन हाउस आफिसर के लिये कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं। यह अधिकार दिया गया है किस अधिकारी को? "Any Officer duly empowered by the Controller". वह पुलिस अधिकारी है या नहीं, वह एक्साइज डिपार्टमेण्ट का अधिकारी है या नहीं; वह कन्ट्रोलर किसी भी आदमी, किसी भी महकमे के किसी भी अधिकारी को किसी भी मकान की तलाशी लेने का अधिकार दे सकता है, जहां पर रेस्ट्रिक्टेड मोलेसेज होने का अन्देशा हो। उस मकान की वह तलाशी ले सकता है और रेस्ट्रिक्टेड मोलेसेज को जब्त कर सकता है वह अधिकारी जितनी भी जाब्ते की कार्यवाही हो, वह करे। मैं इसे एक दृष्टि से मानने के लिये तैयार हो सकता हूं, अगर किसी कण्ट्रोलर से किसी नीचे के अधिकारी के पास ऐसी सूचना मिलती है जिस सूचना से तुरन्त गिरफ्तारी की कार्यवाही होनी चाहिये अगर उसमें किसी प्रकार की थोड़ी सी भी ढिलाई होती है तो मुमकिन है जो आब्जेक्शनेबल सामग्री है वह प्राप्त नहीं हो सके और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सके ऐसी हालत में तो यह ठीक है। किन्तु यह मानने के लिये तैयार नहीं आप जिस किसी स्थान के लिये कहते हैं कई छोटे छोटे गांवों में पुलिस चौकियां हैं, १५-२० गांवों में ही नहीं बल्कि ५०-५० गांवों के बीच एक पुलिस चौकी होती है, और एक एक थाने में कान्स्टेबल और सब-इंसपेक्टर रहते हैं। अगर किसी चीज का पता लग जाय कि इस प्रकार की नाजायज मोलेसेज है उसकी गिरफ्तारी करनी है। अगर उसके लिये थानेदार नहीं पहुंचे और कोई अधिकारी नहीं पहुंचे बाला बाला किसी एग्रीकलचर के अधिकारी को या ब्लाक डेवलपमेण्ट आफिसर को या रेवेन्यू पटवारी को अधिकार देते हैं कि अमुक व्यक्ति के घर में जाकर मोलेसेज को गिरफ्तार करो उसके नतीजे दो होते हैं। एक तो नतीजा यह होता है कि वह व्यक्ति जो तलाशी लेने जाता है उसको कानून मालूम नहीं होता वह यह नहीं जानता कानून की तामील किस प्रकार होगी? मुमकिन है एक व्यक्ति को कह दिया कि तू तलाशी ले ले। तलाशी लेने के लिये जो

[श्री भैरूंसिंह]

सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तरीका है उस तरीके का ज्ञान नहीं इस कारण वह किसी को सूचना नहीं देता है, तेजी में जाकर घर में घुसने की चेष्टा करता है। तो जिस घर में वह घुसने की चेष्टा करता है उसका उस घर के मालिक के साथ संघर्ष हो जाता है। उस संघर्ष में वह माल की गिरफ्तारी भी नहीं कर सकेगा और पुलिस अलग से बुलाई जायगी। संघर्ष होगा और जो कुसूरवार होगा उसको सजा मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन मोलेसेज की गिरफ्तारी के लिये उस आदमी को भेजा वह तो नहीं होगी उल्टा उस पर मुकदमा चल जायगा; अदालत में उसको हाजिर होना पड़ेगा। अगर उस अधिकारी की गलती हुई तो उस बेचारे को बरखास्त होना पड़ेगा। क्योंकि उसको कानून का तो ज्ञान नहीं था गलती हो गई कण्ट्रोलर ने हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर को कह दिया कि आप उस जगह जाकर जहां सामान का पता हो वह गिरफ्तार कर लो वह रात को पहुंच गया और रात में घुसने की चेष्टा की और मकान मालिक ने उसको विफल करने की चेष्टा की तो ऐसी हालत में वह काम पूरा नहीं होगा। वैसी सूरत में हमें सोचना पड़ेगा कि जिस अधिकारी को हम अधिकार दे रहे हैं वह अधिकारी उस अधिकार के उपयुक्त भी है या नहीं। पुलिस ने अधिकारी शब्द का प्रयोग किया है वह भी मामूली से मामूली भी हो सकता है। एस. एच. ओ. के नाम पर काम करने वाला व्यक्ति सब इन्सपेक्टर की ड्यूटी से परिचित हो ऐसी बात नहीं है। इसलिये आवश्यकता होती है कि क्वालिफिकेशन आप इसमें प्रेस्क्राइब करें और इसके लिये जो सुझाव श्री हरिकृष्ण व्यास ने अपने प्रस्ताव में दिये हैं उससे कम ओहदे का व्यक्ति नहीं होना चाहिये। यह उपयुक्त संशोधन है।

और दूसरा संशोधन यह है कि एक्साइज विभाग को अधिकार दें, तो एक्साइज इन्सपेक्टर से कम ओहदे का अधिकारी नहीं होना चाहिये। आजकल तो हर तहसील में एक्साइज इन्सपेक्टर होता है उनके पास स्टाफ भी होता है। हमें अगर अतिरिक्त अधिकारी को नियुक्त करना पड़ेगा तो उसकी सुरक्षा के लिये अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता भी होगी और वह भी उस समय उपलब्ध हो सकती है कि जब कि इस प्रकार के विभागीय आदमियों से मिलकर काम करें। किसी कानून से अनभिज्ञ को जो जांच पडताल करने के प्रोसेस और उसकी टैक्नेकलिटी को नहीं जानता हो और उसको भेज दिया वहां और वह मकान अगर मुश्तरका हो और उसमें वहां क्या क्या पड़ा है इसकी ठीक से खोज न कर पाया हो तो मुश्तरका मकान होने से जो सम्बन्धित व्यक्ति नहीं है उससे भी उलझ सकता है और इस तरह से कानून के शिकंजे में खुद फंस सकता है और शीरा भी उसके अज्ञान के कारण बच जाता है उसको इधर उधर करने का मौका सम्बन्धित व्यक्ति को मिल सकता है। इससे बेफिजूल लिटिगेशन बढ़ेगी और उस आदमी की नौकरी पर भी आंच आ सकती है। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि जिस अधिकारी की आप नियुक्ति करें वह क्वालिफाइड होना चाहिये।

आजकल भी एक्साइज विभाग की ओर से कई धांधलियां होती हैं तो इससे भी यह अन्देशा है कि इस अधिकार का भी दुरुपयोग होगा। आप जाइये उन जिलों में जिन जिन जिलों में शराब निकालने का काम होता है या नहीं पर जहां इसके बहम से सरकार ने पार्टीज नियुक्त कर रखी हैं। ऐसे व्यक्तियों को पार्टी में रखा जाता है जो जानबूझ कर किसी व्यक्ति को परेशान करने की नीयत

[श्री भैरूंसिंह]

से दौड़ धूप करते हैं। वे किस प्रकार के आदमी होते हैं इसके लिये नहीं कहता पर उनके कइयों के कारनामे बड़ी परेशानी पैदा करने वाले होते हैं। उनमें एक दृष्टिकोण होता है। कहीं शराब निकाली जाती हो और वहां वे जावें करें इससे मुझे विरोध नहीं पर आज सीकर जिले में उनका दृष्टिकोण क्या है यह मैं आपको बताता हूं। उनका एक दृष्टिकोण है कि अमुक जागीरदार को या भोमिया को परेशान करना है क्योंकि उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की, इसमें राजनैतिक पुट भी होता है। तो परेशान करने की नीयत से उनके घरों पर हमला किया जाता है। अब उस पार्टी में हैड कान्स्टेबल हों चाहे आर. ए. सी. के आर्मड् पुलिस के सिपाही हों, पर उनको कानून का ज्ञान नहीं, वे जाते हैं और घर वालों को तंग करते हैं, उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं और इसके कारण से संघर्ष होता है और माल भी नहीं बरामद होता। इसलिये तलाशी लेने का अधिकार ऐसों को देना चाहिये जो अपने कर्त्तव्य को पूरा करने की सामर्थ्य रखते हों। यदि यह काम किसी ऐरे गैरे को दे दिया तो निश्चित रूप से अधिकारों का दुरुपयोग होगा, संघर्ष की स्थिति पैदा होगी और माल भी बरामद अगर कहीं होने का भी हुआ, तो वह नहीं हो पावेगा। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें एक्साइज एक्ट की नकल आप न करें बल्कि उसकी खामियों से जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे फायदा उठावेंगे इतना ही कह कर मैं अपनी विचारधारा सदन के सम्मुख रखते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अमृतलाल यादव (पृथक् राजस्व मंत्री)-- माननीय उपाध्यक्षजी, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है और उस पर हमारे माननीय दो चार मित्रों ने और प्रकाश डाला है। मैं समझता हूं कि इस धारा में जो व्यवस्था है उसको तो वे भी पसन्द करते हैं पर उनका सवाल यह है कि जो अधिकारी उसके लिये मुकर्रर किया गया है उससे ऊंचा अधिकारी होना चाहिये। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इसमें कोई शक नहीं कि ऊंचे दर्जे का अधिकारी हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। पर सवाल यह आता है कि इस प्रकार की जो बातें होती हैं दूर देहात में अधिक होती हैं। फर्ज करिये कि एक दूर देहात में एक घर में शीरा पड़ा हुआ होने की इत्तला हमें मिलती है। अब आप कहते हैं कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस या इसके पैरेलल कोई अफसर हो तो यह आप स्वयं जानते हैं कि इस प्रकार के अफसर वहां दूर देहात में इतने जल्दी अवेलेबेल नहीं हो सकते और इसमें जरा भी ढिलाई करते हैं और चार दस घंटे भी ढील हो जाती है तो केस जो पकड़ा जा सकता है वह नहीं पकड़ा जा सकेगा। तो मंशा इस की यह है कि सूचना मिलते ही अपराधी कैसे पकड़ा जावे इस दृष्टि से यह प्रोवीजन रक्खा गया है। एक्साइज कमिश्नर और इन्सपेक्टर को लगाने की बात भी माननीय सदस्य ने कही। तो वे जहां अवेलेबल होते हैं उनको तो लगाने की बात आती ही है। पर सौ में से फर्ज करिये दस परसेन्ट भी ऐसे वाकये हुए कि जिन के समय ऐसे अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते हों तो ऐसे समय केस के स्पोइल होने की बजाय तो यह अधिक अच्छा है कि जो भी मौके पर अवेलेबल हो सकता हो उसी से काम ले लिया जाय। तो मकसद हमारा किसी तरह से भी केस को पकड़ लेने का है।

अब इसमें कोई अपराधी जागीरदार है, ब्राह्मण है या बनिया है या गैर जागीरदार है तो इनमें भेद करने की बात राज्य के लिये सोचने की नहीं है। कोई भी हो अगर अपराधी है तो उसे बराबर सजा मिलेगी। केस बराबर पकड़ा जाना चाहिये। अगर जागीरदार है तो बराबर उसे भी सजा मिलेगी

[श्री अमृतलाल यादव]

ग्रौर ग्रगर गैर जागीरदार है तो उसे भी माफ नहीं किया जा सकेगा। मेरे माननीय मित्र ने बताया कि एक्साइज डिपार्टमेन्ट का जो स्टाफ है एन्टी स्मगलिंग फोर्स से उनका मतलब होगा तो उसके बारे में जो उन्होंने कहा कि वे जानबूझकर किसी को हैरान करते हैं तो मैं इन्कार करता हूं इस बात से। वे किसी को हैरेस करने के लिये नहीं हैं। न किसी जागीरदार को हैरेस करते हैं ग्रौर न किसी गैर जागीरदार को। उनकी किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है। पर जो इल्लिसिटली डिस्टिलेशन करने वाले हैं जो बिना कानून ग्रपने घरों में शराब बनाते हैं ग्रौर इस प्रकार एक जघन्य ग्रपराध करते हैं उनको रोकने के लिये वे ग्रपने ग्रधिकारों का सख्ती से इस्तेमाल करते हैं ग्रौर करते रहेंगे।

श्री भैरूंसिंह--कोई कानून का उल्लघंन करे नहीं ग्रौर शराब मिले नहीं ग्रौर फांस लेना किसी को, यह ग्रन्याय है।

श्री ग्रमृतलाल यादव--माननीय सदस्य मुझे बोलने देंगे। इन्टरप्शन नहीं करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। कहीं भी किसी को झूठमूठ फांसने की उनकी मंशा नहीं है। किसी व्यक्ति को परेशान करना उनको ग्रभीष्ट नहीं है, चाहे वह जागीरदार हो या गैर जागीरदार। मैं इससे इन्कार करना चाहता हूं कि किसी जागीरदार को परेशान करने का या उसे ग्रपमानित करने का कभी भी प्रयत्न किया गया हो। ग्रगर मेरे माननीय मित्र का ऐसा खयाल है तो मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं वे यह खयाल ग्रपने दिल से निकाल दें कि एन्टी स्मगलिंग फोर्स का कहीं भी ऐसा खयाल रहा हो। इनमें ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो स्वयं भी राजपूत हैं ग्रौर उनमें कोई छोटेमोटे जागीरदार भी हो सकते हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है। ग्रौर मैं दावे से कह सकता हूं कि उन्होंने ग्राज तक किसी भी निरपराध व्यक्ति को परेशान नहीं किया। हां, दुर्भाग्य से ग्रगर कोई जागीरदार या कितना ही बड़ा ग्रादमी ग्रपराधी पाया जाता है तो वे बिना यह सोचे कि वह कौन है कितना बड़ा है वे ग्रपना फर्ज ग्रदा करते हैं। तो मैं कह रहा था कि इस धारा में इस प्रकार के नियन्त्रण को कड़ा करने की व्यवस्था है ग्रौर मैं यह नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह नियन्त्रण कड़ा होगा तभी इस कानून की मंशा पूरी होगी इसलिये इसमें नियन्त्रण को कड़ा करने की बात कही गई है न कि किसी ऐरे गैरे ग्रादमी को परेशान करने के लिये कोई बात रक्खी गई है। मैं कहता हूं कि ९० प्रतिशत तो जैसा ग्राप कहते हैं वैसे ही उच्च ग्रधिकारी जरूर मिल जावेंगे पुलिस के या एक्साइज के किसी के भी ग्रधिकारी मिल जावेंगे, पर ग्रगर दस परसेंट दूर देहातों में नहीं मिल सकें ग्रौर उच्च ग्रधिकारियों तक सूचना पहुंचाने से विलम्ब होने का ग्रन्देशा रहता है ग्रौर इससे केस के बिगड़ने का ग्रन्देशा हो तो इसके लिये कानून में यह व्यवस्था रक्खी है। तो कानून में बाल की खाल निकालने का विचार हमें नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मित्र मेरी इस बात से सहमत होंगे कि नियन्त्रण ग्रधिक से ग्रधिक कड़ा हो। ऐसी सूरत में यह कानून में जो व्यवस्था की गई है वह सही है ग्रौर इसलिये मैं ग्रसहमत हूं इसको मंजूर करने में।

श्री हरिकृष्ण व्यास--ग्रध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं। नियन्त्रण कड़ा हो यह सही है, लेकिन इस प्रकार की ग्राप जिम्मेवारी दे रहे हैं उस जिम्मेवारी का दुरुपयोग नहीं होगा। इस संबंध में क्या कदम सरकार न उठाये हैं? दुरुपयोग नहीं होने के सिलसिले में एक कदम तो यह होता

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है कि जितने ज्यादा अधिकार जिस प्रकार के अधिकारी को दिये जायं तो साथ ही साथ अमुक स्तर का वह अधिकारी होगा यह भी निर्धारित कर दिया जाय। यह कानून में है कि अगर किसी मर्डर के केस का फैसला होना है तो वह डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स कोर्ट के अन्दर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, और अगर मामूली ३२३ का मुकदमा है तो शायद एक सेकन्ड क्लास का मजिस्ट्रेट भी उसको तय कर सकता है। यह फर्क क्यों किया गया। यह इसलिये किया गया कि जिस प्रकार के अधिकार या जितनी बड़ी सज़ा देने का अधिकार हो, जितने बड़े जुरमाने का निर्णय देने का अधिकार हो उसी स्तर का अधिकारी भी हो। आपने जो अधिकार इन धाराओं के अन्तर्गत किये हैं वे काफी बड़े हैं। उन अधिकारों को कम करने के सम्बन्ध में मैंने संशोधन दिया है ....

श्री अमृतलाल यादव--यह मैं भी नहीं कहता।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अगर कम करने के संबंध में संशोधन होता तो यह कहा जा सकता था कि नियन्त्रण ढीला किया जाय। अधिकारों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का स्तर निर्धारित हो। वह स्तर ऐसा हो कि उसका दुरुपयोग नहीं हो सके। इससे नियंत्रण कहां कमजोर हुआ? अधिकार ऐसे हों तो उनके स्तर के व्यक्ति भी निर्धारित हों। उस अधिकार का प्रयोग करने के बारे में किसी प्रकार का इसमें नहीं है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो। केवल रुकावट है तो यह है कि जिस प्रकार का अधिकार हो तो उसी स्तर के अधिकारी उसका प्रयोग कर सकें। जैसे कि १० हजार रुपये का कोई केस हो तो हाईकोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, मगर कल किसी के मन में यह आये कि प्रेसीडेन्ट द्वारा मुकर्रर किया जाय कोई भी व्यक्ति वही उसका निर्णय कर पायेगा तो मुन्सिफ भी कर पायेगा ऐसे अगर कानून सिविल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत बनने लग जायं तो हम और आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जितने अधिकार हैं उस अधिकार को देखते हुए अधिकारी का दर्जा मुकर्रर नहीं है। इस विशेष बात पर भी मंत्री महोदय ने कोई प्रकाश नहीं डाला। ऐसी कौनसी कठिनाई पैदा हो गई उसका भी कोई उल्लेख नहीं किया है ....

श्री अमृतलाल यादव--मैंने प्रकाश उस पर डाला है कि ६० प्रतिशत जिम्मेदार आफिसर होंगे और १० परसेन्ट ऐसे हो सकते हैं कि दूर देहात में किया जाय और उसकी सूचना मिलने में १,२ दिन की देरी होने पर कोई आफिसर नहीं मिले तो केस गायब हो सकता है और अपराधी नहीं पकड़ा जा सकता है। इसमें नियन्त्रक को अधिकार दिया है कि किसी आफिसर को मुकर्रर करके वह कार्यवाही चालू करे ....

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)--१० परसेन्ट कैसे जिम्मेदार होंगे?

श्री अमृतलाल यादव--अब एक्जेक्ट १० और ५ परसेन्ट की बात नहीं है। मेरी जो मंशा है वह मैंने कही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो, उपाध्यक्ष महोदय, वह जा सकते हैं। ५, १० परसेन्टेज पर अभी नहीं जा सकते हैं। जिम्मेवार आफिसर नहीं पहुंच पायेगा उससे केस बिगड़ जायगा, ऐसा उल्लेख तो माननीय मंत्री महोदय ने कर दिया ....

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मैं चाहता हूं कि गलत को उपस्थित नहीं किया जाय। मैंने कभी नहीं कहा कि गैर जिम्मेदार या इस प्रकार के ऑफिसर वहां पहुंच जायेंगे। मैंने यह कहा कि जो कन्सर्न्ड डिपार्टमेंट है एक्साइज़ या पुलिस का वह मौके पर अवेलेबल नहीं है तो किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी वहां जा सकता है। इसमें गैर जिम्मेदार का क्या सवाल है ?

एक माननीय सदस्य--उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री भैरूं सिंह--The House should be adjourned.

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास--उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में ऐसा मौका आया है कि दो बार कोरम नहीं हुआ तो सारे के सारे हाउस को एडजोर्न करके उस दिन की कार्यवाही को बन्द कर दिया गया। वह अगर आपने यहां भी करें तो कोई एतराज की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--आप तो कन्टीन्यू करें, कोरम है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो मैं यह अर्ज कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि किसी को गलत समझने की मैंने कोशिश तक नहीं की लेकिन यह अभी कहा मंत्री महोदय ने कि ९० परसेन्ट केसेज़ में जिम्मेवार ऑफिसर पहुंच जायेंगे ....

श्री यादव--साहब, 'जिम्मेवार' और 'गैरजिम्मेवार' की बात ही नहीं की है। मैंने तो ऑफिसर कहा था।

श्री उपाध्यक्ष--आप जवाब मत दीजिये। (हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो स्थिति वही की वही रही। आखिर जो प्रश्न मैंने प्रस्तुत किया उसके बारे में यह सब बोल जाने के बाद भी कोई सफाई नहीं हुई, और वह प्रश्न यह है कि किस श्रेणी के अधिकारी को आप जिम्मेवार मानते हैं। स्टेशन हाउस ऑफिसर जैसा कि मैंने बताया कि एक छोटी चौकी है या ऐसी कोई स्थिति है तो एक जमादार भी स्टेशन हाउस ऑफिसर टम्पोरेरी तौर पर प्रमोट किया जा सकता है। तो पुलिस विभाग में तो आपने नीचे से नीचे, यानी जमादार को भी इस श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और आबकारी विभाग में जिस किसी भी अधिकारी को नियन्त्रक नॉमीनेट कर दें। और वह नॉमीनेट करने का जो काम होगा, उपाध्यक्ष महोदय, वह केसेज चालू होने के बाद में नहीं होगा। यह गलतफहमी छोड़ दें, मेरे माननीय मित्र। वह जनरल नोटिफिकेशन होगा कि अमुक अमुक अधिकारियों को यह अधिकार दिया जाता है कि फलां फलां धारा या उप-धारा के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं यद्यपि उसका कोई संबंध नहीं है, मगर एक्साइज़ कमिश्नर को यह महसूस हो कि वह कोर्ट को भी नॉमिनेट कर दे तो क्या बन्धन है? क्या सरकार उसको रोक सकती है? क्या कानून उसको रोक सकता है? उसको कोई रोके यह चीज उसमें नहीं है। इसलिये भी अधिकारियों के बारे में उनके स्तर को समझ कर यानी जो स्तर उनको दिया हुआ है वह उन्हीं अधिकारों के साथ मिले। लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। वह व्यवस्था आवश्यक है। उस व्यवस्था को करने की दृष्टि से ही मेरा संशोधन स्वीकार होना आवश्यक है। तो मैं इतना ही कहते हुए आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर माननीय सदस्यों की सम्मति लेलें।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड ७ के उप-खंड (१) पर श्री एच.के. व्यास ने जो प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ७ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड ८

श्री मुक्तिलाल मोदी--इसमें साहब एक बात गलत है। उसमें २४ घंटों का नोटिस होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, धारा (खंड) ८ के अन्दर 'यथाशीघ्र' शब्द जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर '२४ घन्टों के अन्दर अन्दर' कर दिया जाय। २४ घन्टों के अन्दर २ मजिस्ट्रेट के पास वह शीरा ले जाकर पेश कर देना चाहिए, शीरा जहां कहीं भी हो उसकी रिपोर्ट पेश कर देनी चाहिए और 'यथाशीघ्र' लिखा है तो 'यथाशीघ्र' तो २,३,४ दिन भी हो सकता है और फिर पहले जैसा कि लोगों ने धन्धा बनाया था और अमृतलालजी मिनिस्टर साहब भी करते हैं तो ज्यादा धन्धा हो जायगा। पहले नक्तों के मामलों में हमने धन्धा किया था और अब शीरे के मामले में थोड़ा घना धन्धा कर लेंगे, महाराज....

श्री भैरूं सिंह--वाजिब है यह तो मान लो साहब।

श्री अमृतलाल यादव--मैंने सुना नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी--२४ घंटे का कर दें। 'यथाशीघ्र' रखते हैं वह मत रखो।

श्री हरिकृष्ण व्यास--बात तो वाजिब ही है।

श्री उपाध्यक्ष--कुछ उत्तर देना है?

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ८ स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खंड ८ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

खंड ९ व १०

श्री भैरूंसिंह--खंड ९ पर बोलना है मुझे, उपाध्यक्ष महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड ९ में यह व्यवस्था की गई है कि नियन्त्रक, कन्ट्रोलर, ऐसे व्यक्ति से, जिसके सम्बन्ध में, उचित रूप से यह संदेह किया जाता है उसने धारा ४ के अन्तर्गत दंडनीय अपराध किया है, तो वह नियन्त्रक आपस में समझौता करा कर उससे पांच हजार रुपया तक जुर्माने के रूप में वसूल कर सकता है। समझौता कराने पर, म्यूचुअल अन्डरस्टेंडिंग के आधार पर। पांच हजार रुपये तक के समझोते का मतलब होगा कि उसको और किसी प्रकार की सजा नहीं। पांच हजार तक रुपया वसूल करने का मतलब होगा कि उसकी जितनी प्रोपर्टी जब्त हुई उसको सरकार चाहे तो जब्ती से रिलीज करदे। यह प्रश्न दीखने में तो बड़ा सरल मालूम होता है। सरकार ने एक आसान तरीका निकाल लिया है। मुलजिम और सरकार यदि दोनों रजामन्द हैं और सरकार जितना जुर्माना करना चाहे और वह व्यक्ति उसको पसन्द करता है तो फिर मुकदमाबाजी की जरूरत ही नहीं और उससे वह रुपया वसूल कर लिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एकसा दृष्टिकोण अगर इसमें होता तो मैं इसको आपत्ति नहीं करता। लेकिन इसका दूसरा दृष्टिकोण भी है और वह दूसरा दृष्टिकोण इस कानून का क्लॉज ४ है उसमें यह है OFFENCES, PENALTIES AND FORFEITURE : (1) "Whoever contravenes any provision of this Act or of any rule or order made thereunder or any term or condition of any licence or permit granted or issued under an order made under this Act shall, on conviction, be punished with imprisonment of either description which may extend to one year or with fine or with both." इसका मतलब यह है कि क्लॉज ४ के अन्तर्गत जो सजा देने का विधान बनाया है, क्लॉज ४ के अन्तर्गत एक साल तक की सजा या उसी के अनुरूप जुर्माना या दोनों सज़ा यदि आवश्यकता समझें इस प्रकार की सजा देने का जो विधान बनाया है उस विधान पर इस खंड ९ के द्वारा समझौता करके एक प्रकार से रुकावट डालना है। वह रुकावट है पांच हजार रुपये तक की वसूली और समझौता। पहली तो बदकिस्मती हो इस देश की यह है कि जो भी कानून बने हैं, इन्डियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और जो भी माइनर एक्ट्स बने हैं उनमें एक व्यवस्था कर रखी है जो व्यवस्था अंग्रेजों से चली आयी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सजा देने के दो तरीके रखे हैं। एक सजा है जो कि जेल भुगतना और दूसरी सजा है जो कि जुर्माना अदा करना। मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे दिया गया है कि सजा या जुर्माना करे। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति जुर्माना दे सकता है वह जुर्माना देकर छूट जाय और उसको सजा नहीं भुगतनी पड़े और जो जुर्माना की रकम अदा नहीं कर सकता है उसको जेल भुगतना पड़े। रुपया देने वाला मालदार आदमी है और सजा भुगतने वाला गरीब आदमी है जो कि जुर्माना की रकम अदा नहीं कर सकता और इस कारण से जेल भुगते, जेल में पड़ा पड़ा सड़ता रहे जेल में मूंज कूटे, दरी बुने। तो इस प्रकार से कसूर दोनों का एक सा है लेकिन जो मालदार व्यक्ति है और जुर्माना देकर छूट सकता है वह तो छूट जायेगा और जो आदमी गरीब है उसको जेल भुगतना पड़ेगा क्योंकि वह जुर्माना की रकम अदा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का यह सजा देने का अंग्रेजों का दृष्टिकोण था। आज भी इस प्रकार के दो दृष्टिकोण रखना और वह भी इस प्रकार के माइनर कानून में उचित नहीं है। चाहे कोई हो, चाहे मालदार हो, चाहे गरीब हो, उसके लिए जुर्माने की सजा का

[श्री भैरूंसिंह]

प्रोविजन न रखें। अगर इस प्रकार की सजा रखते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि जितने कैपेटिलिस्ट्स हैं अगर वे इस प्रकार का कार्य करने के कारण अपराधी घोषित किये गये तो जो सजा उनको जुर्माने के रूप में दी जायगी वह उसको आसानी से दे सकेगा, वह सोचेगा कि अगर यह मामला कोर्ट में गया तो जेल भुगतनी पड़ेगी और वे आसानी से पांच हज़ार रुपया कन्ट्रोलर साहब के पास जमा करा देंगे क्योंकि उसमें कोई उनके लिए दिक्कत तो है नहीं जब कि अनाप शनाप कीमत चार्ज की, सेल्स टैक्स की चोरी करके, गरीबों का शोषण करके, मिलों में गरीब मजदूरों के बोनस आदि न देकर, उन गरीब मजदूरों के पैसों को खाकर जो कैपेटिलिस्ट्स बने बैठे हैं। यदि उन पर पांच हज़ार के जुर्माने की व्यवस्था करें तो इसका मतलब यही हुआ कि इस प्रकार का अपराध करने वाले लोगों को एक सरीखी सज़ा नहीं मिली। वे लोग बच जावेंगे और गरीब को जेल भुगतनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि यह हमारा जो दृष्टिकोण है, जो व्यवस्था इस प्रकार की बना रखी है उसको ठीक बनाने के लिये यह सरकार समझे। जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने बड़े जोश से कहा कि यह अनैतिकता है, लज्जा स्पद काम है, घृणित काम है। यदि आप इसको अनैतिकता का काम ही समझते हैं तो फिर इस प्रकार का दृष्टिकोण रख कर गरीबों के प्रति अन्याय क्यों? और इस को आप यदि बुरा काम समझते हैं तो फिर इस प्रकार का अन्याय करने वालों को सज़ा देने में रियायतें क्यों बरतते हो? सज़ा देने के सम्बन्ध में आप कहेंगे कि पांच हज़ार रुपया देना बहुत बड़ी बात होती है। आज कल के शराब बनाने वाले छोटे जागीरदार नहीं, आज कल शराब पीने वाले हैं पूंजीपति, वे शीरा मंगा कर शराब निकालते हैं। आपको मालूम नहीं होगा लेकिन उनके यहां अच्छी अच्छी बोतलें मिलेंगी। जहां यह प्रश्न आता है कि पांच हजार रुपया देकर राज़ीनामा किया जा सकता है, कम्पाउन्ड किया जा सकता है तो यह तो पूंजीवाद को पनपाना है, उन लोगों को एक प्रकार से छूट देनी है, पांच हज़ार रुपया जुर्माना देकर शीरा रख सकेंगे, नाजाइज़ रूप से शराब निकाल सकेंगे। यदि उनको वास्तव में सज़ा ही देना है तो शारीरिक दंड देना चाहिये। चाहे कोई हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, उसको अपराध के लिये शारीरिक दंड भुगताया जाय। यदि शारीरिक दंड भुगताया गया तो शराब निकालने वाले व्यक्ति दूसरी बार चेष्टा नहीं करेंगे कि वे शराब निकालें। कम्पाउन्ड करने का रखा है। एक आदमी जेल गया। जेल से निकलकर आने के बाद फिर वह वही धन्धा करता है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वही नाजाइज़ तरीका अपनायगा। उस नाजाइज़ तरीके को अपनाने के कारण अगर उसकी शिकायत किसी ने एक्साइज़ इन्सपैक्टर को कर दी और उससे उसके घर की तलाशी हो गई, माल बरामद हुआ तो वह सोचेगा कि मुझे जेल जाना पड़ेगा तो वह चोरी करेगा, घर की औरत के ज़ेवर बेच कर ५०००) रु० देगा। अगर इस रकम का वह भुगतान नहीं कर सकेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। इसलिये चाहियें तो यह था कि इस प्रकार की हरकतें करने वाले व्यक्ति को एक ही दफा शारीरिक सज़ा ही दी जाय तो वे दूसरी बार इस प्रकार की हरकतें करने से बचेंगे। अगर इस प्रकार का अंकुश नहीं रखेंगे तो जो पैसे वाले हैं और इस प्रकार का नाजाइज़ काम करने वाले हैं, अमीर हैं वे बच जायेंगे और गरीब मारे जायेंगे। गरीब जेल खाने में पड़ेगा। केवल गरीब को ही इस प्रकार की सजा देना है तो वे फिर शीरा, शराब निकालने का धन्धा दुबारा करेंगे। इसलिये मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस धारा को संशोधित रूप से लायें जिससे निश्चित रूप से शारीरिक दंड ऐसी हरकतें करने वाले भुगत सकें चाहे वह अमीर हो या गरीब।

[श्री भैरूंसिंह]

यदि इस प्रकार की चीज नहीं होती तो मैं यह कहूंगा कि इस कानून में सबविधान रखा है वह बिल्कुल अपर्याप्त है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, यह धारा ९ में और धारा ४ के अन्दर तो जो कुछ रखा था थोडा घणा, उसमें कई लोग फंस सकते थे । लेकिन धारा ९ में जब सारे पावर कमिश्नर को दे दिये कि वह जुर्माना करके उसको माफ भी कर सकता है तो यह बिल्कुल उचित नहीं है । माननीय उपाध्यक्षजी, शीरा बेचेंगे भी पैसे वाले, और शराब पीयेंगे भी पैसे वाले और शराब बनायेंगे भी पैसे वाले । मैं उदाहरण के तौर पर बता सकता हूं कि एक मेरे दोस्त के यहां कुछ जापानी लोग आये थे । उन्होंने इस शीरे की शराब को पीकर ज्यादा अच्छा बताया बनिस्पत सरकार जो शराब बनाती है उससे । तो आज सरकार यह कर रही है कि कोई जर्म करने वाला है उसका केस लाकर उससे पैसे लेकर उसको माफ करदे और वहीं मुकद्दमा खतम करदे तो फिर कानून क्यों बनाया जाता है ? इस कानून को इतने दिन तक नहीं बनाया तो आज भी लाने की आवश्यकता नहीं थी । लेकिन जब कानून हाउस में आता है और १६० एम. एल. ए. जनता के प्रतिनिधि चुन कर आये हैं और जनता की कठिनाइयों को समझते हैं तो कानून ऐसा बनाइये कि दूसरी विधान सभाओं के जो सदस्य हैं वे इस चीज को देखें कि राजस्थान में इस तरह के कानून बन रहे हैं जो दूसरी विधान सभाओं में नहीं बने हैं । लेकिन ऐसे कानून मत बनाइये कि जिन के जरिये जो कुछ भी हो रहा है उस पर पानी फिर जाय और लोग कहने लगें कि यह विधान सभा इस तरह के कानून बना कर जनता और दूसरी विधान सभाओं के सामने लाती है ऐसे कानून नहीं बनाये जाने ही ठीक हैं ।

आप जो ९ वीं धारा पास कर रहे हैं उसमें मेरे माननीय मित्र ने जो सुझाव दिये हैं उसी तरह का सुझाव मैं भी देने के लिये माननीय मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं यदि जुर्माने के बदले सजा रख देते कि जो कोई आदमी इस तरह का काम करेगा उसको सजा दी जायगी । जुर्माने के बदले इस तरह की कोई चीज होगी तो ज्यादा अच्छी बात होगी । जुर्माने की इस प्रकार की सजा अंग्रेजों और राजाओं के जमानें में जो कानून सरकार बनाती थी उस समय रखती थी । उससे भी नीचा स्तर कर दिया राजस्थान सरकार ने । और भी नीची श्रेणी में पहुंचने की कोशिश की बजाय ऊंची श्रेणी में पहुंचने की कोशिश करने के । तो मंत्रीजी को चाहिये कि ९ वीं धारा को बिल्कुल हटा दें और जिस तरह का सुझाव माननीय मित्र ने दिया है उसको मान कर फिर एसेम्बली में इस धारा को पास करना चाहिये ।

श्री अमृतलाल यादव—उपाध्यक्षजी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र मोदीजी को शीरे के मामले में बड़ी दिलचस्पी है । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी धारा सभाओं ने भी इस तरह के बिल पास किये हैं तो जो अब तक एक्ट बन गये हैं राजस्थान की धारा सभा में यह लास्ट है ।

अब दांता रामगढ़ से आने वाले मित्र ने जो कुछ कहा उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं । उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया कि सजा में फिजीकल पनिश्मेण्ट मिले या मेण्टल । याने कैद हो या जुर्माना हो । ऊपर कानून में दोनों ही की व्यवस्था है । उसको कोर्ट से सजा भी हो सकती है

[श्री अमृतलाल यादव]

और जुर्माना भी हो सकता है। उन्होंने आपत्ति की है केस को कंपाउण्ड करने के लिये कि केस कंपाउण्ड न हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे कानून मुझसे ज्यादा जानते हैं और हर कानून में केस को कंपाउण्ड करने की व्यवस्था होती है इसलिये इसमें भी की गई है। इस धारा के रहने में आपत्ति नहीं है कि कोई केस कंपाउण्ड हो। यदि कोई ५,०००) रु. जुर्माना देदे तो यह एक्ट के विरुद्ध नहीं है। इसलिये यह संशोधम ऐसा नहीं है कि जिसे स्वीकार किया जा सके। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस धारा को मूल रूप में पास किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड ९ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड १०

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १० स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ११

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ११ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ११ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड १२, श्री व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, खंड १२ में मेरा यह संशोधन है कि इस खंड को विलोपित किया जाय।

खंड १२ के दो भाग हैं। पहला भाग तो यह है कि, "राज्य सरकार या किसी पदाधिकारी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत या अनुसार या इसके अन्तर्गत निर्मित किसी नियम या दी गई आज्ञा के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने वाले, किसी कार्य के लिये किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की जायगी।"

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

और दूसरा भाग इसका यह है : "कोई न्यायालय ऐसे वाद पर, जो राज्य सरकार के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन या अनुसरण में किये गये अथवा किये हुए कहे जाने वाले किसी कार्य के संबंध में वैध रूप से प्रस्तुत किया जा सकता हो, वैधिक विचार नहीं करेगा, जब तक कि वाद, जिसके संबंध में अभियोग लाया गया हो, ऐसे कार्य की तारीख से ६ महीनों के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो।"

ये जो दोनों अंग हैं, ये उपाध्यक्ष महोदय, दोनों अंग अपनी घबराहट का सार्वजनिक ऐलान करने के अंग हैं। राज्य सरकार एक ओर तरह तरह के अधिकार लेने के लिये लालायित रहती है। एक ओर विभिन्न कानूनों के अधिकारों के प्रयोग के नियम बनाने के बारे में, तथा और दूसरे कार्यों के करने के बारे में सदैव तैयार रहती है और अगर कभी प्रश्न उपस्थित हो तो यह कहना पड़ता है कि इसके सिलसिले में कुछ सोच-समझ कर विचार करने के बाद निर्णय लेंगे, आपकी सरकार को अधिकार देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। लेकिन जहां अधिकार लेने के लिये सरकार इतनी लालायित रहती है वहां अपने या अपने अधिकारियों के बचाव के लिये भी सरकार उतनी ही चिन्तित रहती है। उसको सदैव यह डर बना रहता है कि हम कानून का दुरुपयोग यदि कर दें, कानून की खिलाफ वरजी करदें, किसी को नुकसान पहुंचादें, किसी के साथ अन्याय करदें और मामला अदालत में चला गया तो फिर क्या होगा ? अपने बचाव के लिये इस कानून में ऐसी धाराओं का समावेश करने के लिये सरकार प्रयत्न करती है अधिकार दो और अधिकार के बारे में बन्दिश मत रखो और यदि हम अधिकारों का दुरुपयोग भी करें तो हमारी सद्भावना पर भरोसा करके चलो। अब यदि सद्भावना में कोई किसी का गला घोट दे तो जिसका गला घोटा गया उसके लिये आपकी सद्भावना क्या काम आई ? सद्-भावना से आप यदि किसी को कूए में ढकेल दें तो वह जो कूए में जा चुका है उसके लिये आपकी सद्भावना काम नहीं आयगी। अंग्रेजी में एक कहावत है :—" The way to Hell is paved with g od intentions.' अच्छी भावनाओं से प्रेरित होकर यदि किसी के साथ अन्याय किसी ने किया हो तो अधिकार लेने वाले की नैतिक जिम्मेदारी है। वह इस बात के लिये सदैव तैयार रहे कि यदि अधिकार का दुरुपयोग हुआ है, कानून के खिलाफ कार्यवाही हुई है, कानून की सीमाओं का उलंघन करके कार्य किया गया है तो मैं तैयार हूं अपने पक्ष को अदालत में प्रस्तुत करने के लिये और यह कहने के लिये कि कोई गलती नहीं हुई।

और यह साबित करने के लिये कि ऐसी कोई गलती नहीं की गई है, इतनी हिम्मत के साथ, इस बात को रखने के लिये सरकार की हिम्मत नहीं है। नतीजा यह होता है कि एक ओर सरकार कानूनों में विभिन्न अधिकार अपने हाथ में लेती है और दूसरी ओर इन धाराओं की आड में शिकार करने की नीयत से, अपना बचाव करने की नीयत से जैसे महाभारत के समय में शिखण्डी का प्रयोग किया गया था वैसे ही सरकार इन धाराओं का शिखण्डी की तरह प्रयोग करना चाहती है कि अगर हमारे अधिकारी गलती करें, हम अन्याय करें, ज्यादती करें, गड़बड़ियां करें तो कोई भी अदालत इन मुकदमों को सुनेगी नहीं, किसी अदालत को अधिकार नहीं होगा कि उसकी सुनवाई करें। कहने को कहा जाता है कि सद्भावना की दृष्टि से यह किया गया है। सद्भावना के लिये आप तो एक मेमोरियल बना दें, सेक्रेटेरियेट में एक कमरा रिजर्व रख दें।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अतः अदालतों के अधिकारों को सीमाबद्ध करते हुए, अपने कार्यों पर अदालत की रोशनी न पड़ पाये इस दृष्टि से आपने यह धारा रखी है। उसके लिये मैंने यह संशोधन रखा है कि इस क्लॉज के दोनों अंशों को विलोपित किया जाना चाहिये और सरकार को तैयारी दिखानी चाहिये कि उसे स्वीकार करे और सरकार को इस बात के लिये भी तैयारी दिखानी चाहिये कि हम हमारे कानूनों का ठीक रीति से पालन करेंगे। ठीक रीति से उस कानून का पालन करते हुए भी जवाबदार बनाया जायगा तो अदालत के सामने जा कर सफाई देंगे कि यह ठीक है। नहीं तो गिल्टी कोन्सियश है जो किसी सूरत में दुरुस्त नहीं मानी जा सकती।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन जो इस धारा को विलोपित करने के लिये रखा गया है उसे प्रस्तुत करता हूं।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है उसे मैं नम्रता पूर्वक अस्वीकार करता हूं।

श्री एच० के० व्यास—कारण तो कुछ बताया होता।

श्री दामोदरलाल व्यास—आपकी कोई दलील नहीं, यही कारण है।

श्री एच० के० व्यास—तो मेरे लिये भी सिवाय इसके और कोई चारा नहीं कि ऐसे बगैर दलील दिये हुए अस्वीकार हैं उसको मैं भी अस्वीकार करता हू और मेरा संशोधन है कि उस पर मत ले लिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ पर जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड १२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड १३

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

खंड १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १, टाइटल और प्रिएम्बल स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

खंड १, टाइटल और प्रिएम्बल विधेयक के अंग बने ।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह बिल पास किया जाय ।

श्री भैरू सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, क्या यह प्रस्ताव लिखा हुआ आया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी कोई जरूरत नहीं ।

श्री एच०के० व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक तो वे प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, करते नहीं हैं ।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने प्रस्ताव कर दिया है ।

श्री भैरू सिंह—प्रस्ताव कर दिया है । क्या इसे प्रस्तुत करते हैं, यह माना जाय ? ठीक सर बोलाइये साहब ।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है फिर से पढ़ दीजिये ।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान शीरा (नियन्त्रण) विधेयक, १९५६ को पास किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

श्री भैरू सिंह (दातारामगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं । इसको पास नहीं किया जाय । माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसके विरोध में कुछ बोलूं तो ऐसा है कि जिन माननीय सदस्यों ने, जिनके अभी अलग अलग संशोधन आये थे उस समय कई बातें प्रस्तुत की गई । उनमें से एक बात यह भी है, कि कोई भी कानून बनायें तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है कि नहीं, अगर कोई आवश्यकता है तो कोई अलग कानून बनाने से ही आवश्यकता पूरी हो सकती है या पहले से कोई ऐसा कानून है जिसमें थोड़ा या एडीशन करने से वह आवश्यकता पूरी हो सकती है । इस बात पर विचार करने के बाद यह अनिवार्य मालूम हो कि अलग कानून बनाने से ही यह आवश्यकता पूरी हो सकती है, तो उसी सूरत में वह कानून बनाया जाना चाहिये ।

[श्री भैरूंसिह]

एक्साइज एक्ट को देखें तो उसमें हमने इस बात की व्यवस्था की है कि शराब बनाने के लिये या गांजा अफीम के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की तैयारी करता है या उपरोक्त चीजों में से कोई चीज जिन चीजों से बन सकती है उन चीजों का क्रय विक्रय करता है, अपने पास रखता है, इस प्रकार की चीजें बनाने के औजार अपने पास रखता है, औजार बनाता है तो उसके लिये राजस्थान में एक्साइज एक्ट बना हुआ है और इस एक्ट के तहत उन लोगों को सजा दी जाती है।

ऐसी सूरत में फिर केवल शीरा के लिये कानून बनायें और उसके लिये अलग तौर से यह व्यवस्था करें कि उसको पकडना, कम्पाउण्ड करना, नेरेशन के अधिकार अलग देना, इस प्रकार की अलग से व्यवस्था करेंगे तो बिला वजह कानूनों की संख्या में वृद्धि करेंगे। राजस्थान में कानूनों की भरमार है।

सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिज महाजन ने एक बार कहा था कि आजकल की विधान सभाओं में फैशन हो गया है कि कानून बनाये जायं, फिर यह नहीं देखा जाता कि कानून बनाने की आवश्यकता है कि नहीं। उनके कहने के मुताबिक तो प्रान्तों में इतने कानून बन गये हैं कि उनके बीड हो गये हैं। जो कुछ राय देते हैं उसकी जानकारी उनको नहीं, वकीलों को उनकी जानकारी नहीं, विधान सभा के सदस्यों को जानकारी नहीं, मगर फिर भी कानून पे कानून बनाये जाते हैं। यह एक प्रकार का कानून बनाने का फैशन हो गया है। कानून का एक बीड का बीड खडा हो गया है। माननीय मंत्री महोदय को कानून बनाने से पहले यह सोचना चाहिये कि इस प्रकार के कानून की कोई आवश्यकता है या नहीं ? ऐसा नहो कि जरुरत न होने पर उसके लिये दो तीन लाइन का एमेण्डमेण्ट ला कर सारे कानून को फिर से रद्द करना पडे। विधान सभा में इन सारी बातों पर विचार किया जाना चाहिये। मगर इन सारी बातों पर विधान सभा जाये क्यों ? सब यही सोचते हैं कि हम भी एक नया कानून बना कर कानून के बीड में अपना भी एक पेड-पौदा उगाएं। अतः मैं समझता हूं कि यह अतिरिक्त कानून है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

अब दूसरा प्रश्न आता है उसी बात पर जिस पर कि मैंने पहले संकेत किया था, कि जिन मामलों को कम्पाउण्ड करना चाहेंगे वह पैसे के बल पर कंपाउण्ड हो जायेगा और अपराधी को सजा नहीं मिलेगी। जब यह शीरा का मामला है तो इसके लिये फैक्ट्री और कम्पनी का प्रश्न आयेगा। इस मामले में मैं यह विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने पैसे वाले है उनको इससे फायदा होगा या उन लोगों को इससे फायदा होगा जो राजनैतिक संस्थाओं के प्रभावशाली व्यक्ति हैं या उनके रिश्तेदार हैं। तो उनको शारीरिक दण्ड नहीं दिया जावेगा। मैं इसके मिसाल के तौर पर एक फोटो पेश करूंगा। एक कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता जो नाजायज शराब बनाते थे उनके यहां चालू भट्टी पुलिस द्वारा पकड़ी गई। शराब के मटके पकडे गये। तस्वीर में एक जगह शराब की भट्टी जिसमें शराब निकल रही है और दूसरी तस्वीर है शराब के भरे हुए मटकों की। ये कहां पर सरदारशहर की चंडालिया आइस फैक्ट्री में पकड़े गये। यह वी० डी० शर्मा जो कांग्रेस के नये सक्रिय कार्यकर्ता हैं और चूरु मद्य निषेध कमेटी के सदस्य हैं, वहां पर शराब निकालते हैं और पकड़े जाते हैं लेकिन उनको सज़ा नहीं मिलती है। यदि आप देखना चाहते हैं तो यह फोटो प्रगतिशील जागरण अखबार में निकली है। शराब भभक भभक

Page No 83

[श्री भैरूंसिंह]

कर निकल रही हैं। उसी वक्त सर्कल इंसपेक्टर पहुंच जाते हैं और बदकिस्मती से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है।

यदि इस प्रकार की चीज होगी तो बडे बडे लोग पैसा देकर छूट जावेंगे। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि जो कानून बनाया जा रहा है वह आज के समय के अनुकूल नहीं है कि पैसेवालों को जुर्म करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय। इसलिये इस प्रकार के कानून का विरोध करने के लिये मैंने कुछ बातें सदन में पेश की हैं और माननीय सदस्यों की जानकारी और माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये ये तीनों फोटो सदन की मेज पर रखता हूं। कांग्रेस में जाने के बाद शराब निकालने की छूट मिलती है।

(तीनों चित्र सदन की मेज पर रखे गये)

श्री उपाध्यक्ष--(श्री पृथक् राजस्व मन्त्री को सम्बोधित करते हुए) उत्तर देना है?

श्री भैरूंसिंह--कांग्रेस के सक्रिय सदस्यों की फ़ोटो देख कर उत्तर देंगे।

श्री अमृतलाल यादव--माननीय उपाध्यक्ष, मेरे माननीय सदस्य ने फ़ोटो दिखा कर सदन को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तो पहले ही निवेदन कर दिया था कि चाहे वह जागीरदार हों या ग़ैर जागीरदार हों कानून के माफ़िक़ उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरूंसिंह--जागीरदार या ग़ैर जागीरदार न कहें, कांग्रेसी हों या ग़ैर कांग्रेसी।

श्री अमृतलाल यादव--जो कोई भी कसूर करेगा वह सजा पाएगा। फ़ोटो दिखाने से कोई दोषी या निर्दोषी नहीं हो सकता। यह तो दोषी सावित होने पर बात है। ऐसी बातें कई मक़सद की होती हैं मगर मैं उनमें उलझना नहीं चाहता। माननीय सदस्य ने दुबारा कहा। मैंने सेकिन्ड रीडिंग के बारे में कहा था। मैं समझता हूं कि उन्होंने सुना नहीं होगा या वे उस समय उपस्थित नहीं होंगे। मैं ने कहा था कि वे कानून मुझसे ज्यादा जानते हैं। मगर हर प्रकार के कानून होते हैं उनमें केसेज़ को कम्पाउन्ड करने की बात होती है और एक्साइज़ एक्ट में भी इस प्रकार का कानून है और इसी तरह से इस कानून में भी प्रोवीजन हो, तो इस प्रोवीजन के रहने से कोई अपराधी छूट जाएगा या इस कानून का मक़सद पूरा नहीं होगा, मैं समझता हूं यह तो समझने की बात नहीं है और न माननीय सदस्य को समझना चाहिये। वे कहते हैं कि इसमें कम्पाउन्ड करने का प्रोवीजन नहीं रखा जावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के सभी केसेज़ में कम्पाउन्ड करने की गुन्जाइश रहती है और रहने दी जानी चाहिये और यदि बाद में आपको यह महसूस हो कि कम्पाउन्ड करने में इस प्रकार की कोई बात आती है या इससे कोई वेरी सीरियस डिफ़ेक्ट हो जाता है तो यह आप जब चाहें तब इस पर विचार कर सकते हैं। इसके लिये आप जब चाहें तब संशोधन ला सकते हैं। मगर फ़िलहाल जैसा है वैसा ही रहने दिया जावे। इस प्रकार की बातें दूसरी सभी स्टेट्स में हैं और इसलिये यहां पर भी रखी हैं। फ़िलहाल इस प्रोवीजन को रखना आवश्यक है और इसको हटाने की आवश्यकता नहीं है।

Page No 84

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि राजस्थान शीरा (नियन्त्रण) विधेयक, १६५६ पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास

राजस्थान कृषि ऋणिता (निवारण) विधेयक, १६५६

(खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--Motion moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज २

श्री भैरू सिंह--मेरा नोट ऑफ़ डिसेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष--क्लाज़ २ पर आपको कुछ कहना है?

श्री भैरू सिंह--माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज़ २ में परिभाषा दी हुई है। इस बिल की यह मंशा है कि राजस्थान में जितने काश्तकार हैं उन काश्तकारों पर जो कर्ज़े का बोझ है उसको हल्का किया जावे। कई वर्षों से काश्तकारों पर बोहरे लोग जो मनी लेंडिंग का काम करते हैं उन व्यक्तियों पर ब्याज पर ब्याज जिस प्रकार झूठा सच्चा हिसाब बना सकते थे, बना बना कर काश्तकारों को परेशान करते थे और उनका खून चूसते थे, उनको उनके रुपयों का उसी प्रकार भुगतान किया जाना बिल्कुल संभव नहीं। इस दृष्टि से उन्होंने जो अनुचित फ़ायदा उठाया है उन अनुचित फ़ायदों से उन आदमियों को महरूम करके जो वाजिब चीज़ है इस विधेयक द्वारा मन्जूर करवा लीजिये, इस प्रकार की व्यवस्था इस विधेयक द्वारा होगी।

परिभाषा में दिया गया है कि किसी प्रकार के काश्तकार को लाभ हो सकता है, पहले दिया था कृषक का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो पूर्णतया या मुख्यतया खेती से या कृषि भूमि के लगान या पट्टे

[श्री भैरूंसिंह]

से प्राप्त हुई राशि से अपना जीवन निर्वाह करता है, तथा इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है जो सामान्यतया सम्बन्ध श्रम कृषि करता है अथवा जो किसी ग्राम के कृषि सम्बन्धी दस्तकार के रूप में काम करता है ।

अब इस चीज़ को हटाकर दूसरी व्यवस्था की है। वह व्यवस्था मूल विधेयक जब आया था उसमें कृषक की परिभाषा में यह था कि जो आदमी खेती करता है मुख्यतया या पूर्णतया जीवन निर्वाह के सारे साधन खेती से उपलब्ध करता है और जो आदमी खेती से लगान लेता है, कृषि सम्बन्धी श्रम करता है, दस्तकार के रूप में काम करता है, वह सारे व्यक्ति खेतिहर व्यक्ति समझे जायेंगे, कृषक समझे जायेंगे उनको इस कानून के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया जा सकता है। प्रवर समिति ने जो संशोधन किया उसकी मन्शा यह है, अगर वह ऐसा व्यक्ति है राजस्थान टीनन्सी एक्ट, १९५५ की धारा ४६ की उप-धारा (१) के खंड (ए) से (एच) तक में वर्णित श्रेणियों में से किसी एक में आता है, तो कृषि भूमि के लगान से जीविका कमाता है तथा इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है जो सामान्यतया कृषि सम्बन्धी श्रम करता है अथवा जो मुख्यतः कृषि सम्बन्धी दस्तकार के रूप में काम करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो अन्तर रखे गये हैं, जो मूल विधेयक था उस मूल विधेयक में यह व्यवस्था की गई है, लगान लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति कृषक समझा जायगा और उसको भी इस कानून के अन्तर्गत लाभ पहुंच सकेगा। प्रवर समिति ने सिफ़ारिश की है, अगर वह व्यवस्था होती है तो वह व्यक्ति लगान लेने वाला है, उसको कृषक नहीं समझा जायगा। लगान लेने वाला व्यक्ति राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५५ की धारा ४६ की उप-धारा (ए) से (एच.) तक की परिभाषा में न आता हो। टीनेन्सी एक्ट की धारा ४६ की उप-धारा (ए) से (एच) तक में जो व्यवस्था की गई है उन व्यक्तियों की व्यवस्था की गई है जो अपाहिज हैं, लूले लंगड़े हैं या विधवा औरतें हैं, इसी प्रकार के व्यक्ति हैं जो खेती से अपनी आजीविका उपार्जन नहीं कर सकते और दूसरों से खेती कराते हैं और खेती का लगान लेते हैं, वैसे लगान लने वाले व्यक्ति कृषक समझे जायेंगे, बाकी जितने भी दूसरे व्यक्ति हैं वे कृषक नहीं समझे जायेंगे। 'कृषक' की परिभाषा केवल इतनी रखी जाय, जो आदमी खेती करे, जो ज़मीन के अन्दर बीज डाले, हल हाथ में ले, खुरपे से निनाण करे, स्वयं निनाण करे, ज़मीन की बुवाई खुद करे, फ़सल की कटाई स्वयं करे, अनाज निकालने के जितने भी काम हैं सब अपने हाथ से करे, वही आदमी कृषक माना जाना चाहिये। यही परिभाषा 'कृषक' की डिक्शनेरी में दी हुई है और जो सर्वमान्य परिभाषा है और प्रचलित परिभाषा है, यही परिभाषा पर्याप्त है । लेकिन हमने कृषक की परिभाषा को व्यापक बनाया है, वह इस दृष्टि से बनाया है कि कृषि सम्बन्धी काम करने वाले व्यक्ति, कृषको के काम आने वाले औजार बनाने वाले व्यक्ति; उन सारे व्यक्तियों को कृषक समझा जायगा। इस तरह से हमने 'कृषक' का परिभाषा को व्यापक बना दिया है, उसमें निकाला है केवल लगान लेने वाले को, लगान लेने वाले जागीरदार को इसलिये निकाला है कि किसी तरह जागीरदारों को राहत न मिल जाय, वे राहत नहीं पा सकते। आपने व्यवस्था कर दी 'जागीरदार' शब्द की आवश्यकता नहीं, जागीरदारों को किसी प्रकार लाभ न पहुंचे प्रवर समिति ने यह सिफ़ारिश करदी। सिफ़ारिश का परिणाम क्या होगा ? अगर यही बात होती, कोई जागीरदार खेती करता है, जागीरें तो सन् ५४ में रिज्यूम हुई, ५५ में हुई ५६ में हुई और ५७ में भी रिज्यूम होंगी। जिन जागीरों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला और न मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कानून

[श्री भैरूंसिंह]

ही ऐसा दुरूह बना कि जिसका इम्प्लीमेन्ट होना बड़ा मुश्किल है। मापदंड तो यह लेते हैं कि सारे के सारे कम्पेन्सेशन मिलने वाले हैं, पुनर्वास की सहायता मिलेगी, लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं, हम इन अनिश्चित चीजों के कारण ऐसे व्यक्तियों को कृषक की परिभाषा से निकाल नहीं सकते। जागीरदारों के लिये मैंने कई बार बता दिया है कि सभी जागीरदारों को एक ही नाम से आंकना ठीक नहीं है। जागीरदारों में सभी श्रेणी के जागीरदार हैं। मैं आपको बताऊं, पांच लाख की सालाना की आमदनी वाले भी जागीरदार हैं और एक रुपया सालाना आमदनी वाले भी जागीरदार हैं। लेकिन उनको किसी प्रकार का लगान नहीं मिलता। जो जमीन के मालिक जरूर हैं, लेकिन वे इतनी हिस्सों में बांट दी गई है कि उसका लगान कुछ भी नहीं मिलता। लगान लेने वाले व्यक्ति को आप फायदा न पहुंचायें, लेकिन वह काश्त करता है, लगान लेता है, इसलिये परिभाषा में नहीं आता तो यह जागीरदारों के नाम पर एक डंडे से हांकने वाली नीति है। यह हो सकता है कि इसके समावेश से कुछ बड़े जागीरदारों को भी फायदा पहुंच सकता है, लेकिन न रखने से आज लाखों गरीब राजपूत जागीरदार इससे वंचित रह जाते हैं। आप इसे केवल न्याय की दृष्टि से सोचें, जागीरदार को भी काश्तकार समझें। आप यह भी सोचें कि जागीरदारों पर कर्जा है या नहीं, अगर कर्जा है तो वह बड़े हैं या छोटे। हमारे माननीय राजस्व मंत्री को यह भली भांति विदित है कि राजस्थान के जागीरदारों पर बहुत कर्जा है, उनको भी कर्जे से मुक्त करने के लिये वे कह सकते हैं कि हम एक ऑर्डिनेन्स इश्यू करने वाले हैं, विधान सभा में कानून बना कर लाने वाले हैं। मैं उन जागीरदारों की बात नहीं करता जिन पर लाखों रुपया बकाया है, केवल हजारों रुपया है, ऐसे व्यक्ति भी हैं। जिनकी जमीन है दस बीघा, पांच बीघा जमीन पर लगान मिलता है उन जागीरदारों पर भी कर्जा है। जिन पर बोहरों ने ब्याज पर ब्याज जोड़कर काफी रुपया बाकी निकाल रखा है, ऐसे अधिकांश जागीरदार हैं, हमें चाहिये कि उन जागीरदारों को भी कर्ज से मुक्ति दिलायें। अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून का मतलब होता है सरकार के बीच और जागीरदार के बीच जो कर्जा है उस कर्जे को निपटारा कर सकें, और बोहरों के रैसों में जमा कर सके। जागीरदारों में ऐसे जागीरदार हैं जो काश्त करते हैं, जिस काश्त की आमदनी का हिस्सा रेन्ट एरियर्स में देते हैं, अगर उनकी आमदनी को देखा जाय तो काश्तकार की आमदनी से बहुत कम है। आज यदि काश्तकार की श्रेणी में जागीरदार जागीरें छोड़ कर काश्तकार हो गये हैं, आप उनको भी कानून के फायदे से वंचित रखने की चेष्टा क्यों करते हैं? आपको इस संबन्ध में न्याय की दृष्टि से देखना पड़ेगा। राजस्व मंत्रीजी की जानकारी के लिये यह बताऊं, जागीरदारों के कर्जे से वे कम जानकारी रखते हों, यह बात नहीं। उनको मैं बताऊं उन्हीं के टोंक के जागीरदारों की हालत को देखिये, जिन पर रात-दिन डिक्रिया हुआ करती हैं। जिस समय वे वकील थे वे खुद सोचें जागीरदारों के लगान के कारण इसमें से महरूम रखा जा रहा है, क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है? क्या बोहरे लोग उन पर डिक्री नहीं करते, क्या उनके मकान आदि डिक्री लाकर जब्त नहीं करते? मैं समझता हूं कि उसी प्रकार से उनके ऊपर भी अन्याय होता है, तो इन दोनों की एक ही परिभाषा बना कर सोचना पडेगा। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि केवल लगान देने की संज्ञा देकर किसी को इस कानून के फायदे से वंचित करना अन्याय होगा। एक बात आवेगी, उधर से नहीं तो किधर से भी कोई कहेगा कि इससे बडे जागीरदार को फायदा होगा। पर अगर इस परिभाषा को इसी रूप में रखा गया तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को भी फायदा होगा और उनको कैपिटलिस्ट

[श्री भैरूंसिंह]

की संज्ञा देने की बात भी आ सकती है। इस प्रकार की संज्ञा देकर अगर उनको जागीरदारों से अलग कर सकते हैं तो उनको भी फायदा होगा; यह मैं मानता हूं। इन बोहरों की और इनकी दोनों की लड़ाई में बीच में न पडे। जो हिसाब-किताब गलत बता कर एडजस्ट करते हैं तो करें। लेकिन किसी को फायदा देना है, दृष्टिकोण यह है तो जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनको फायदा पहुंचावें। मैं कहता हूं अगर पांच हजार के नीचे जितने जागीरदार हैं तो उनमें किसी के पास बैल है तो हल नहीं, हल है तो बैल नहीं, हल मिल गया तो बीज नहीं, मनुष्य हैं तो पहनने को कपड़ा पूरा नहीं, घर है तो खाने को पुरा अनाज नहीं। इसको यह कह दें कि ये जागीरदार हैं, उनको राहत नहीं मिल सकती तो मैं कहूंगा कि यह अन्याय है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि वे स्वयं मिनिस्टर महोदय ऐसे मामलों में अपने अनुभवों को काम में लें। अपने जिले में जो वकालत की है उसके अनुभवों को काम में लें और इन बोहरों का इन छोटे जागीरदारों पर जो अन्याय हो रहा है उससे उनको भी राहत दिलावें। वे अगर उदारता से विचार करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि काश्तकारों से भी अधिक इस प्रकार के जागीरदारों पर अन्याय होता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा और खास तौर से राजस्व मंत्रीजी से और इसके बाद में सभी सदन के विचारवान सदस्यों से कि इसकी परिभाषा से काश्तकारी के जितने भी काम करने वाले हैं उन लोगों के साथ इन काश्तकार जागीरदारों को भी राहत मिलनी चाहिये। मूल कानून में ऐसा था। कई गांवों में काश्तकारी के काम में आने वाले इम्प्लीमेन्ट्स बनाने वाले खाती हैं, लुहार हैं, हल बनाते हैं या हल की दूसरी सामग्री बनाने वाले हैं या कोई कुम्हार है जो कृषकों के लिये बरतन बनाते हैं तो इनके संबंध में भी हमने एक व्यवस्था दी थी कि इनको भी कृषकों की संज्ञा दी जावे और जो लाभ कृषकों को पहुंचने वाला है वह इनको भी मिले। उप समिति ने इस पर विस्तृत विचार करके एक सूची बनाई और कहा कि इस प्रकार सबको फायदा पहुंचाया जावे। मैं मानता हूं कि यह दलील भी कुछ वजन रखती है और इस हद तक कि जितने भी इम्प्लीमेण्ट्स बनाने वाले व्यक्ति हैं, वे यदि केवल इस दृष्टि से बनाते हैं कि वे अपने गांव तक ही सीमित हों, पर यदि इस दृष्टि से बनाता है कोई कि मुझे इनका जबर्दस्त व्यापार करना है, फैक्ट्री चलानी है, एक उद्योगशाला बनानी है या मुझे इस प्रकार के व्यापार की दृष्टि से सारा काम करना है, तो वे राहत पाने के काबिल नहीं हो सकते और अगर उनको आप इस कानून के अन्तर्गत राहत देते हैं तो शहर में कोई भी आदमी एक बार गया, एक सेठ साहब से बीस हजार रुपया ले आया। वह बीस हजार का कर्जा उस पर है और फिर वह इस एक्ट के अन्तर्गत राहत पाना चाहता है, तो पा सकेगा। वह क्या करेगा कि पांच आदमियों को नौकर रख लेगा और हल के फाल बनाने का काम उनको देगा। एक महीने के लिये फाल बनाता रहेगा और फिर इस तरह से इंप्लीमेण्ट्स बनाने का धन्धा उसका हो गया और कृषकों की परिभाषा में आ जायगा। तो वह अदालत में दरख्वास्त देगा कि मुझमें फलां आदमी बीस हजार मांगता है, झूठ मूठ ही ब्याज पर ब्याज लगा कर उसने रुपया बढ़ा लिया है, तो इस कानून के अन्तर्गत मुझे भी राहत मिलनी चाहिये। पर आपने बन्दिश लगाई कि कितने साल का काम करने वाला है तो इससे ऐसों पर अंकुश थोडा हो सकेगा? पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि दो आदमी गवाही के रूप में आवेंगे और कहेंगे कि यह तो आठ साल से यह काम कर रहा है, दस साल से कर रहा है या बीस साल से कर रहा है। कोई लुहार वह ले आवेगा और उससे कहलवा देगा कि मेरे और इसके साझे में सारी यह इम्प्लीमेण्ट्स बनाने की कार्यवाही चल रही है। तो हमने इस रूप में व्यापक दृष्टिकोण जरूर अपनाया है, पर ऐसे लोगों के प्रोटेक्शन की भी

[श्री भैरूंसिंह]

व्यवस्था हमने इसके साथ ही साथ कर दी है। इस पर भी अंकुश रखा जावे कि वे इसकी आड में नाजायज फायदा नहीं उठा सकें। इन दोनों फायदा उठाने वाले व्यक्तियों को इस कानून की परिभाषा से महरूम करें। छोटे कृषकों को और शहरों में छोटे काम करने वाले व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये कहूंगा कि इस प्रकार की इस धारा २ में संशोधन करें जिससे छोटे जागीरदारों को, जिनको एक तरह से कृषक ही कहना चाहिये, राहत मिल जावे, और शहर के बडे बडे हस्तकारों को अंकुश में रखा जावे और शहरों और गांवों के छोटे छोटे दस्तकारों को फायदा पहुचे। इन दो बातों को लेकर मैं चाहूंगा कि मेरे संशोधन को आप स्वीकार करेंगे और वह संशोधन इन सारी चीजों को एकोमोडेट करने वाला है, इसलिये स्वीकार करेंगे। संशोधन जरूर नहीं है और इसके अभाव में पहले वाले मंत्री महोदय की तरह का रुख आप इस बिल के समय तो नहीं अपनावेंगे, ऐसी आशा है।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस रोज सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग खत्म हुई थी उस दिन मैंने कह दिया था कि मैं इसका विरोध करता हूं और अपना मिनिट ऑफ डिसेन्ट भेजूंगा। मैंने गांव जाकर डाक द्वारा भेज भी दिया था, पर मालूम नहीं कैसे नहीं पहुंचा? मैं यह मानता हूं कि इस बिल की धारा २ जो है वह बहुत ही गलत है। इसे हमको अगर पास करना है तो बहुत सोच समझ कर करना है। सिलेक्ट कमेटी ने जो इसके अन्दर अमेण्डमेण्ट किये हैं वह बहुत ही गलत बात है। पहले जो धारा आई थी वह केवल गांवों तक सीमित थी। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें सूरत यह थी कि इस बिल की यह मंशा थी कि गांवों में खाती-कुम्हार या जो ऐसे लोग हैं...

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बिल कन्सीडरेशन की स्टेज में है। We are considering this Bill clause by clause but in the absence of any amendment, it has become a general discussion. They want amendment without moving any amendment. The Hon'ble member from Danta-Ramgarh wanted to amend this clause whereas he did not move any amendment and perhaps another member who was speaking just now, he wants the same thing. Perhaps this is a sheer waste of time. There should not be any general discussion. After all we have to regulate the business in some way or the other.

श्री मानसिंह महार—मेरे खयाल से इस सदन में बोलने को 'शियर वेस्ट ऑफ टाइम' कहना गलत है। We want that the original clause, as is it in the original Bill, should be retained.

श्री दामोदरलाल व्यास—अमेण्डमेण्ट कहां है आपका? I still say that unless you move an amendment, you cannot get it inserted.

श्री मानसिंह महार—दाता रामगढ से आने वाले सदस्य अमेण्डमेण्ट तैयार कर रहे हैं। आपकी तरह हमारे पास दस दस टाइपिस्ट तो होते नहीं कि बोले और तैयार हो गया कोई मसाला। हमें तो यहां हाथ से लिखना पडता है।

श्री उपाध्यक्ष—अमेण्डमेण्ट तो होना ही चाहिये।

श्री मानसिंह महार—तो ठीक है माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसका विरोध करता हूं । क्लॉज २ गलत है, इसको विलोपित किया जावे । मैं यह अपना सुझाव सदन में उपस्थित करता हूं । मुझे दुख हुआ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सुन कर कि हम तो सदन का समय नष्ट करते हैं और वे कोई अच्छा उपयोग कर रहे हैं ? मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग इस सदन में न हों तो मंत्रीजी अपनी मर्जी के माफिक उचित-अनुचित जो कुछ भी बात होगी वह एक दिन में पास कर देंगे । फिर तो यह चुनाव में लाखों-करोडों रुपया खर्च करने की भी सरकार को जरूरत नहीं आवेगी । अगर इस प्रकार के हां में हां करने वालों की जरूरत हो, तब तो हमको यह फरमा दिया जावे। परन्तु वाजिब बात कहने में और सुनाने में हमें क्या डर है ?

हम यह कहना चाहते हैं कि इस सिलेक्ट कमेटी का जो एमेंडमेंट है उसके अन्दर जो यह शहरियों को घुसाने की बात रखी गई है वह बहुत ही गलत है । इस प्रकार की जो बात रखी जाती है उस बात को देखते हुए यह महसूस होता है कि इसमें यह कृषकों के ऋणों को निवारण करने वाली या राहत पहुंचाने वाली बात नहीं है । यह इस प्रकार से बदलकर, धोखेबाजी और जालसाजी करके, यह प्रमाणित कर दिया है कि जो कृषक थे और कृषि के काम के लिये इम्प्लीमेंट्स बनाते थे उनको भी दुनिया को धोखा देकर राहत पहुंचाना है । मेरी यह धारणा है कि आज जो भी आदमी है, वह अगर शहर में रहता है तो वह "कृषकों" की परिभाषा में कभी भी नहीं आता है । यह गलत बात है । मैं यह मानता हूं कि आज जयपुर के अन्दर बड़े बड़े लोहिये लोग हैं......

(राजस्व मंत्री के जाने पर) यह, उपाध्यक्ष महोदय, वेक्युम क्रिएट हो गया है इसलिए मैं किसको सुनाऊं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—सुनाइये, मैं मौजूद हूं ।

श्री मानसिंह महार—खैर, हमारे होम मिनिस्टर मौजूद हैं तो उन्हीं को सुना देता हूं कोई बात।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि धारा २ के अन्दर सिलेक्ट कमेटी में जो एमेंडमेंट रखा गया है उससे ग्रामवासियों के हकूकों का बड़ा भारी हनन हुआ है । मैं यह समझता हूं कि जो सिलेक्ट कमेटी के अन्दर परिभाषा दी है, 'कृषक' की उस परिभाषा को लेंगे तो जयपुर के लखपति लोहा बेचने वाले हैं, वे भी उसमें आ जायेंगे, क्योंकि यह मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जितने फावड़े बनते हैं वे खेती में इस्तेमाल होते हैं, वह सारे गांव के लोहार बनाते हैं । गांव में जो लोहार हैं, जो हमारे पास सामोद गांव है वहां पर लोहार कम से कम एक साल के अन्दर ५० हजार के करीब फावड़े जयपुर शहर को सप्लाई करते हैं । वे फावडे जयपुर के जो दूकानदार लोग हैं, वे वहां से खरीदते हैं और खरीदकर और उस पर अपना मुनाफा लगाकर जमुआ रामगढ तहसील में जहां लुहार बहुत कम हैं वहां पर भेजते हैं या वहां के किसान आते हैं वे उनसे खरीदते हैं । वर्तमान में जो सिलेक्ट कमेटी ने परिभाषा दी है उस परिभाषा से यह सिद्ध होता है कि यह जो यहां पर फावड़े बेचते हैं बहुत बडी तादाद में वे लोग भी 'कृषक' की परिभाषा में, इस ऋण से बचने के लिए, तैयार हो जायेंगे, और वे भी इसके नीचे बच सकेंगे । मैं यह समझता हूं कि यह कानून जो बनाया जाय वह उन्हीं लोगों के लिए बनाया जाय जो कि खेती करते हैं या वहां के, गांव के, गरीब लोग हैं उन लोगों को राहत मिले । यह कुछ नहीं है ।

[श्री मानसिंह महार]

भावावेश में आकर कानून बनाने को खडे हो गये, यह कोई नहीं देखता है कि इससे राहत किसको मिलेगी या किसको नहीं मिलेगी । देखने को बस यह देख लिया कि उसके अन्दर एक जागीरदार का नाम आगया, जागीरदार को लाभ पहुंचाने की बात आई तो फौरन उसको डिलीट कर दिया गया । जागीरदार तो बहुत बडा गुनाहगार हैं । लेकिन जहां और लोगों का प्रश्न आया तो राजस्व मंत्रीजी ने झट से कह दिया कि समय व्यर्थ खो रहे हैं । वे अब किस तरह से इस बात को डिफेन्ड करेंगे कि जयपुर के लोहिया जो हजारी-वजारी नहीं लखपति तक हैं, वे उसके तहत में आ गये या नहीं ? क्यों नहीं आयेंगे ? आपके कहने से आयेंगे । उसका यही इन्टरप्रिटेशन लिया जायगा । मैं जानता हूं कि यह एक षडयन्त्र है । आजकल मुकद्दमेंबाजी कम हो गई है, उसको बढ़ाने के लिए सारा काम किया जा रहा है, यह काम इसीलिए किया जा रहा है ।

मैंने एक सुझाव यह भी दिया था कि इस अदालत के अन्दर जो मुकद्दमें चलाये जायं वहां पर वकीलों की जरूरत नहीं रहे । मेरा यह भी सुझाव था कि वहां पर वकीलों को इजाजत न दी जाय ।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बिल्कुल महत्व की बात है । यह बिल किस डेफिनेशन पर डिपेन्ड करता है ।....

श्री उपाध्यक्ष—डेफिनिशन में क्या संशोधन चाहते हैं, उसका सुझाव दे दीजिये ? उस पर मंत्री महोदय चाहेंगे तो मुल्तबी करने का विचार कर सकते हैं ।

श्री मानसिंह महार—मुल्तबी करने की फरमा दें, तो बिल्कुल ही नहीं बोलूंगा । लेकिन वह डटे हुए हैं अपनी जिद पर, तो हमको बोलना है ।

मेरा सुझाव वेल डिफाइन्ड लाइन्स पर है । मैं यह चाहूंगा कि इस कानून में 'कृषक' की जो डेफिनिशन पुरानी है वह वैसी की वैसी रह जाय । और उसको क्यों लाना चाहता हूं ? उसके लिए कोई गलत मोटिव नहीं इम्प्यूट किया जाय, इसलिए समझा रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष—कोई नहीं करेगा ।

श्री मानसिंह महार—नागोर से आये हुए माननीय मित्र तो नहीं करेंगे, लेकिन मंत्रीजी के थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है । हमने सिलेक्ट कमेटी में बहुत कोशिश की थी लेकिन उनके कम ही समझ में आया ....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—उस वक्त तो आपके भी समझ में आ गया था ।

श्री मानसिंह महार—आपको मालूम है कि मैंने यह कहा था कि इस पर नोट आफ डिसेन्ट भेजूंगा । मैंने डाक से भेजा भी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं पहुंचा ? आजकल डाक विभाग भी गवर्नमेंट का गलत काम करता होगा । वह भी आपका विभाग है, सेन्टर भी आपका ही है ।

तो, उपाध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य—रजिस्ट्री से भेजा था क्या ?

श्री मानसिंह महार—रजिस्ट्री के साढ़े छः आने मैंने नहीं खर्चे हैं, मैंने तो दो आने के लिफ़ाफ़े में भेजा है। मैं इतना मालदार भी नहीं हूं और न मैंने आज तक मुआवज़ा ही लिया है कि इतना पैसा हो।

तो, उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें दूसरी बात जो की गई है वह यह की गई है कि छोटे छोटे जागीरदारों को, इस कानून के तहत में जो राहत मिलनी चाहिये, आज अजीब बात है कि वह नहीं ी जा रही.है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ओरीजिनल डेफ़िनिशन से जो बात निकाली गई है वह बहुत गलत है। मैं यह कहूंगा कि एक छोटा जागीरदार जो ग़रीब है, उसकी जागीरदारों में छोटे जागीरदारों की ज्यादातर की यह हालत है, उपाध्यक्ष महोदय, और आपसे भी कोई बात छुपी हुई नहीं है और मन्त्रीजी से भी नहीं है, कि उनकी तो हालत आज तक यह रही है कि बहुत सारों के यहां अनाज भी वे बोहरों के यहां से उधार लेकर खाते हैं। ६ महीने तक बोहरों के यहां से अनाज व चून लेते हैं और जो गांव से लगान या हवाला आता है वह सीधा ही बोहरों के घर चला जाता है। बोहरे जिस प्रकार भी चाहें उसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ब्याज़ दर ब्याज, बाड़ी दर बाड़ी लगाते रहते हैं, और जिस प्रकार भी चाहें एक रुपये के चार रुपये लेते हैं। अब उन छोटे जागीरदारों में जागीर रिज़म्पशन के परिणाम-स्वरूप खेती करना शुरू कर दिया, लेकिन खेती भले ही करते हों, लेकिन अभी मुआवज़ा मिलेगा और मुआवज़ा मिलने के ऊपर उनको डेफ़िनिशन में से निकाल देने की बात, 'कृषक' की परिभाषा में से निकालने से जो यह कानून बनाया जा रहा है गांव वालों के लिए, तो उनके साथ अन्याय हो रहा है। गांव की जो भोली जनता है वह इस कानून का लाभ नहीं उठाये, यह हमारे राजस्व मन्त्रीजी चाहते हैं। वह गांव वाले तो नहीं उठायेंगे लेकिन बड़े बड़े धनी-मानी लोग जो हैं, जो कि गांवों में नाम मात्र के लिये रहते हैं; कई आदमी तो जयपुर में आकर वकालत करते हैं, जयपुर में आकर दुकानदारी खोलते हैं, वे लोग यहां आकर इससे फ़ायदा उठा सकें, यह कोई न्याय की बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। इसके अन्दर यह कह कर नहीं टालना चाहिये कि इस प्रकार की बातें हैं। वास्तविक रूप से देखा जाय तो हमारे राजस्व मन्त्रीजी को, उचित डेफ़िनिशन जो है वह मान लेनी चाहिये और यह कह कर नहीं टालना चाहिये कि इस पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है, इसलिये इसको मन्जूर नहीं कर सकते हैं। मेरी राय में या तो इसको क्लेरीफ़ाई किया जाय या इसको दुबारा सही ढंग से लाया जाय। वे राज़ी नहीं हैं और ज़िद पर तुले हुए हैं तो, मुझे भी मजबूर होकर इसका विरोध करना पड़ता है। इसलिये अमेन्डमेन्ट भी तैयार हो रहा है और अभी आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसको दस मिनिट के लिये पोस्टपोन करदें तो अच्छा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—हाऊस एडजोर्न हो तब ही कर सकते हैं।

श्री मानसिंह महार—इसलिये यह निवेदन है कि यह बहुत उचित है। जागीरदारों से पुराना बदला चुकने की नीयत से नहीं करिये।

(घंटी)

श्री नाथूराम मिर्धा—बहस मामूली है। समझ में आ गया।

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जब किसानों का मामला आता है तो उछल उछल कर बोलते हैं। लेकिन जागीरदारों का मामला आता है तो कुछ नहीं।

(घंटी)

मैं तो यह कहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि आपकी पोलिसी है कि राजपूत कौम को जलील किया जाय, खत्म किया जाय, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि यह बुरजुआज की नीयत से क्लॉज २ रखा गया है।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—संशोधन की बात कहिये।

श्री मानसिंह महार—संशोधन आ रहा है, उपाध्यक्ष महोदय। 'जागीरदार शब्द' को क्यों हटाया गया, यह बात सदन को बता रहा हूं। यदि नहीं बताऊंगा तो ये लोग कैसे कन्विस्ड होंगे? नहीं तो यह कहा जावेगा कि धोखा दे रहे हो। नागौर से आये मित्र ने फ़रमाया कि समझ में आगया। उनकी समझ में तो आना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं मानता हूं। असल बात यह है कि इस सदन में न्यायपूर्ण सुझाव होंगे उस ओर जरूर ध्यान देंगे। मैं तो सदा से ही इस बात का विरोधी रहा हूं कि जो कुछ कानून से लाभ मिलता है वह शहरियों को मिलता है और ग्रामीणों को बहुत कम मिलता है। और इस डेफिनिशन को अमेन्ड करके, जो लाभ वास्तविक रूप से ग्राम वालों को मिलना चाहिए उनसे उनको वंचित करके, डेफिनिशन को बदल करके यह किया जा रहा है, शहर वालों को राहत पहुंचाई जाय। इसकी एक नहीं हजारों मिसालें हैं। यह कहा जाता है कि ऊटपटांग बोलते हो और बे सिरपैर की बातें करते हो। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं वह वाजिब है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के शहरी मेम्बर नहीं होते लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक शहरी चेयरमेन हैं। इस प्रकार की डिस्क्रिपेन्सीज़ हैं और हमको कहा जाता है कि गांव वालों के केस को प्लीड मत करो। उन छोटे २ राजपूतों को जिनकी पचास रुपये वार्षिक की आमदनी है इससे उनको किस प्रकार से वंचित करना चाहते हैं, राजस्व मंत्रीजी खुलासा करेंगे तो हम मान लेंगे। लेकिन यह कुछ नहीं कहते हैं, ये तो जागीरदारों के पंडे हैं।

(घंटी)

सब अपने अपने की पैरवी करते हैं यह सब को मालूम है और इसीलिये मनी लैन्डर्स बिल को धकाया जा रहा है, लेकिन वह मनी लैन्डर्स बिल भी सदन में आवेगा ही। आपके तबके को तो राहत पहुंचा दें और दूसरे तबके को अन्याय से रोक दें। यदि न्याय करना है, राहत पहुंचाना है तो सब को राहत पहुंचाना चाहिये। अब तो जमाना बदल रहा है और बहुत जल्दी ही ऐसा ज़माना आने वाला है जब कि जाट-राजपूत एकता होने वाली है।

(हंसी एवं घंटी)

आज नहीं तो कल।

श्री मानसिंह महार—(जारी) यह काम दोनों लोगों के भोलेपन की हरकतों का नमूना है। यह बार बार होने वाला नहीं है। भले ही आप एक जाति को अपना करके दूसरी को दबाइये, यह ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है।

(घंटी)

जागीर रिज़म्पशन के बाद नजदीक हुए हैं। आप चैन से नहीं सोवेंगे, किसान आन्दोलन भी मालपुरा में पहुंच चुका है। आप पुराना बदला चुकना चाहते हैं, यह नीति आपकी उन कुर्सियों पर बैठकर चलने वाली नहीं है और आपको यह शोभा भी नहीं देता। इधर बैठ कर आप करते तो दूसरी बात थी, लेकिन आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर बैठ कर आप न्याय करें। अन्याय नहीं करना चाहिये। प्रिन्सिपल की जो बात है उसको मन्जूर करके आपको सबको राहत पहुंचाना चाहिये। तो यह हुई एक तबके की बात।

(घंटी)

दूसरी बात है, शहर वालों को आप राहत देना चाहते हैं वह हर्गिज़ नहीं होना चाहिये। शहर वालों को किस बात की राहत मिले? गांव वालों को वह राहत मिलनी चाहिये। शहर वालों को ही रखें यह तो पक्षपात है और सरकार को कन्सीडर करना चाहिए।

श्री हरिदत्त—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओरीजिनल बिल भी सदन के सामने है और प्रवर समिति ने जो रिपोर्ट पेश की है वह भी सदन के सामने है। दोनों ही सदन के सामने हैं।

(श्री अध्यक्ष, पुनः पदासीन)

जब ये दोनों ही सदन के सामने प्रस्तुत हैं तो सदन के सदस्यों को अधिकार है कि वे ओरीजिनल बिल को सपोर्ट करें, जो प्रवर समिति की रिपोर्ट आई है उसमें भाग लें। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में अपने सुझाव पेश करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से यह बात गलत होगी कि सदस्यों को यह अधिकार है कि ओरीजिनल बिल के स्तर पर जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसके साथ ओरीजिनल बिल के ऊपर बोल सकते हैं। अगर उनको ओरीजिनल बिल पर दुबारा विचार करना है तो दे मस्ट ब्रिग अमेन्डमेन्ट। It is not healthy thing that the Hon'ble Member can retain both the things and can speak on both the things like that. If they want to retain any of the clauses of the Original Bill they must bring any amendment for any of the particular clause.

श्री अध्यक्ष—Original Bill is not before the House.

श्री भैरूसिंह—वह तो ठीक है। इस धारा का विरोध तो किया जा सकता है व विरोध में कई सुझाव आ सकते हैं। मन्त्रीजी तो यह कहते हैं कि विरोध करने पर भी रुकावट रखी जा सकती है। विरोध के रूप में वे सुझाव पेश कर रहे हैं।

Page No 94

श्री मानसिंह—अमेन्डमेन्ट्स थर्ड रीडिंग पर दे दिये जांय। ऐसा पहले कई बार हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—आप क्लॉज़ २ पर बोल चुके हैं। और कोई बोलना चाहते हैं ? जनरल डिस्कशन नहीं होगा।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ के अन्दर छोटे छोटे जागीरदारों को अलग रखा गया है और उसमें पक्षपात की गंध मालूम होती है।

श्री अध्यक्ष—कौनसी पर विरोध है ?

श्री जगतसिंह—पहले वाली ही रहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—पहले वाले का सवाल नहीं है, टोटल डिलीशन चाहते हैं ?

श्री जगतसिंह—डिलीशन चाहता हूं।

इसमें कृषक की जो परिभाषा है उसमें यह रखा है कि जो कोई भी थोड़ा भी हांसिल या मुआवजा लेने वाला है वह कृषक परिभाषा में शामिल नहीं है। मेरी अर्ज़ यह है कि जब जागीरें समाप्त हो गई तो छोटे छोटे जागीरदार जो मामूली हांसिल लेते हैं और खुद खेती करते हैं. . . .

श्री अध्यक्ष—इस सब-क्लॉज़ में (क) के ५ भाग हैं और (ख) के भाग २ हैं। आप किसके बारे में कह रहे हैं ?

श्री जगतसिंह झाला—मैं (ख) की बात कहता हूं, (ख) को विलोपित किया जाय। इसके अन्दर यह जो क्लॉज़ रखा है कि छोटे जागीरदारों को जो हांसिल मिलता है वे कृषकों में शामिल नहीं किये जांय। इसके लिये मेरा निवेदन है कि यह नहीं होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—शायद ये यह कह रहे हैं कि यह क्लॉज़ रखा ही नहीं जाय। That is not there at all.

श्री अध्यक्ष—I am not clear, nor he is clear.

श्री दामोदरलाल व्यास—At least he is not clear to anybody.

श्री जगतसिंह झाला—मेरा मतलब यह है कि सिलेक्ट कमेटी ने जो परिभाषा रखी है वह नहीं रहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—कौनसा क्लॉज़ ? आप उसको पढ़ दीजिये।

श्री जगतसिंह झाला—कृषकों के लिये लिखा है, "जैसी कृषकों की परिभाषा दी है उसका तात्पर्य यह है. . . . ."

श्री अध्यक्ष—कहां से पढ़ रहे हैं ?

Page No 95

श्री जगतसिंह झाला--सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से।

श्री अध्यक्ष--I do not want report. We are proceeding clause by clause.

श्री जगतसिंह झाला--यह तो.......

श्री अध्यक्ष--The Bill may be totally defective. What is before the House, it should be passed. If it is defective, Government can bring in another Bill.

राज श्री हिम्मतसिंह--अध्यक्ष महोदय, जवाब देने से पहले और भी लोगों को बोलना है।

श्री दामोदरलाल व्यास--I am in possession of the House, Sir.

राज श्री हिम्मतसिंह--हमारा राइट है बोलने का।

श्री मानसिंह महार--हमारे व्यू पोइन्ट को ये अच्छी तरह से आपके सामने रख सकते हैं। क्योंकि आप पुराने रेवेन्यू के तजुर्बेकार हैं और हमारे रिप्रजेन्टेटिव हैं, इसलिये इनको बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--श्री भैरूंसिंहजी बोल चुके, मानसिंहजी बोल चुके और अब ये आपके रिप्रजेन्टेटिव और हो गये?

श्री मानसिंह महार--ये हमारे तो रिप्रजेन्टेटिव हैं ही। तने तजुर्बेकार हैं।

श्री हिम्मतसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा।

श्री अध्यक्ष--अब तक क्या कर रहे थे?

श्री हिम्मतसिंह--३ आदमी बोल रहे थे। अब मुझे ही और बोलना है।

श्री अध्यक्ष--बोलना है तो और बहुत से क्लॉज बाकी हैं, उन पर बोल लीजिये।

श्री हिम्मतसिंह--मैं चाहता हूं कि इस क्लॉज को डिलिट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--अच्छा इनको बोल लेने दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास--I am in possession of the House. I have been called to speak. As a matter of fact any discussion of this clause without a formal amendment will not be of any use.

राज श्री हिम्मतसिंह--We will enlighten him on this point

श्री अध्यक्ष--थोड़ा अकोमोडेट करलें।

(करतल ध्वनि)

I do not know what has happened to the Opposition. On every little clause, at every little stage, they clap and make it a point of prestige!

श्री दामोदरलाल व्यास--Clause 2 is very simple. As a matter of fact I was told by certain Hon'ble Members that this clause should not be passed today and they can bring another amendment tomorrow. This is the spirit behind it. Therefore, I submit that I must give reply. Sufficient time was given to the Hon'ble Members for amendment.

श्री अध्यक्ष--I think this spirit should not work.

राज श्री हिम्मतसिंह--स्प्रिट की बात नहीं है। आपको अकोमोडेट करना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास--I was told that this should not be allowed to be passed today. I must be given the right of reply.

श्री अध्यक्ष--Only with your consent, he is allowed two to three minutes' time to express himself.

राज श्री हिम्मतसिंह--मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बहुत जल्दी ही इस बात पर विचार प्रकट करूंगा।

श्री अध्यक्ष--कहिये।

राज श्री हिम्मतसिंह--अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ (ख) में जो कृषकों की परिभाषा दर्ज की गई है उसको बिल्कुल विलोपित कर दिया जाय। उसका कारण यह है कि टिनेन्सी एक्ट के अन्दर जो कृषकों की परिभाषा दी गई है उसके खिलाफ परिभाषा इसमें नहीं होनी चाहिये। टिनेन्सी एक्ट में जब कि काश्तकारों को डिफाइन कर चुके हैं तो फिर नये कृषक खड़े करना कानून के खिलाफ बात है। मैं समझता हूं इसकी कतई आवश्यकता नहीं है और जो ओरिजिनल टिनेन्सी एक्ट है जिसमें डिफाइन किया है कि कल्टीवेटर कौन है उससे जुदा डेफिनिशन कल्टीवेटर की इसमें नहीं होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)--अध्यक्ष महोदय, सैक्शन २ के ऊपर जो इतना वाद-विवाद हुआ वह इस बात को लेकर हुआ है कि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यह परिभाषा जो एग्रीकल्चरिस्ट की दी है उसमें जागीरदारों को जो आमदनी जागीरात से है उनको भी शामिल किया जाए। इसके पक्ष में उन्होंने दलील दी है कि बहुत से जागीरदार ऐसे हैं जिन पर काफ़ी कर्जा है और जो बोहरे काश्तकारों को कर्जा देते हैं वे ही इनको भी कर्जा देते हैं। ये यह चाहते हैं कि किसानों को जिस तरह से इस कानून के जरिये राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उसी तरह से इस कानून के जरिये इनको भी राहत पहुंचाई जाय। मैं अदब के साथ अर्ज करता हूं कि रूरल डेट जो काश्तकारों के ऊपर है उनसे राहत देने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है। मैं नहीं कहता कि जागीरदार कर्जदार नहीं हैं। छोटे और बड़े जागीरदार भी कर्जदार हैं। उनको यदि किसी तरह से राहत मिल सके तो मुझे ऐतराज नहीं है। इसके लिये यदि कोई माननीय सदस्य ऐसा कोई कानून यहां पेश करें जिससे वाजिब ढंग से जागीरदारों को राहत मिल सकती हो तो मैं उस पर ऐतराज नहीं करूंगा। लेकिन जो किसानों को राहत दिलाने के लिये कानून है उससे जागीरदारों को भी राहत मिले, यह ठीक नहीं है।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

किसान और जागीरदार दो अलग अलग तबके हैं। प्रवर समिति ने बहुत सोच विचार करके इस चीज को रखा था। प्रवर समिति में दोनों माननीय सदस्य मौजूद थे। बहुत सोच विचार करके उन लोगों को जिनकी आमदनी का जरिया मात्र लगान है उनको एक्सक्लूड किया था। आज यहां पर कोई अमेन्डमेन्ट पेश नहीं किया गया है। एक माननीय सदस्य ने तो इस क्लॉज़ को ही ओमिट करने के लिये कह दिया। जब आप इसको ओमिट कर देंगे तो रिलीफ किस को देंगे ? जब जो डेफिनेशन है उसको ही ओमिट करना चाहते हैं तो फिर रिलीफ किस को देंगे ? इससे आपका क्या मकसद है ? ज्यादा अच्छा यह है कि जो साहब जागीरदारों को राहत दिलाना चाहते हैं वह उसके लिये अलग कानून लावें। किसी साहब ने कहा कि बदले की भावना से जागीरदारों को इससे ओमिट किया गया है, लेकिन मैं निवदन करना चाहता हूं कि यह बात नहीं है। हमने ठीक तरह से उनको ओमिट किया है। आप जागीरदारों के लिये कानून लाइये। आप ठीक ढंग से उनको राहत दिलवाना चाहेंगे तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। मने प्रवर समिति में भी कहा था कि जागीरदारों को किस तरह से कर्ज़े से राहत दी जाय इसके लिये सरकार चिन्तित है, किस ढंग से उनके लिये निर्णय लिया जायगा इसके लिये सोचकर बाद में अर्ज़ करूंगा। में निवेदन करूंगा कि धारा २ जिस तरह से है उसी तरह से पास की जाय।

श्री मानसिंह महार--कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसका क्लेरिफ़िकेशन नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष--यह बड़े आश्चर्य की बात है कि "मद्दई सुस्त गवाह चुस्त" वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। वे संतुष्ट हैं और आपको संतोष नहीं है।

इस पर कोई अमेन्डमेंट नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ बिल में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३ में इस बात की योजना की गई है कि राज्य सरकार ऋण निवारण न्यायालयों की स्थापना ऐसे क्षेत्राधिकार सहित करेगी जो वह उचित समझे, स्थापना और उनके न्यायालयों की नियुक्ति कर सकेगी। मेरा संशोधन यह है कि न्यायाधीशों की श्रेणी भी इसमें दर्ज करदी जाय।

Page No 98

श्री दामोदरलाल व्यास--यह आपका संशोधन नहीं है, इसमें यह है कि 'नहीं होंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैंने जो संशोधन दिया है उसके लिये जिम्मेदार हूं, जो साइक्लो-स्टाइल होकर आया है उसके लिये मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

मेरा संशोधन यह है कि सिविल जज की श्रेणी से कम के न होंगे।

इसमें लम्बी चौड़ी दलीलों की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--क्यों साहब "सिविल जज की श्रेणी से कम नहीं होंगे", यह आपको मन्जूर है?

श्री दामोदरलाल व्यास--कहीं मुन्सिफ हो और सिविल जज वहां से दूर हो तो दिक्कत रहेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सिविल जज ही हों, यह नहीं कह रहा हूं; रेंक का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--रेंक तो करीब करीब इक्वल पड़ता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--That is not so.

श्री अध्यक्ष--I think you are quite clear.

श्री दामोदरलाल व्यास--He was very clear in the Select Committee. He is a Member of the Select Committee.

श्री अध्यक्ष--Still the amendments are coming?

श्री हरिकृष्ण व्यास--I could not persuade the Select Committee and I am now trying to persuade the House.

श्री अध्यक्ष--The House is not befitted by your being in the Select Committee.

श्री हरिकृष्ण व्यास--It has been. All the points have been incorporated in the Select Committee and in the Minute of Dissent.

श्री अध्यक्ष--Now the Select Committee is gone.

श्री हरिकृष्ण व्यास--If I could not persuade the members of the Select Committee, then I would certainly try to persuade the members of this august House.

श्री अध्यक्ष--Let it be put to the vote of the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो जो मैं अर्ज कर रहा था वह यह बात थी अध्यक्ष महोदय, कि इस बिल में ऐसा भी दर्ज था धारा के अन्दर कि १० हजार से कम की राशि का ऋण होगा और सिलेक्ट कमेटी ने वह हटा दी। और इससे अब १० हजार तक या इससे ज्यादा तक के ऋण के केसेज़ इन न्यायालयों के समक्ष आ पायेंगे। अब प्रश्न यह है कि सिविल प्रोसीजर कोड में भी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का जूरिस्डिक्शन है।

आप यह कल्पना करके चलते हैं कि १० हजार से ज्यादा तक के केसेज़ निर्णय करने के लिये जिस न्यायालय के समक्ष पेश हों, जहां हाई कोर्ट का ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन है, सिविल जज के स्टेटस के जज का प्रस्ताव रखा तो उचित नहीं होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता, इसका विरोध करने का तो मतलब यह होगा कि दस, दस, बीस, बीस हजार तक के ऋणों का निर्णय करने का अधिकार मुन्सिफ को दे देंगे। एक नायब तहसीलदार मुकर्रर किया जा सकता है एज़ दी लॉ स्टैन्ड्स नायब तहसीलदार भी मुकर्रर किया जा सकता है। तो इस प्रकार का कोई कानून पास करने में सिविल प्रोसिडिंग कोड के अन्तर्गत दी हुई सीमाओं को नहीं माने तो यह कोई दुरुस्त नहीं माना जायगा, तो इस दृष्टि से कुछ सुझाव इस दिशा में हो सकें इसलिये यह संशोधन दिया है और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इससे बिल का सुधार ही होगा।

श्री अध्यक्ष—What is the difficulty.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)--डिफिकल्टी मैं अर्ज कर देता हूं। मेरा अर्ज करना यह है कि इसमें हमने आलरेडी प्रोवाइड कर दिया है कि जो कोर्टस एस्टेब्लिश किये जा रहे हैं उनमें जजेज़ होंगे, मुन्सिफ़ की श्रेणी के होंगे, या सिविल जज की श्रेणी के होंगे, कैसा होगा, किस श्रेणी का होगा, या ओर्डीनरी क्लास का होगा, यह वी डू नाट इनेक्ट। लॉज़ बनाने के वक्त इसकी जरूरत नहीं है कि इसका खुलासा करें। और वहां छोटे छोटे दावे आयेंगे दस बीस हज़ार के दावे कितने होंगे, इस लिहाज को रख कर गवर्नमेन्ट को सिफारश की जायगी और गवर्नमेन्ट जजेज़ अपोइन्ट कर देगी। किस श्रेणी के जजेज़ करेंगे यह हार्ड एन्ड फास्ट करना मुनासिब नहीं समझता। माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी के भी सदस्य थे और वहां भी यह सवाल चला और वे बहुत कीन थे कि इसमें सिविल जजेज़ को रखा जाय।

श्री अध्यक्ष— Should I put to vote?

श्री दामोदरलाल व्यास—If the Hon'ble Member presses. Otherwise there is no question. This is a very simple thing.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have to press. When I make a suggestion, I am earnest about it.

अध्यक्ष महोदय, आज भी जब बहस हो रही है तब मेरे दिमाग में यह आशा थी कि कोई न कोई दलील दो जायगी। जो कुछ कहा गया है इतना कहा गया है कि छोटे दावे भी होंगे और बडे दावे भी होंगे। तो इस कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है क्या कि छोटों के लिये अलग और बड़ों के लिये अलग जज मुकर्रर होंगे? ऐसी कोई व्यवस्था इस बिल के अन्दर नहीं की गई है। सिविल जज की स्टेटस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

के लोग होंगे यह तय करने में कठिनाई क्या आ रही है; इस विषय में मन्त्री महोदय ने कोई बात नहीं कही, आप आखिर किन लोगों को मुकर्रर करना चाहते हैं? सरकार की मंशा क्या है? अगर सरकार की यह मंशा है कि जैसी रकम का दावा है उसी के अनुरूप लोगों को मुकर्रर करना है तो यह संशोधन स्वीकार करने में सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। अगर सरकार की यह मंशा है कि जैसी हमारी मंशा होगी वैसे लोगों को मुकर्रर करेंगे तो आप भयंकर स्थिति उन किसानों के लिये पैदा कर रहे हैं। सूदखोर ब्याजखोर लोग हैं वे इस स्थिति में हैं कि नीचे के स्तर के जजेज और न्यायालयों पर असर डाल सकते हैं, इसलिये इन केसेज की सुनवाई करने के लिए ऊंचे से ऊंचे दर्जे के जजेज होने चाहियें। जहां राहत देने का सवाल है वहां सो पचास रुपये माहवार पाने वालों को भेज दिया और दस दस बीस बीस हजार रुपयों के मुकदमों को वे लोग तय करेंगे तो वे क्या न्याय करेंगे? अगर आपको राहत देना है ईमानदारी से तो मैं यह कहूंगा कि इस तरह के मुकदमों का फैसला करने के लिये ऊंची से ऊंची तनख्वाह पाने वाले आदमियों को रखना पड़े, उनको रखिये। अगर वास्तव में लोगों को राहत देने की मंशा आपकी नहीं है और दिखावे के लिये करते हैं तो यह दूसरी बात है।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि मेरे संशोधन पर सदन में मत लिये जायं और मेरी राय है कि इस बिल के मूल अंग को लागू करने में यह संशोधन बहुत आवश्यक है, इसको स्वीकार न करना इसको बंद करने की बात है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३ में श्री एच. के. व्यास ने रखा है स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

Multiplicity of voice counts and not force. फिर से रखूं।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३ में श्री एच. के. व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ को स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ४ के उप-खण्ड (क), (ख), (ग) व (घ)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ के (क), (ख), (ग) व (घ) को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज चार के उप-खण्ड (क), (ख), (ग) व (घ) भाग स्वीकार किये गये।

(विराम)

उप-खण्ड (ङ), श्री एच. के. व्यास।

श्री एच० के० व्यास–माननीय अध्यक्ष, मेरा यह संशोधन है कि इस उप-खंड में से शब्द 'न्यायालय की डिक्री के अधीन या अन्यथा' विलोपित कर दिये जावें । इसका संबन्ध उन चीजों से है जिन पर यह कानून लागू नहीं होगा और इसलिये एक तरह से जो कानून हम बना रहे हैं उसके कुछ कुछ हिस्सों से संबन्ध करने वाली यह धारा है, उन चीजों पर यह कानून लागू नहीं होगा । अब इसे हमें गंभीरता से और सोच समझ कर पास करना होगा, क्योंकि यदि इस धारा के इस पार्ट ४ में कमी रह गई तो इसकी सारी मंशा वैसे ही रहते हुए किसानों को राहत नहीं मिलेगी । उप-धारा (ङ) में जो स्थिति है कि न्यायालय की डिक्री के अधीन या अन्यथा निर्वाह संबन्धी कोई दायित्व, यह बात तो समझ में आ सकती है । यह इसलिये कि निर्वाह की बात कोई कानूनी चीज नहीं है । वह तो एक नैतिक जिम्मेदारी है । लेकिन न्यायालयों की डिक्री या अन्यथा निर्वाह संबन्धी दायित्व का तात्पर्य यह होगा कि न्यायालयों की डिक्री से जो दायित्व होगा वह भी इसमें आ जावेगा और ऐसी परिस्थिति हो जावेगी जिसे मामूली डिक्री होगी उसकी लाएबिलिटी भी उसमें जोड़ दी जावेगी । इसलिये इसको इस रूप में नहीं रख कर निर्वाह संबन्धी कोई दायित्व रख दिया जावे । तो मैं समझता हूं कि इससे मेरी मंशा है कि मूल मंशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कानूनी तौर पर भी किसी प्रकार का कनफ्यूज़न नहीं होगा । निर्वाह संबन्धी दायित्व किस प्रकार का हो इसलिये इसको इस धारा में निर्वाह संबन्धी दायित्व को सीमित रख दिया जावे यह मेरा संशोधन है ।

श्री अध्यक्ष--और दूसरे संशोधन हैं।

श्री एच० के० व्यास--(च) और (ज) हैं।

मेरा संशोधन उप-खंड (च) को विलोपित किया जाने के लिये और (ज) में अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जाएं : "बशर्ते कि यह दायित्व कर्ज के रूप में न हो"। माननीय अध्यक्ष, अब यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि किसी बैंक को देय कोई दायित्व ही इसमें कायम क्यों रखा गया है। एक सूदखोर भी जैसा हम कहते हैं एग्रोनिक बैंक का काम करता है (शुरूआत बैंक का काम) । वह भी रुपया ब्याज पर देता है और वसूल करता है और यह नहीं कि वह कानून ब्याज नहीं ले सकता । वह ब्याज पर ब्याज और उस पर भी ब्याज वसूल करता है ऐसी बात है, लेकिन मूल रकम के सम्बन्ध में तो मनीलेन्डर और बैंक में कोई फर्क नहीं होता । हमने इस बिल में मनीलेन्डर द्वारा दिये गये ऋण के लिये यह व्यवस्था की है कि यदि ऋण १९४३ के पहले का है तो न्यायालय ऐसे मूलधन का ४० प्रतिशत भाग कर देगी । ऐसी व्यवस्था हमने इस बिल में की है । ब्याज के बारे में कहा जा सकता है कि बैंक के लिये ब्याज की रेट मुकर्रर है और मनीलेन्डर की रेट मुकर्रर नहीं है, लेकिन मूल में राहत मिलने के सम्बन्ध में यह तो बात है । ऐसी सूरत में बैंक और मनीलेन्डर को अलग अलग श्रेणी में क्यों रखा जावे ? मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि कहीं कहीं प्राइवेट लैन्ड मोरगेज नाम का बैंक था और अब भी वह जे. रगुनाथमल बैंक की तहत में है, जो देहातों में काम करते हैं ।

तो जिस प्रकार से रगुनाथमल बैंक, प्राइवेट बैंक देहातों में बोहरगत किया करता था उसी तरह आज भी सज्जन बैंक काम करता है । वह अपना काम जोधपुर और मद्रास आदि स्थानों पर करता है । वे बड़ी मात्रा में लोगों को कर्जा देते हैं । एक दो को नहीं हजारों को पाली जिले में और आसपास के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जिले में कर्जा देते हैं। उन्होंने चूंकि उनके पास ज्यादा माल था, उनकी हैसियत बड़ी थी, इसलिये दो चार व्यक्तियों ने मिल कर अकेले कार्य करने के बजाय एक प्रकार से बैंक बना कर कार्य करना शुरू कर दिया। इसलिये उनमें और मनीलेन्डरों में कोई फर्क नहीं है। यहां पर उनके नामों को मूल एक्ट से हटाने की कोशिश की गई है जो मूल एक्ट के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाती। अतः मेरा संशोधन है कि इस उप-खंड को विलोपित किया जाय।

तीसरा मेरा संशोधन (ज) में है, वह सब क्लॉज (ज) इस प्रकार का है, "ग्राम लाभों अथवा भू-राजस्व के सम्बन्ध में सहभागियों और लम्बरदारों के बीच या किसी स्वामी और ठेकेदार या (स्वामित्व) जमींदारी या बिस्वेदारों का अधिकार रखने वाले किसान के बीच या इजारा और जागीर के ग्रामों में सहभागियों के बीच उत्पन्न होने वाला कोई दायित्व" हो।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जो प्रोविजन रखा गया है वह इस सारे के सारे कानून की मूल इच्छा जो है उसको पूरा करने के बजाय यह तो इसकी मंशा को बहुत कम अंश तक कायम रखने वाला है। यह हो सकता है अध्यक्ष महोदय, कि आपस में बंटवारा हो, एग्रीमेन्ट हो और उसकी तहत में एक दूसरे का दायित्व मुकर्रर हो, चाहे उसका सम्बन्ध भू-राजस्व से हो, इजारे से हो या बिस्वेदारी या जमींदारी से हो। लेकिन होता यह है कि भारत के अलग अलग भागों में (Rural credit survey enquiry committee) बनी हुई है और उनकी रिपोर्ट को अगर आप उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा। उसमें इसका उल्लेख है और १।। पेज में सारा का सारा पैराग्राफ है कि वे लोग एक ओर जमीन के सम्बन्ध में लेन्ड ओनर का उसी प्रकार का रिश्ता रखते हैं और दूसरी तरफ़ मनीलेन्डिग में भी अपना हिस्सा रखते हैं और उनका मनीलेन्डिग इस रूप में होता है कि वह एग्री० के साथ जोड़ दिया जाता है कि हिस्सेदार है और मनीलेंडर भी है। अगर आप उनको इससे बरी रखना चाहते हैं यह दूसरी बात है। हिस्सेदारी के साथ साथ मनीलेन्डिग का भी वे काम करते हैं। इसलिये इस धारा को रखना वाजिब नहीं होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि इस उप-खंड के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जाय : "बशर्ते कि यह दायित्व कर्ज के रूप में न हो"। इसका मतलब यह होगा कि यदि केवल आपस में (Contract relations) एक दूसरे अपने परस्पर ताल्लुकात से कुछ भी होगा वह अलग दायित्व होगा। ऐसा नहीं होगा तो एग्रीकल्चर के बारे में जो भी कर्जदारी बढ़ी हुई होगी इसके अन्तर्गत आ जावेगी। ऐसी बड़ी मात्रा में यह चीजें राजस्थान में चल रही हैं।

तो मैं यह दरख्वास्त करूंगा माननीय राजस्व मंत्रीजी से कि वे इस प्रश्न को सोचें और विचार करें जिस मन्शा से यह कानून प्रस्तुत किया है उस मंशा को लागू करने में सहायक होने वाले मेरे संशोधन हैं वे अवश्य स्वीकार किये जायेंगे। अगर धारा ४ में ठीक रूप में संशोधन नहीं किया गया और बाकी की धारायें पास कर दी गईं तो मेरा यह मानना है कि बाकी की सब धारायें तो एक तरफ, और धारा ४ एक तरफ, धारा ४ को हम बैंकों पर लागू नहीं करते हैं तो सारे के सारे कानून में कोई लाभ नहीं होगा। यह धारा एक एक्सेप्शन धारा है इस पर पूरा सोच समझ कर विचार किया जाय, इसमें

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सोच विचार कर शब्द नहीं रखे तो कानून तो पास हो जायगा किन्तु जो फायदा हम किसानों को पहुंचाना चाहते हैं नहीं पहुंचा पायेंगे। इन शब्दों के साथ इस खंड ४ में मेरे तीन संशोधन हैं वह मैं सदन को स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं और यह भी आशा करता हूं राजस्व मंत्री महोदय इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और इन्हें स्वीकार करने को तैयार हो जायेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास-- अध्यक्ष महोदय, ये चारों ही संशोधन जो माननीय सदस्य ने रखे हैं स्वीकार करने के लायक नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहते हैं इस बिल के खंड ४ के उप-खंड (ङ) में से शब्द "न्यायालय की डिक्री के आधीन या अन्यथा" विलोपित कर दिया जाय। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेन्टीनेन्स का अमाउन्ट है वह हम इसमें कवर नहीं करना चाहते अगर हम आपके संशोधन को मानते हैं तो एरियर्स आफ मेन्टीनेन्स इसमें कवर कर देने से हम उन लोगों को प्रोत्साहन देंगे कि वे मेन्टीनेन्स को रकम अदा नहीं करें, इसलिये सुझाव मानने योग्य नहीं हैं।

न्यायालय की डिक्री के अधीन या अन्यथा निर्वाह संबंधी कोई दायित्व यह जो हिन्दी में ट्रांसलेशन हुआ है उसमें और अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं। That is the same thing. We do not want to reduce the amount of maintenance also, whether that maintenance is due by decree of a Civil Court or otherwise.

इन्डियन पीनल कोड की तहत मेन्टीनेन्स के चार्जेज में कोई अटेचमेंट नहीं होता।

You want the tenant to get out of this. That he should not pay maintenance to his dependents. That is not possible. I have already said" निर्वाह संबंधी दायित्व"।

श्री हरिकृष्ण व्यास--I am prepared to accept the liability for maintenance charges. But the amount is such that you can give it a different interpretation.

As an independent entity also, because of the word 'or' in Hindi. If we separate the two parts, first having in its totality, own meaning, it is capable of a full meaning.

श्री अध्यक्ष--If the words are changed "निर्वाह सम्बन्धी दायित्व न्यायालय की डिक्री के अधीन या अन्यथा" Will that be all right?

श्री दामोदरलाल व्यास--मैं तो इसका कोई मतलब नहीं समझा।

श्री हरिकृष्ण व्यास--निर्वाह संबंधी कोई दायित्व न्यायालय डिक्री के अधीन या अन्यथा" यह हिन्दी में होगा। This is acceptable to me.

श्री दामोदरलाल व्यास--I have no objection to it, although grammatically it will not be correct.

I admit it.

[श्री दामोदरलाल व्यास]

भाग (च) के लिये जो आपका कहना है बैंक के लिये भी यह एप्लाई कर देना चाहिये। बैंक्स की जो ब्याज की दरें हैं रेग्युलेटेड हैं। रेट आफ इन्ट्रेस्ट वे जो चार्ज करते हैं वह तो नियमित है, इसके लिये यह जो कहना बैंक्स को इसमें इन्क्लूड कर दिया जाना, That will not be corret.

आपका फोर्थ अमेन्डमेंट है "बशर्ते कि यह दायित्व कर्ज के रूप में न हो" इसका ट्रांसलेशन शायद गलत हो "any liability in respect of village profits or of land revenue arising between co-sharers and the lambardar or between a proprietor and a thekedar or a farmer of proprietary rights or between co-sharers in ijara and jagir villages ;"

मेरी समझ में यह नहीं आया कि आप "बशर्ते कि यह दायित्व कर्ज के रूप में हो" यह क्यों जुड़ाना चाहते हैं। This is not at all relevant. जो बात इसमें दी हुई है उसका कर्ज से कोई संबंध नहीं, समें साफ लिखा हुआ है "any liability in respect of village profits or of land revenue arising between co-sharers and the lambardar or between a proprietor and a thekedar or a farmer of proprietary rights or between co-sharers in ijara and jagir villages;"

यहां कर्ज का कोई प्रश्न नहीं आता। मेरे ख्याल से जो आप यह इन्सर्ट करवाना चाहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं। That is not at all necessary and I do not accept this.

इन शब्दों के साथ जो भी माननीय सदस्य के चारों संशोधन हैं उन्हें अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है......

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, मेरा राइट आफ रिप्लाई तो है।

श्री अध्यक्ष--Will it make any difference?

श्री हरिकृष्ण व्यास--It may.

अध्यक्ष महोदय, अभी जो मेरे संशोधनों की स्थिति है उससे तो बुरी नहीं होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास--अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को राइट आफ रिप्लाई है उसमें क्या एतराज है थोड़ा समय ज्यादा बैठ सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास-अध्यक्ष महोदय, कुछ मिनिट ही बैठने का सवाल नहीं, अगर इस महत्वपूर्ण बिल के लिये घंटे दो घंटे भी और ज्यादा बैठना आवश्यक हो तो हम बैठने के लिये तैयार हैं। सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स पर भी बैठने के लिये तैयार थे। अध्यक्ष महोदय, अब मुझे आप जवाब देने का मौका दें। ताकि माननीय राजस्व मंत्री महोदय को निर्णय करने में सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष-आप और वैसे भी आरग्यूमेंट देंगे हो and then I will decide whether I should put the question or not.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो दो संशोधन रखे हैं जिनको अब तक तो अस्वीकार कर दिया गया है। अभी तक उम्मीद है शायद वे स्वीकार कर लिये जायंगे। बात यह है कि बैंक्स के ब्याज की दरों के संबंध में रेगूलेशन्स रिजर्व बैंक के हैं। लेकिन जो पुराने कर्जे हों, १९४३ के पहले के हों, तो हमें प्राइसेज़ क फ्लेक्चुएशन्स को ध्यान में रखते हुए माल पर ४० प्रतिशत रिलीफ दिया है। राजस्व मंत्री मुझे यह समझा दें अगर एक सामान्य मनीलेन्डर उस ब्याज के बारे में ब्याज का अलग खाता खोलकर अलग कम्यूट कर लिया, मूल को अलग कम्यूट कर लिया तो जहां तक मूल का संबंध है क्या वह मनी लेन्डिग जिसको किया गया है, क्या वह एग्रीकलचरिस्ट के लिये मोरली, लीगली या सबस्टेन्शियली और रिअली कोई भी फर्क है क्या ?

जिन कन्सीडरेशन्स पर हम एक मामूली सूदखोर को यह कहते हैं कि जिस जमाने में तुमने कर्जा दिया है उस समय को कीमत और थी, इसलिये वह कर्जा मनी वेल्यू में चेन्ज हो गया, तो वही बैंकों के सिलसिले में भी चेन्ज हो जाती है। अब रही बात कि बैंकों का कायम नहीं रहता इसमें भी कोई कठिनाई हो सकती है क्या ? तो वह भी नहीं होती इसलिये कि बैंक का इन्टेरेस्ट इन बोहरों की रेट से कम है। तो जहां तक इन्टेरेस्ट का सवाल है कोई भी एडीशनल लाइबिलिटी बैंकों पर आने वाली नहीं है। मूल में कम करने का प्रश्न है वह आ सकता है। यह तो हुई कानूनी बात। अब व्यवहारिक रूप में देखें। तो बताता हूं मैं, राजस्व मंत्री यह जानकारी लें कि बाली, सादडी और पोकरण, फलौदी, पाली जालोर के उधर के इलाके में जहां तक मेरी जानकारी है आज भी हजारों देहातां मे किसानों को कर्जा देने वाले बैंक हैं जिनके हजारों खाते हैं। मैंने आपको एक दो नाम भी बताये कि जैसे सज्जन बैंक और जे. रघुनाथमल बैंक। वे पार्टी बैंक की लगाये हुए मनी लैन्डर्स हैं। अब एक बैंक शब्द का प्रयोग करके इन लोगों को क्या आप मुक्त कर देंगे ? और मैं यह भी कह दूं, पुराने जोधपुर स्टेट के वक्त के डेट कन्सीलियेशन एक्ट में वैसे किसी को कन्सीलियेशन हो सकता था उनको भी एक्सक्लूड कर देंगे। ऐसी स्थिति पर गंभीरता से सोचना जरूरी है। फिर भी मैं कहूंगा कि बैंकों को यहां बिल्कुल रखना हानिकारक होगा और यह एक्ट की मंशा के विरुद्ध होगा और ऐसी स्थिति हो जावे कि इन्हीं गांवों में ऐसे दो तीन कैटेगरी के किसान पावेंगे जो और बातों में इक्वल स्टेन्डिग मे हैं, पर सिर्फ फर्क इतना है कि इन बकों और उस बैंकों मे फर्क होने के कारण गडबडी में पड जावेंगे।

तो अध्यक्ष महोदय, जहां तक दूसरी उप-धारा का प्रश्न है वहां तो मैं इतना ही अर्ज कर दूं कि जहां कन्ट्राक्चुअल लाईबिलिटी और डेट लाइबिलिटी दोनों एक दूसरे से मिश्रित हो गई तो क्या स्थिति होगी, मसलन कि मुझे लगान देना है और मैंने लगान दिया नहीं। लगान मेरा दर्ज हो गया देय के रूप में और उतनी की उतनी रकम दर्ज हो गई लोन दिया उस रूप में।

श्री दामोदरलाल व्यास--यह तो कोमन लोन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास- वह लाइबिलिटी होगी आपके सीधे कर्जे की, क्योंकि लगान का तो भुगतान हो चुका। कर्जे की एन्ट्री हो चुकी। अब यदि इस कैश के बजाय वह जो लगान बाकी है उस लगान के संबंध में और दूसरे ट्रान्जेक्शन हो जावें। नाज का लोन देना हो जावे। इस साल देने की बजाय अगली साल दे और डयोढा दे दे, ऐसे ट्रान्जेक्शन्स हो जावें जो इसेन्शल कर्जे का रूप ले चुके हों तो दोनों

[हरिकृष्ण व्यास]

मिक्स हो गये। तो मेरा कहना है कि ऐसे लोग जो लगान भी लेते हैं और सूदखोरी भी करते हैं और लगान और सूदखोरी परस्पर संबंधित हैं तो आप जब उस लाइबिलिटी को एक्सक्लूड करते हैं तो साथ में ये चार शब्द भी और जोड़ दें :---

"provided that such liability shall not be in the character of a debt."

अगर उसका कैरेक्टर डेट का है, तो एक्सक्लूड नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष--No new points. The same point.

श्री हरिकृष्ण व्यास--उनकी समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--वे विचार कर लेंगे। I am not putting it to vote. Let him consider for tomorrow. Your reply finishes.

(विराम)

We adjourn for tomorrow at 11-00.

(सभा की कार्यवाही, ५ बजकर १५ मिनट पर, कल दिनांक २८ सितम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २७ सितम्बर, ५६।

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २८ का उत्तर देखिये)

List of Veterinary Hospitals and Dispensaries in Rajasthan.

District. 1	*Hospitals.* 2	*Dispensaries.* 3
1. Jodhpur.	1. Jodhpur. 2. Bilara.	1. Phalodi. 2. Shergarh. 3. Bap. 4. Khejarla.
2. Jaisalmer.	1. Jaisalmer.	1. Pokaran. 2. Ramgarh.
3. Barmer	1. Barmer.	1. Sheo. 2. Siwana. 3. Balotra.
4. Jalore.	1. Jalore.	1. Sanchore. 2. Bhinmal. 3. Jaswantpura.
5. Pali.	1. Pali. 2. Bali. 3. Sojat.	1. Desuri. 2. Jaitaran. 3. Sadari. 4. Sumerpur.
6. Sirohi.	1. Sirohi.	1. Pindwara.
7. Nagour.	1. Nagour. 2. Merta. 3. Didwana. 4. Makrana.	1. Nawa. 2. Kuchaman City. 3. Parbatsar. 4. Ladnu. 5. Jayal. 6. Degana. 7. Mundawa. 8. Kuchera.
8. Bikaner.	1. Bikaner.	1. Dungargarh. 2. Nokha. 3. Lunkaransar. 4. Sardarshar. 6. Sadulpur. 6. Kolayat.
9. Churu.	1. Churu. 2. Ratangarh.	1. Sujangarh. 2. Taranagar.

1	2	3	
10. Ganganagar.	1. Bhadra.	1. Nohar. 2. Anupgarh. 3. Sangaria. 4. Suratgarh.	The following hospitals are under the control of District Boards :— 1. Ganganagar. 2. Raisinghnagar. 3. Hanumangarh. 4. Bijainagar. 5. Karanpur. 6. Padampur.
11. Jaipur.	1. Jaipur. 2. Dausa. 3. Kishangarh.	1. Jamva Ramgarh. 2. Bairath. 3. Bandikui. 3. Sikrai. 5. Phagi. 6. Bassi. 7. Chaksu. 8. Roopangarh. 9. Sarwar. 10. Ara'n. 11. Naraina. 12. Phulera. 13. Jaipur North. 14. Lalsot.	
12. Sikar.	1. Sikar. 2. Neem-ka-Thana.	1. Reengus. 2. Thoi. 3. Fatehpur. 4. Danta Ramgarh. 5. Lachmangarh.	
13. Jhunjhunu.	1. Jhunjhunu. 2. Khetri.	1. Nawalgarh. 2. Chirawa. 3. Gorir.	
14. Alwar.	1. Alwar. 2. Rajgarh. 3. Tijara. 4. Behror.	1. Thanagazi. 2. Bansur. 3. Laxmangarh. 4. Nalakhera. 5. Ramgarh. 6. Govindgarh. 7. Khatumber. 8. Mandhari. 9. Kishangarh Bas. 10. Harsauli. 11. Kot-Kasim.	

1	2	3
15. Bharatpur.	1. Bharatpur. 2. Dholpur. 3. Bayana. 4. Deeg.	1. Nagar. 2. Nadbai. 3. Bari. 4. Kumber. 5. Pahari. 6. Ucchain.
16. Sawai Madhopur.	1. Sawai Madhopur. 2. Karauli. 3. Hindaun. 4. Gangapur.	1. Khandar. 2. Bamanwas. 3. Malarna. 4. Nadoti. 5. Mahva. 6. Toda Bhim. 7. Bonli. 8. Surwal.
17. Kotah.	1. Kotah. 2. Baran. 3. Sironj.	1. Ramganj Mandi. 2. Kishanganj. 3. Seemlia. 4. Mandana. 5. Chipa Barod. 6. Siswali. 7. Sangod. 8. Indergarh. 9. Mangrol. 10. Shahbad. 11. Atru.
18. Bundi.	1. Bundi. 2. Nainwa.	1. Talera.
19. Tonk.	1. Tonk. 2. Malpura.	1. Todaraisingh. 2. Diggi. 3. Niwai.
20. Jhalawar.	1. Jhalawar. 2. Khanpur.	1. Eklera. 2. Bhawani Mandi. 3. Dug. 4. Bakani. 5. Manoharthana.
21. Udaipur.	1. Udaipur. 2. Rajsamand.	1. Kherwara. 2. Salumber. 3. Bhim. 4. Nathdwara. 5. Kanore. 6. Jadol. 7. Kumbhalgarh. 8. Lasadia.

Page No 110

1	2	3
22. Bhilwara.	1. Bhilwara. 2. Shahpura.	1. Asind. 2. Jahazpura. 3. Gulabpura. 4. Gangapur. 5. Kareva. 6. Mandalgarh.
23. Chittorgarh.	1. Chittorgarh. 2. Nimbahera. 3. Pratapgarh.	1. Kapasin. 2. Choti Sadri. 3. Begun. 4. Achnera.
24. Banswara.	1. Banswara.	1. Garhi. 2. Kushalgarh
25. Dungarpur.	1. Dungarpur	1. Sagwara.
	54	125

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३० का उत्तर देखिये)

List of permits for State Carriages issued in Tonk District during 1955-56.

S. No.	Name of owner.	Vehicle No.	Name fo Route.
1.	Shri Dwarka Dass Bhanumal, Ajmeri Gate, Jaipur.	RJL 379	Tonk-Toda-Raisingh.
2.	Shri Dwarka Dass Bhagwan Dass, Ajmeri Gate, Jaipur.	RLJ 2526.	Tonk-Nagar-Nanwa.
3.	Shri Ram Chandra Sita Ram, Kishangarh	RJL 3245	Diggi-Kishangarh.
4.	The Government Transport Service, Tonk	RJX 17	Tonk-Duni-Deoli.
	-do-	RJX 95	-do-
	-do-	RJX 180	-do-
	-do-	RJX 179	-do-
5.	General Motor Bus Service	RJX 170	Tonk-Indergarh.
6.	Shri Jaswantsingh, Tonk	RJL 762	-do-
7.	Shri Hafiz, Tonk.	RJX 209	-do-
8.	Ex-Soldiers Co-operative Society, Jaipur	RJL 3655	Diggi-Kishangarh.
9.	Shri Jagdish Narain Badri Dass Kanhiya Lal, Tonk	RJX 61	Tonk-Amli via Uniara-Aligarh.
10.	Shri Lekh Raj Lakwani, Aliganj Tonk	RJX 201	Tonk-Deoli.
11.	Shri Mohmud Khan	RJX 169	Tonk-Deoli.

List of permits issued for Load Lorries in Tonk District during 1955-56.

S. No.	Name of owner .	Vehicle No.	Route
1.	Shri Nand Lal Moti Lal, Tonk ..	RJX 98	Rajasthan.
2.	Shri Kishore Singh, Tonk	RJX 64	Rajasthan.
3.	Shri Radha Kishan, Tonk	RJX 37	Rajasthan
4.	Shri Shokat Ali, Tonk	RJX 43	Rajasthan.
5.	Shri Abdul Gaffur, Niwai	RJX 28	Rajasthan.
6.	Shri Vazir Mohammed, Tonk ..	RJX 50	Rajasthan.
7.	Shri Hafiz Inayat Ullah Khan ..	RJX 36	Jaipur Region.
8.	Shri Rameshwar Dass Mohari Lal ..	RJX 97	Rajasthan.
9.	Shri Sukh Dev, Jaipur	RJX 79	Jaipur Region.
10.	Shri Sardar Singh, Jaipur	RJX 204	Jaipur ,,
11.	Shri Amarjit Singh, Jaipur	RJX 214	Jaipur ,,
12.	Shri Kamal, Tonk	RJX 189	Rajasthan.
13.	Shri Balwant Singh, Jaipur.. ..	RJX 205	Rajasthan.
14.	Shri Prem Singh	RJX 210	Jaipur Region.
15.	Shri Mohammed Noor Mohammed ..	RJX 218	Rajasthan.

List of permit holders on each route.

Name of route.	*Name of Permit Holder.*	*Name of permit.*
1. Tonk-Amli via Uniara-Aligarh.	1. Shri Mohmud Khan ..	2
	2. Shri Ieed Mohammed ..	1
	3. Shri Badri Dass Kanhiya Lal	1
	4. Shri Sakeh Jamal ..	1
2. Tonk-Sawai Madhopur.	1. Shri Sardar Singh ..	1
	2. Shri Badri Dass Kanhiyalal	1
	3. Shri Mohammed Khan ..	1
3. Sawai Madhopur-Tonk-Indergarh.	1. Shri Jashwant Singh ..	1
	2. Shri Hafiz	1
	3. General Motor Bus Service	1
	4. Shri Kilki Prasad ..	1
4. Naga-Uniara-Barwara.	1. Shri Ramnarain Nandlal	1
5. Tonk-Duni-Deoli.	1. Govt. Transport Service	4
	2. Shri Mohammed Khan ..	1
	3. Shri Lekh Raj Lakwani	1

शुद्धि-पत्र

कार्य-विवरण दिनांक २७ सितम्बर, १६५६

पृष्ठ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२६७	१०	श्रा सरदारसिंह	श्री सरदारसिंह
२६६	२	श्री मिर्धा	श्री मिर्धा
२८२	२२	श्री जग सिंह झाला	श्री जगतसिंह झाला
२८५	२४	श्री हरिकृष्ण व्यास	श्री हरिकृष्ण व्यास
२६२	२	श्री अयक्ष	श्री अध्यक्ष
३०४	२	श्री हरिकृष्ण	श्री हरिकृष्ण
३०६	शीर्ष	राजथान	राजस्थान
३६४	२	श्री हरिकृण	श्री हरिकृष्ण
